

ठेके की शर्तें

CONDITIONS OF CONTRACT

परिभाषा

Definitions :

- (1) ठेके का अर्थ वह प्रलेख है, जिसमें निविदा तथा उसकी स्वीकृति एवं औपचारिक समझौता है, जो कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड तथा ठेकेदार के बीच निष्पादित किया जाता है। इसमें वे दस्तावेज सम्मिलित हैं जिनका स्मझौते में जिक्र किया जाता है, जिनमें शर्तें, विनिर्दिष्टताएं, डिजाइन, ड्राइंग तथा अनुदेश सम्मिलित हैं, जो समय-समय पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा जारी किए जाते हैं और इन सभी दस्तावेजों को मिलाकर एक ठेका माना जाएगा और वे एक दूसरे के पूरक होंगे।
- (1) The 'contract' means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the board of trustees of Kandla Port and the contractor; together with the documents referred to therein including these conditions; the specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the engineer in-charge and all these documents taken together shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.
- (2) ठेके में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यदि संदर्भ द्वारा अन्य कुछ अपेक्षित नहीं तो एतद्वारा उनको क्रमशः दिया गया अर्थ होगा।
- (क) 'निर्माण कार्य' या 'कार्य का अर्थ, यदि विषय या संदर्भ इस प्रकार की अभिव्यक्ति से असंगत न हो तो ऐसा कार्य समझा या माना जाएगा, जो ठेके निष्पादित करने के लिए अस्थायी तथा मूल रूप में, परिवर्तित, बदले में कार्य करने या/और अतिरिक्त रूप में पूरा करने के लिया गया है,
- (ख) 'स्थल' का अर्थ ऐसी भूमि और/या अन्य स्थान है जिस पर या जिसके द्वारा ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाता है या ऐसी सन्निकट भूमि रास्ता या सड़क है जिनके द्वारा ठेके के अधीन कार्य निष्पादित करना है या ऐसी सन्निकट भूमि, रास्ता या सड़क है जो ठेके को पूरा करने के अभिप्राय से आवंटित की जाएगी या जिसका इस्तेमाल किया जाएगा,
- (ग) 'ठेकेदार' का अर्थ व्यक्ति विशेष या फर्म या कंपनी है जो निगमित हो या न हो, जो काम हाथ में चले रही है और उसमें इस प्रकार के व्यक्ति विशेष के का नूनी व्यक्तिगत प्रतिनिधि या इस प्रकार की फर्म या कंपनी निर्माण करनेवाला व्यक्ति या इस प्रकार की फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी तथा इस प्रकार के व्यक्ति विशेष या फर्म या फर्मों या कंपनी द्वारा अनुमति दी गए व्यक्ति सम्मिलित है,
- (घ) 'बोर्ड' का अर्थ पोर्ट के न्यासी बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी है,
- (ङ) 'प्रभारी इंजीनियर' का अर्थ कार्यपालक इंजीनियर, जैसा भी लागू हो, जो पर्यवेक्षण करेगा तथा कार्य का प्रभारी होगा और जो कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड की ओर से अनुवध पर हस्ताक्षर करेगा,
- (च) 'मुख्य इंजीनियर' शब्द का अर्थ कंडला पोर्ट के न्यासी बोर्ड का मुख्य इंजीनियर है,
- (छ) अध्यक्ष शब्द का अर्थ कंडला पोर्ट के न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष है।

एकवचन दशअध्यक्ष नेवअध्यक्ष ले शब्दों में बहुवचन और प्रतिलोमतः सम्मिलित है।

- 2) In the contract the following expressions shall unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assigned to them:
 - a) The expression 'works or works' shall, unless be some thing either in the subject or context repugnant to such construction, be constructed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent and whether original, altered, substituted or additional.
 - b) The 'Site' shall mean the land and/or other places on, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street though which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract.
 - c) The 'Contractor' shall mean the individual or company, whether, incorporated or not, undertaking the works and shall include legal personal representative of such individual or the persons composing such firm or company or the successors of such firm or company and the permitted assigns of such individual or firms or company.
 - d) The ' Board' means the Board of Trustees, constituted under the Major Port Trust Act-1963 for Kandla Port and its successors.
 - e) The Engineer-in- charge means the Executive engineer or any other engineer specially appointed for the purpose who shall supervise the work.
 - f) The term 'Chief Engineer' means the chief Engineer' means the chief engineer of the-board of trustees of Kandla Port.
 - g) The term 'Chairman' means the chairman of the board of trustees of Kandla Port.
 - h) words imparting the singular number include the plural number and vice versa.

2. प्रतिभूति जमा खंड 1 :

स्वीकृत पत्र जारी होने के १५ दिनों के अंदर सफल निविदाकार को एफ.डी.आर. के माध्यम से अथवा ऐसे राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक, जिसकी शाखा गांधीधाम में हों, से निष्पादन गारंटी के रूप में स्वीकृत निविदा-मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी ।

जब तक अग्रिम धन के रूप में पहले जमा की गई राशि सहित स्वीकृत निविदा मूल्य की ५ प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उपरिलिखित ५ प्रतिशत निष्पादन गारंटी के अलावा प्रत्येक चालू बिल में से बिल की सफल राशि के ५ % की दर से प्रतिभूति जमा की कटौति की जाएगी । एफ.डी.आर. के रूप में अथवा कोई भी ऐसा राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक, जिसकी शाखा गांधीधाम में हो, की बैंक गारंटी के रूप में भी प्रतिभूति जमा स्वीकार की जा सकती है ।

SECURITY DEPOSIT CLAUSE 1.

The successful tenderer shall deposit an amount equal to 5 % of the accepted tender value as Performance Guarantee in the form of FDR or Bank Guarantee from nationalized / scheduled bank having its branch at Gandhidham, within 15 days of issue of the letter of acceptance.

Apart from 5 % performance guarantee mentioned above, Security Deposit at the rate of 5 % of the gross amount of the bill shall be deducted from each running bill, till the sum along with the sum already deposited as Earnest Money Deposit amounts to 5 % of the accepted tender value. The Security Deposit can also be accepted in the form of FDR or Bank Guarantee from any nationalized / scheduled bank having its branch at Gandhidham.

बोर्ड द्वारा जमानत जमा करके रोके रखने की इसप्रकार की कटौतियों में यह प्रावधान होगा की इस अभिप्राय के लिए बोर्ड प्रत्येक चालू बिल में ----- प्रतिशत की राशि काटने का हकदार होगा जब तक कि जमानत जमा राशि की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं कर ली जाती । इस ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय सभी हर्जाना या अन्य धनराशि उसकी जमानत जमा राशि में से काटी जा सकती है या जमा राशि के पर्याप्त भा की विक्रि से या उससे प्राप्त होने वाले व्याज से या किसी अन्य राशि से, जो बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से ठेकेदार को देय हो या दय हो सकती हो

और इस प्रकार की कटौतियों या ऊपर उल्लिखित विक्री से जमानत जमा राशि में कमी होने से ठेकेदार १० दिनों के भीतर नकदी द्वारा या न्यासी बोर्ड के पक्ष में निष्पादित गारंटी बंध पत्रों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों द्वारा सावधि जमा रसीद (अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रस्तावित गारंटी के मामले में राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर होनी चाहिए या सरकारी ऋण-पत्र (यदि १२ महीने से अधिक समय के लिए जमा किया गया है) जो प्रभारी इंजीनियर के पक्ष में पुष्टांकित से धन या धन राशियां काटी गई है या उसकी जमानत जमा राशि या उसके किसी भाग की विक्री से प्राप्त की गई हैं, के द्वारा १० दिनों के भीतर पूरी करेगा। ठेकेदार के चालू बिल से जमानत जमा राशि उपर बताई दर काटी जाएगी और बयान राशि से, यदि निविदा के समय नकदी के रूप में जमा की गई है तो वह जमानत जमा राशि का भाग मानी जाएगी।

Such deductions to be held by the Board by way of security deposit. Provided always that the Board for this purpose shall be entitled to recover..... percent of the amount of each running bill till the balance of amount of security deposit is released. All compensation or other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by the board on any account what so ever and in the event of his security deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or guarantee bonds in favour of the board of trustees executed or fixed deposit receipt tendered by the state bank of India or by scheduled banks, (in case of guarantee offered by scheduled banks, the amount shall be within the financial limit prescribed by the reserve bank of India) or government securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favor of the engineer-in-charge any sum or sums which may have been deducted from or raised by sale of his security deposit or any part thereof the security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and earnest money if deposited in cash at the time of tender will be treated as part of the security deposit.

देरी के लिए हर्जाना : खंड 2 - कार्य पूरा करने के लिए निविदा में दिए गए समय का ठेकेदार द्वारा कठोरता से पालन किया जाएगा और ठेकेदार के लिए वह ठेके का सार तत्व माना जाएगा और कार्य प्रारंभ के लिए जारी किए गए आदेश की तिथि के पचात् पन्द्रहवें दिन से गिना जाएगा। ठेके में विनिर्दिष्ट संपूर्ण अवधि के दौरान कार्य सभी संभव परिश्रम के साथ किया जाएगा और कार्य के प्रारंभ न करने और समापन करने की उपयुक्त तिथि के पचात् प्रत्येक दिन के लिए पूरे कार्य की अनुमानित लागत की राशि पर एक प्रतिशत के बराबर की राशि या ऐसी कुछ कम राशि, जैसा कि मुख्य इंजीनियर निर्णय करें, जिसका लिखित निर्णय अन्तिम होगा) ठेकेदार हर्जाना के रूप में देगा और कार्य के निष्पादन की दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार उन सभी मामलों में, जहां कार्य के लिए निश्चित समय में पूरा करने में एक महीने की वृद्धि (विशेष कार्यों को छोड़कर) ठेके के अन्दर अनुमति दिए गए पूरे समय के एक चौथाई समय के समाप्त होने के पूर्व पूरे कार्य का आठवां भाग, इस प्रकार के समय का आधा भाग बीतने से पूर्व कार्य का या इस प्रकार के समय के तीन - चौथाई भाग बीतने से पूर्व कार्य का तीन - चौथाई भाग के सभी मामलों में ठेकेदार वाध्य होगा। तथापि, यदि ठेकेदार द्वारा विशेष कार्यों के लिए समय अनुसूची प्रस्तुत की गई है और वह प्रभारी इंजीनियर द्वारा स्वीकार कर ली गई तो ठेकेदार उस समय अनुसूची का अनुपालन करेगा। यदि ठेकेदार इस शर्त को पूरा नहीं करेगा तो वह पूरे कार्य के लिए अनुमानित लागत की एक प्रतिशत राशि या कुछ कम राशि, जैसा कि मुख्य इंजीनियर निश्चित करेगा (उसका लिखित निर्णय अन्तिम होगा) हर्जाने के रूप में प्रत्येक दिन के लिए, जब तक कि उपयुक्त कार्य अधुरा रहता है, देने का देनदार होगा, वशर्ते कि इस खंड के अधिन हर्जाने की पूरी राशि निविदा में उल्लिखित अनुमानित लागत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

COMPENSATION FOR DELAY CLAUSE 2 The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be deemed to be of the essence of the date on which the order to commence the work is issued to the contractor. the work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amount

as the chief engineer(Whose decision in writing shall be final) may decide on the amount of the estimated cost of the whole work as shown in the tender, for every day that the work remains uncommenced or unfinished, after the proper dates, and further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds, one month(save for special jobs) to complete one eighth of the whole of the work before one fourth of the whole time allowed under the contract has elapsed, three eighth of the work before one half of such time has elapsed and three-fourth of the work, before three-fourth of such time has elapsed. however for special jobs if a time schedule has been submitted by the contractor and the same has been accepted by the engineer-in-charge, the contractor shall comply with the said time scheduled. in the event of the failing to comply with this condition, he shall be liable to pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amount as the chief Engineer (Whose decision in writing shall be final) may decide on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of work remains incomplete; provided always that the entire amount of compensation to be under the provision of this clause shall not exceed ten percent of the estimated cost of the work as shown in the tender .

खंड - 3 : अध्यक्ष किसी देरी या घटिया कारीगरी या अन्य प्रकार के किसी मामले में या ठेके के किसी उलंघन के संबंध में क्षतिपूर्ति के मामले में ठेकेदार के विरुद्ध बोर्ड के अधिकार के संबंध में पूर्वग्रह बनाए बिना और इस ठेके के किसी प्राबधान के अधिन किसी अधिकार या उपाय या अन्यथा एवं क्या कार्य पूरा करने की तिथि समाप्त हो गई है या नहीं, पर कोई अतिक्रमण किए बिना लिखित सूचना द्वारा उल्लिखित मामलों में ठेके के संबंध में पूर्ण रूप से निर्णय ले सकता है।

CLAUSE 3 : The chairman may without prejudice to the board's right against the contractor in any respect of any delay or inferior workmanship or otherwise or to any claims for damage in respect of any breaches of the contract and without prejudice to any rights or remedies under any of the provisions of this contract or otherwise and whether the date of completion has or has not elapsed by notice in writing absolutely determine the contract in any of the Following cases.

- (i) यदि ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर द्वारा किसी त्रुटिपूर्ण कार्य के दुरुस्त करने, पुनः बनाये या उसके स्थान पर बदल देने के लिए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुपयुक्त या अनाडी कारीगरी को ढंग से किया जा रहा है, के संबंध में लिखित सूचना देने पर इस प्रकार की सूचना के प्राप्त होने के सात दिनों की अवधि में अपेक्षाओं की पूरा नहीं करता या यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में देरी करता है या बन्द कर देता है, जो प्रभारी इंजीनियर की राय के अनुसार (जो अन्तिम और बन्धनकारी होगी) संपूर्ण करने में असफल रहा है।
- (i) If the contractor having been given by the engineer-in-charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in any inefficient or otherwise improper or unworkman-like manner ,shall omit to comply with the requirements of such notice for a period of seven days thereafter or if the contractor shall delay or suspend the execution of the work so that either in the judgement of the engineer-in-charge(which shall be final and binding)he will be unable to secure completion of the work by date for completion or he has already failed to complete the work by that date.
- (ii) यदि ठेकेदार एक कंपनी होने के नाते इस आशय या संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश देता है कि कंपनी समाप्त कर दी जाएगी या ऋणदाताओं की ओर से कोई आदाता (रिसीवर) नियुक्त किया जाता है या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हों जिनके कारण न्यायालय या ऋणदाताओं की ओर से आदाता या प्रबंधक की नियुक्ति की जाए जिसके कारण न्यायालय समाप्त करने का आदेश दे सकता है,
- (ii) If the contract being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court of a creditor to appoint a receiver or a manager which entitle the court to make a winding up order.
- (iii) यदि ठेकेदार इस ठेके के किन्हीं नियमों तथा शर्तों का उलंघन करता है;
- (iii) If the contractor commits breach of any of the terms and conditions of this contract.

- (iv) ठेकेदार इसके पश्चात खंड 21 में उल्लिखित कोई कार्य सम्पन्न करता है ।

If the contractor commit any acts mentioned in clause 21 hereof.

यदि ठेकेदार अपने को उपर्युक्त किसी मामले के अधिनकार्यवाही करने के लिए पात्र बनाता है, तो अध्यक्ष बोर्ड की ओर से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त करेगा :-

When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid the chairman on behalf of the board shall have powers.

- (क) 'उपर्युक्त' की भांति के ठेके के संबंध में निर्णय करना या उसे रद्द कर देना (जिसके लिए समाप्त या रद्द करने की सूचना ठेकेदार को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा अन्तिम साक्ष्य होगा), इस प्रकार के निर्णय रद्द करने के पश्चात् ठेकेदार की सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और वह बोर्ड के अधिकार में होगी;
- (a) To determine or rescind the contract as aforesaid (of which termination or rescission notice in writing to the contractor under the hand of the chairman shall be conclusive evidence) upon such determination or rescission the security deposit of the contractor shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the board.
- (ख) प्रभारी इंजीनियर को बोर्ड द्वारा भुगतान किए जाने वाले श्रमिकों को रखने और निर्माण कार्य के किसी भाग को पूरा करने के लिए सामग्री की आपूर्ति करने तथा श्रमिकों को वह लागत ठेकेदार के नाम डालने का अधिकार होगा (लागत तथा मूल्य की राशि, जो प्रभारी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की जाएगी, ठेकेदार पर पड़ने वाली अन्तिम और निर्णायक होगी) सभी प्रकार से निष्पादित कार्य का मूल्य उसके खाते में उसके नाम में उसी प्रकार और उसी दर पर जमा किया जाएगा, जैसेकि वह ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया गया है। निष्पादित कार्य के संबंध में कार्यपालक इंजीनियर द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र ठेकेदार के लिए अन्तिम और निर्णायक होगा। बशर्ते कि इस उप-खंड के अधीन हमेशा ठेकेदार को लिखित सूचना देने के पश्चात् कार्यवाही की जाएगी और आगे शर्त यह होगी कि यदि बोर्ड द्वारा किया गया व्यय उसके समझौता दर से ठेकेदार को देय राशि से कम होगा तो उसका अंतर ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा;
- (b) The engineer-in-charge shall have power to employ paid by the board and to supply materials to carry out the works or any part of the works debiting the contractor with the cost of the labour and the price of the materials (of the amount of which cost and price certified by the engineer-in charge shall be final and conclusive against the contractor) and crediting him with the value of the work done in all respects in the same manner and the same rates as if it had been carried out by the contractor under the terms of his contract. the certificate of the executive engineer as to the value of the work done shall be final and conclusive against the contractor. provided always that action under the sub-clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. provided also that if the expenses incurred by the board are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates. the differences should not be paid to the contractor.
- (ग) ठेकेदार के काम की माप लेनेकी सूचना देने के पश्चात् और अनिष्पादित काम के भाग को उससे ले लेना एवं उसे पूरा करने के लिए अन्य ठेकेदार को देना, जिस स्थिति में यदि पूरा पहले ठेकेदार द्वारा ही किया जाता है तो उसको मिलने वाली राशि में यदि और अधिक व्यय हो जाता है (इस अधिक व्यय के संबंध में प्रभारी इंजीनियर का लिखित प्रमाणपत्र अन्तिम और निर्णायक होगा) तो वह पहले वाला ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और दिया जाएगा और बोर्ड द्वारा देय उसकी राशि में से या किसी अन्य प्रकार के लेखे से या उसकी जमानत जमा से या उनकी विक्री से प्राप्त होने वाली राशि से या उसके पर्याप्त भाग से जैसा भी संगत होगा, पूरा कर लिया जाएगा।
- (c) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such part thereof as shall be unexpected out of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which excess the certificate in writing of the engineer-in-charge shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted

from any money due to him by the board under this contract or on any other account whatsoever or from his security deposit or the proceeds of sales thereof or a sufficient part thereof as the case may be.

अध्यक्ष या प्रभारी इंजीनियर द्वारा उपर्युक्त में से एक या अधिक प्रक्रिया अपनाए जाने की स्थिति में ठेकेदार को कोई सामग्री खरीद लेने या प्राप्त कर लेने या किसी प्रकार का समझौता कर लेने या किसी प्रकार की निर्यक्ति करने या इस कारण कोई वग्रिम राशि काम को पूरा करने या ठेके के निष्पादन के लिए देने के कारण उसे होने वाली हानि के लिए उसे हर्जाने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा और यदि उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन प्रक्रिया अपनायी जाती है तो ठेकेदार को ठेके के अधीन वास्तव में किए गए किसी कार्य के लिए राशि प्राप्त करने या उसे दिए जाने की पात्रता तब तक नहीं होगी जब तक कि प्रभारी इंजीनियर लिखित रूप में इस प्रकार के कार्य के निष्पादन तथा उसके संबंध में देय राशि को प्रमाणित नहीं करता और केवल इस प्रकार प्रमाणित किए गए धन को वह प्राप्त करने का पात्र होगा।

In the event of any one or more of the above courses being adopted by the chairman or the engineer-in-charge the contractor shall have no claim compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagement or made any advance on account or with a view to the execution of the work or the performance of contract. And in case action is taken under any of the provisions aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work there for actually performed under this contract unless and until the engineer-in-charge has certified in writing the performance of such work and the value so certified.

खण्ड 3 के अ ध ी न कार्यवाही न किए जाने पर ठेकेदार द्वारा हर्जाना देने का दायित्व ठेकेदार के संयंत्र का स्वामित्व ग्रहण करने या उसे हटाने या बेचने

खण्ड 4 : इस ठेके के खण्ड ३ द्वारा अध्यक्ष या प्रभारी इंजीनियर को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग न संभव होने पर और यदि उनका उपयोग नहीं किया जाता तब उनका प्रयोग न करना इसकी शर्तों का अधित्याग नहीं माना जाएगा और ठेकेदार द्वारा भविष्यकी किसी चूक के मामले में उनका उपयोग किया जा सकता है एवं इससे ठीक पहले खंड में उन्हें दिए गए अधिकारों से सभी या किसी को अध्यक्ष या प्रभारी इंजीनियर लागू कर सकता है। प्रभारी इंजीनियर अपने सम्पूर्ण विवेकानुसार, जो अन्तिम होगा) सभी या किन्हीं औजारों, संयंत्र, सामग्री, तथा भंडार, जो कार्य में या कार्य पर लगे हों या उसके कार्य स्थल पर हों, ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए हों एवं कार्य उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, ठेके की दर पर भुक्तान करते हुए या लेखे में उसे स्वीकार करते हुए या यदि यह तब लागू नहीं है तो चालू बाजार दर पर, जिसे प्रभारी इंजीनियर प्रमाणित करेगा और जिनका प्रमाणपत्र इस संबंध में अन्तिम होगा, उनका स्वामित्व ग्रहण कर सकता है या उन्हें किराय पर इस्तेमाल कर सकता है (किराय की राशि भी प्रभारी इंजीनियर के संपूर्ण निर्णय के अनुसार होगी), अन्यथा प्रभारी इंजीनियर लिखत सूचना के द्वारा ठेकेदार या उसके कार्य के लिपिक, फौरमैन, या अन्य अधिकृत एजेंट को इस प्रकार के औजारों, संयंत्र, सामग्री या भंडार परिसर से हटाने का आदेश दे सकता है यह कुछ समय के भीतर होगा जो सूचना में निर्दिष्ट होगा और यदि ठेकेदार इस प्रकार के आदेश का परिपालन नहीं करता तो प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार के व्यय पर उन्हें हटा सकता है या नीलामी द्वारा या निजी विक्री द्वारा ठेकेदार के हिसाब में बेच सकता है और इसमें सभी मामलों में उसीका जोखिम होगा एवं इस प्रकार से हटाने के संबंध में किए गए किसी व्यय तथा विक्री की राशि एवं इस प्रकार की विक्री से संबंधित किसी व्यय के संबंध में प्रभारी इंजीनियर का प्रमाणपत्र ठेकेदार के बारे में अन्तिम और निर्णयक होगा।

Payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value

CLAUSE 4. In any case in which any of the powers conferred upon the chairman or the engineer-in-charge by clause 3 hereof shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected in the event of the chairman or the engineer-in-charge

contractors to remain liable to pay compensation if action not taken under clause 3. powers to take possession of or self contractors plant.

putting in force all or any of the powers vested in them under the preceding clause the engineer-in-charge may if he so desires after giving a notice in writing to the contractor take possession of (or at the sole discretion of the engineer-in-charge which shall be final) use as in hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-charge) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works or the site thereof, belonging to the contractor procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the same the contract rates or in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the engineer-in-charge whose certificate thereof shall be final, otherwise the engineer-in-charge by the notice in writing may order the contractor or his of the works, foreman or other authorised agent to remove such tools, plant materials or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) : and in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the engineer-in-charge may remove them at the contractor's expenses or sell them by auction or private sale on account of the contractor and at his risk in all respects and the certificate of the engineer-in-charge as to the expense of any such removal and the amount of the proceeds and expense of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

समय में वृद्धि :

खण्ड 5 : यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में अपरिहार्य रूप से रुकावट पडने या किसी अन्य कारण से काम को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहेगा तो जिस रुकावट के कारण वह उपर्युक्त प्रकार की वृद्धि चाहता है, उसकी तिथि से 30 दिन के भीतर कार्यपालक इंजीनियर, यदि उसकी सम्मति में जो अन्तिम होगी, उसके लिए अंकित उचित कारणों पर आधारित होगी, इस प्रकार की समय में वृद्धि अधिकृत करेगा जो उसकी सम्मति में आवश्यक या उपर्युक्त होगी।

Extension of time

WORK CLAUSE 5 . If the contractor shall desire an extension of time for completion of the on the grounds of his having being unavoidably hindered in its exclusion or any other ground, he shall apply in writing to the Executive Engineer within 30 days of the days of the date of hindrances on account of which he desires such extension as aforesaid, and the Executive Engineer shall, if his opinion (which shall be final, reasonable grounds be shown therefore, authorize such extension of time, if any, as may in his opinion, be necessary or proper.

समापन प्रमाण पत्र

खण्ड 6: कार्य समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर ठेकेदार इस समाप्ति की सूचना प्रभारी इंजीनियर को देगा और इस प्रकार की सूचना प्राप्ति के 10 दिन के भीतर प्रभारी इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई त्रुटि नहीं होगी तो ठेकेदार को समापन प्रमाणपत्र देगा अन्यथा इन त्रुटियों का उल्लेख करते हुए, जो

Completion certificate.

CLAUSE 6. Within 10 days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-charge and within 10 days of the receipt of such notice the Engineer-in-charge shall inspect the work and if there is no defect in the work shall furnish the contractor with a certificate of completion, otherwise a provisional certificate of completion indicating defects.

(क) ठेकेदार द्वारा ठीक की जाएगी, और / या (ख) जिसके लिए भुगतान कम की गई दर पर क्रिया जाएगा, अस्थायी समापन प्रमाणपत्र, जारी किया जाएगा किन्तु कोई समापन प्रमाणपत्र अस्थायी या अन्यथा तब तक न तो जारी किया जाएगा और न ही कार्य को समाप्त माना जाएगा जब तक कि ठेकेदार उस परिसर से, जहां कार्य निष्पादन किया जाएगा, सभी पाड़ो, फालतू सामग्रियों कूड़ा तथा सभी झुगियों एवं सफाई संबंधी प्रबंध, जो कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्यशील पर काम

करने वाले उसके/उनके व्यक्तियों के लिए जरूरी है, और जो ठेकेदार ठेकेदारों के द्वारा खड़े किए गए हैं या बताए गए हैं, हटा नहीं लेगा और सभी लकड़ी के काम, दरवाजों खिड़कियों, दिवारों फर्श तथा इमारत के अन्य भागों से, जिन में/जिनपर या जिनके आसपास कार्य निष्पादित किया जाता है या कार्य के निष्पादन के अभिप्राय के लिए जो उसके कब्जे में थी, उनकी धूल-मिट्टी साफ नहीं कर देता है और जब तक कि कार्य का प्रभारी इंजीनियर द्वारा माप नहीं ले लिया जाता। यदि ठेकेदार इस खंड की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहता है जो पाड़ों, फालतू सामग्रियों तथा कूड़ा-करकट तथा सभी झुगियों तथा सफाई प्रबंध को हटाने के लिए है, जैसा कि उपर कहा गया है और कार्य समाप्त लिए निश्चित तिथि से पूर्व धूल-मिट्टी साफ करने के लिए हैं तो प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार के व्यय पर इस प्रकार के पाड़ों, फालतू सामग्रियों तथा कूड़ा-करकट इत्यादि को हटा सकता है अतः उन्हें इस प्रकार विक्री कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और उपर पड़ी धूल-मिट्टी को साफ करवा सकता है और ठेकेदार इस प्रकार के पाड़ों या फालतू सामग्रियों के लिए, जैसा कि उपर किया गया है, उनकी विक्री से वास्तव में प्राप्त की गई राशि के अलावा किसी अन्य राशि का दावा नहीं कर सकता है।

- (a) Defects to be rectified by the contractor and/or _____ for which payment will be made at reduce rates, shall be issued but no certificate of completion, provisional or other-wise, shall be issued, nor shall the work be considered to be completed until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as works as shall have been erected or constructed by the contractors (s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floors or other parts of any building, in upon or about which the work is be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution thereof and not until the works shall have been measured by the Engineer-in-charge. if the contractor shall fail to comply with the requirements of the clause as to removal of scaffolding surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and clearing off dirt on or before the date fixed for the completion of the work, the Engineer-in-charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc. and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid and the contractor shall have no claim in respect of any such scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized be sale thereof.

पुनश्च : प्रभारी इंजीनियर के मुख्यालय के लिए १० दिन का समय दिया जाएगा और प्रभारी इंजीनियर के मुख्यालय के लिए ३० दिन का समय दिया जाएगा।

N.B. : Ten days will apply in the case of works at the headquarters of Engineer-in-charge and thirty days will apply in the case of works at a station other than the quarters of Engineer-in-charge

खण्ड-7 : रु. दो हजार पांच सौ रुपये से कम अनुमानित लागत के कार्यों के लिए भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरा कार्य समाप्त नहीं कर दिया जाता है और समापन प्रमाणपत्र नहीं दे दिया जाता किन्तु दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले कार्यों के मामले में उसके लिए बिल प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार, जिसका प्रमाणपत्र ठेकेदार को देय राशि का प्रमाणपत्र अन्तिम और निर्णायक होगा, निष्पादित कार्य के अनुपात के अनुसार मासिक भुगतान प्राप्त करने के पात्र होगा किन्तु इस प्रकार के सभी मध्यवर्ती भुगतानों के अन्तिम भुगतान के संबंधित भुगतान को केवल अग्रिम भुगतान माना जाएगा और न कि वास्तव में किए गए कार्य का भुगतान माना जाएगा। खराब, गलत तरीके के किए गए तथा अधूरे या अकुशल कार्य को हटाने तथा वापस ले जाने एवं पुनर्निर्माण करने या फिर से खड़ा करने या ठेके को या उसके किसी भाग को सब प्रकार से ठिक ढंग से करने की स्वीकृति या कोई दावा बनने में बाधक नहीं होगा और न ही लेख के अन्तिम निपटारे तथा समायोजन या अन्य प्रकार के इन शर्तों या उनमें से किन्हीं शर्तों के अधीन प्रभारी इंजीनियर के अधिकारों को किसी प्रकार अन्तिम रूप देगा, निर्णय करेगा या उन्हें

प्रभावित करेगा या किसी अन्य प्रकार से ठेके में परिवर्तन या प्रभाव उत्पन्न करेगा । ठेकेदार द्वारा अन्तिम बिल काम की समाप्ति के लिए निश्चित तिथि या प्रभारी इंजीनियर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा एवं यदि ठेके की राशि तथा अतिरिक्त मदों की राशि मिलाकर कुल राशि रु. २ लाख तक होती है तो भुगतान तीन महीने के भीतर कर दिया जाएगा और यदि कुल राशि २ लाखसे अधिक बनती है, तो इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करने की तिथि से ६ महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा । यदि कार्य की किसी मद मदों के संबंध में कोई विवाद होगा तो बिना विवाद वाली मद मदों का भुगतान तीन महीने के भीतर, जैसा भी उपयुक्त होगा, कर दिया जाएगा । स्वीकार न नकी गई मदों की सूची ठेकेदार अस्वीकृति की तिथि से तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसका दावा पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाएगा एवं पूर्णतः समाप्त माना जाएगा ।

Payment to intermediate certificate to be regarded as advance

CLAUSE - 7 No payments shall be made for works estimated to cost less than rupees two thousand and five hundred till after the whole of the works shall have been completed and certificate of completion given. But in the case of works estimated to cost more than rupees two thousand and five hundred, the contractor shall on submitting the bill therefore be entitled to receive a monthly payment proportionate to the part thereof then executed to the satisfaction of the engineer-in-charge whose certificate of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor. but all such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not payments for work actually done and completed, and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work, to be removed and taken away and reconstructed or re-erected or be considered as an admission of the due performance of the contract or any part thereof in any respect or the accruing of any claim, nor shall it conclude, determine or effect in any way the powers of the engineer-in-charge under these conditions or any of them as to the final settlement and adjustment of the accounts or otherwise or in any other way vary or affect the contract. the final bill shall be submitted by the contractor within one month of the date fixed for completion of the work or of the date of the certificate of completion furnished by the engineer-in-charge and payment shall be made within three months if the amount of the contract plus that of the additional items is upto Rs. 2 lacs and in 6 months if the same exceeds Rs. 2 lacs, of the submission of such bill. if there shall be any dispute about any items or items of the work then the undisputed items only shall be paid within the said period of three months as the case may be. The contractor shall submit a list of the disputed items within thirty days from the disallowance thereof and if he fails to do this, his claim shall be deemed to have been fully waived and absolutely extinguished.

खण्ड-8 : पिछले महीने के दौरान निष्पादित सभी कार्यों के लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा निश्चित तिथि को या उसकी पूर्व प्रत्येक महीने में ठेकेदार एक बिल प्रस्तुत करेगा और प्रभारी इंजीनियर उसे सत्यापित करने के विचार से अपेक्षित माप लेगा या माप लेने का उपाय करेगा और दावा, जहां तक स्वीकार्य होगा, यथा संभव बिल प्रस्तुत करने के १० दिन के भीतर समायोजित करेगा । यदि ठेकेदार उपर्युक्त निश्चित समय के भीतर बिल प्रस्तुत नहीं करता तो प्रभारी इंजीनियर उपर्युक्त की भांति निर्धारित समय से सात दिन के भीतर उपर्युक्त कार्य का माप ठेकेदार की उपस्थिति में, जिसका प्रति हस्ताक्षर माप की सूची में पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा, करने के लिए नियुक्त करेगा और प्रभारी इंजीनियर इस प्रकार की सूची से बिल तैयार करेगा ।

Bills to be submitted monthly

CLAUSE 8. A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the engineer-in-charge for all works executed in the previous month and the engineer-in-charge shall take or cause to take the requisite measurement for the purpose of having the same verified and the claim, as far as admissible, adjusted as far as possible, before the expiry of ten days from the presentation of the bill. if the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid, the Engineer-in-charge may depute within seven

days of the date fixed aforesaid, subordinate to measure up the said work in the presence of the contractor whose counter signature to the measurement list will be sufficient warrant and the Engineer-in-charge may prepare a bill from such list.

खण्ड-8 : कः यहां खण्ड ६, ७, तथा ८ में बताए गए कार्य का कोई माप लेने से पूर्व प्रभारी इंजीनियर या उसके द्वारा नियुक्त मातहत ठेकेदार को उचित सूचना देगा। यदि ठेकेदार इस प्रकार की सूचना पर माप के समय उपस्थित नहीं रहता हस्ताक्षर नहीं प्रस्तुत करता तो ऐसी परिस्थिति में प्रभारी इंजीनियर या उसके द्वारा नियुक्त मातहत, जैसा भी संगत हो, द्वारा ली गई माप अन्तिम और ठेकेदार के लिए बंधनकारी होगी एवं ठेकेदार को उसे विवाद का मामला बनाने का अधिकार नहीं होगा।

CLAUSE 8 A. Before taking measurement of any work as has referred to in Clause 6, 7, and 8 hereof, the Engineer-in-charge or a subordinate deputed by him shall give reasonable notice to the contractor if the contractor fail to attend at the measurement after such notice or fails to countersign or to record the difference within a week from the date of measurement in the manner required by the Engineer-in-charge then in any such event the measurement taken by the Engineer-in-charge or by the subordinate deputed by him as the case may be shall final and binding on the contractor and the contractor shall have no right to dispute the same.

खण्ड-9 : ठेकेदार को सभी बिल छपे हुए प्रपत्र में बनाने होंगे जो आवेदन द्वारा प्रभारी इंजीनियर के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं बिल में लागत निविदा में निर्दिष्ट दरों या यदि कोई अतिरिक्त कार्य करने का आदेश दिया गया है तो इन शर्तों के अनुसार दर्ज की जाएगी और न कि निविदा में उल्लिखित या उपवाधित के अनुसार और इस प्रकार के कार्य की दरें इसके पश्चात् निर्णायक होगा तो वह पहले वाले ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और दिया जाएगा और बोर्ड द्वारा देय उसकी राशि उपवाधित की जाएगी।

CLAUSE 9. The contractor shall submit all bills on the printed form to be had on application at the office of the Engineer-in-charge and the charges in the bills shall always be entered at the rates specified in the tender or in the case of any extra work ordered in purpose of these conditions and not mentioned or provided for in the tender at the rate hereinafter provided for such work.

खण्ड- 9 कः ठेकेदार को देय भुगतान, यदि वह चाहता है तो उसे सीधे करने के लिए बजाए उसके बैंक को किया जा सकता है वशते कि ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर को (१) कानून की दृष्टि से वैध प्रलेख यथा भुगतान को प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान करते हुए मुखतारनामा के रूप में अनुमोदन तथा (२) बोर्ड उसको मिलने वाली राशि के संबंध में बनाए गए लेखे के ठीक कोने के संबंध में अपनी स्वीकृति देता है या बिल तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए अन्य दावे पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा निपटाने से पूर्व या बैंक को किए जानेवाले भुगतान के दावे पर अपने हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार बैंक द्वारा दी जाने वाली रसीद भुगतान के लिए पूर्ण पर्याप्त प्रमाण मानी जाएगी, जहां कहीं संबंध हो, ठेकेदार को अपने बिल विधिवत् पावती सहीत और बैंक के माध्यम से भुगतान के लिए प्रस्तुत करने चाहिए।

Payment of contractor's bills to banks.

CLAUSE 9 A. Payments due to the contractor may, if so desired by him be made to his bank instead of direct to him, provided that the contractor furnishes to the Engineer-in-charge (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority of the bank to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by the board or his signature on the bill or other claim, preferred against the board before settlement by the engineer-in-charge of the account or claim by payment to the bank, while the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment the contractor should, wherever possible, present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

इसमें जो कुछ दिया गया है, वह न्यासी बोर्ड के मुकाबले में बैंक के पक्ष में कोई अधिकार या समानता प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जाएगा

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the any rights or equities vis-a-vis the Board.

खण्ड 10: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला भंडार, यदि विनिर्दिष्ट या मदों की अनुसूची में प्रभारी इंजीनियर के भंडार से आपूर्ति की जाने वाली किसी सामग्री का विशेष विवरण है, जिसका इसतेमाल किए जाने का प्रावधान है या इस बात की आवश्यकता है कि ठेकेदार कुछ ऐसे भंडारों का इसतेमाल करेगा जो की प्रभारी इंजीनियर उपलब्ध करेगा, जैसाकि इसके साथ संलग्न परिशिष्ट में सामग्री की अनुसूची में उल्लिखित है तो केवल ठेके के अभिप्राय के लिए ठेकेदार इस प्रकार की सामग्री तथा भंडार उसे उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार उपलब्ध की गई समस्त सामग्री तथा भंडार की पूरी मात्रा का मूल्य उपयुक्त अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर हिसाब में डाल दिया जाएगा या उस समय देय किसी राशि में से उसके पत्रात् ठेके के अधीन ठेकेदार को देय होनेवाली राशि में से काट लिया जाएगा या अन्य प्रकार से या जमानत जमा में से या उसकी विक्री से प्राप्त होने वाली राशि में से, यदि सरकारी ऋणपत्र के रूप में है तो सभी या उसका पर्याप्त भाग इस अभिप्राय के लिए बेचे गए भाग में से काट लिया जाएगा। ठेकेदार को इस प्रकार आपूर्ति की गई सभी सामग्री पूर्ण रूप से बोर्ड की सम्पति होगी और वह किसी भी स्थिति में कार्य स्थल से नहीं हटाई जाएगी और प्रभारी इंजीनियर के निरीक्षण के लिए वह सर्वदा उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार की कोई सामग्री ठेके की समाप्ति या उसे समाप्त करने के निर्णय के समय, यदि बच जाती है और बिलकुल अच्छी हालत में है तो प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उसे लैटा दिया जाएगा, यदि वह अपने हस्ताक्षर द्वारा सामग्री की आवश्यकता होने पर लिखित सूचना देता है किन्तु इस प्रकार की रजामन्दी के बिना ठेकेदार इस प्रकार की सामग्री वापस करने का हकदार नहीं होगा और उपर बताए के मुताबिक उसे आपूर्ति की गई सामग्री उसके द्वारा इसतेमाल नहीं की जाएगी या उसमें कोई वर्वादी या क्षति होती है तो उसके लिए किसी हर्जाने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा। वशर्ते कि इस प्रकार की सभी या कुछ सामग्रियों तथा भंडारोंकी आपूर्ति में देरी होने या आपूर्ति न किए जाने के लिए ठेकेदार किसी हर्जाने या क्षतिपुर्ण का पत्र नहीं होगा और आगे शर्त यह होगी कि अगर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुसूचित समय तथा तत्संबंधी 50 प्रतिशत और जोड़ देने के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति कर दी जाती है तो पूरा कार्य निष्पादित करने के प्रति ठेकेदार बाध्य होगा। अनुसूचित समय तथा 6 महीना और आगे, यदि कार्य समाप्त का समय 12 महीने से अधिक है, तो किन्तु यदि सामग्री का केवल कुछ भाग उपर्युक्त अवधिके भीतर आपूर्ति किया गया है तो ठेकेदार केवल उतना ही काम करने के लिए बाध्य होगा जितना उपर उल्लिखित समय के भीतर आपूर्ति की गई सामग्री तथा भंडार से संभव है। शेष काम लिए ठेकेदार को ठेके को समाप्त करने या समय में और वृद्धि की मांग करने का विकल्प प्राप्त होगा।

CLAUSE 10. Store supplied by the board. If the specification or schedule of items provides for the use of any special description of materials to be supplied from engineer-in-charge's Store or it is required that the contractor shall use certain stores to be provided by the engineer-in-charge as shown in the schedule of materials hereto annexed, the contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purpose of the contract only and the value of the full quantity of materials and stores so supplied at the rate specified in the said schedule of materials may be set off deducted from any sums then due or thereafter to become due to the contractor under the contract or otherwise or against or from the security deposit or the proceeds of sale thereof if the same is held in government securities, the same or a sufficient portion thereof being in this case sold for the purpose all materials so supplied to the contractor shall remain the absolute property of the board and shall not be removed on any account from the site of the work and shall at all times open to inspection by the engineer-in-charge any such materials remaining unused and in perfectly good condition at the time of the completion or determination

of the contract shall be returned to the engineer-in-charge at a place directed by him, if by a notice in writing under his hand he shall so require; but the contractor shall not be entitled to return such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purpose of the contract only and the value of the full quantity of materials and stores so supplied at the rate specified in the said schedule of materials may be set off deducted from any sums then due or thereafter to become due to the contractor under the contract or otherwise or against or from the security deposit or the proceeds of sale thereof if the same is held in government securities the same or a sufficient portion thereof being in this case sold for the purpose. All materials so supplied to the contractor shall remain the absolute property of the board, and shall not be removed on any account from the site of the work and shall at all times open to inspection by the engineer-in-charge. Any such materials remaining unused and in perfectly good condition at the time of the completion or determination of the contract shall be returned to the engineer-in-charge at a place directed by him, if by a notice in writing under his hand he shall so require; but the contractor shall not be entitled to return such materials unless with such consent, and shall have no claim for compensation on account of any such materials so supplied to him as aforesaid not being used by him or for any wastage in or damage to any such materials provided that the contractor shall in no case be entitled to any compensation or damages on account of any delay in supply or non-supply thereof of all or any such materials and stores provided further that the contractor shall be bound to execute the entire work if the materials are supplied by the board within the scheduled time for completion of the work plus 50 percent thereof (scheduled time plus 6 months if the time of the completion of the work exceeds 12 months) but if a part only of the materials has been supplied within the aforesaid period, then the contractor shall be bound to do so much of the work as may be possible with the materials and stores supplied in the aforesaid period. For the rest of the work, the contractor shall have an option either to determine the contract in respect of that portion of the work or ask for extension of time.

खण्ड: 10 क: प्रभारी इंजीनियर को एसी सभी सामग्री की परिसर से हटाने को कहने का पूरा अधिकार होगा, जो उसकी सम्मति में विनिर्दिष्टताओं के अमुरुप नहीं है और ऐसा न किए जाने पर प्रभारी इंजीनियर सामग्री की हटाने के लिए अन्य व्यक्तियों को रखने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा और इस प्रकार की सामग्री में कोई हानि या क्षति होने पर वह उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होगा। प्रभारी इंजीनियर को उसके बदले में अन्य उपयुक्त सामग्रियां प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और यदि उसमें चूक होगी तो प्रभारी इंजीनियर उसकी आपूर्ति करने संबंधी कार्यवाही करेगा और इस प्रकार सामग्री हटाने तथा उसके स्थान पर बदले में सामग्री प्राप्त करने से संबंधित सारी लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

CLAUSE 10 A. The Engineer - in - charge shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which, in his opinion are not in accordance with the specifications & in cash of default the engineer-in-charge is to be at liberty to employ other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. the engineer-in-charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted therefor in case of default the engineer-in-charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution are to be borne by the contractor.

खण्ड 10 ख : ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर काम के निष्पादन की प्रगति के दौरान एसी सामग्रियों के अनुमानित मूल्य का ७५ प्रतिशत, जो प्रभारी इंजीनियर की सम्मति में टिकाऊ प्रकार की है और वे ठेके के अनुसार है तथा जो निर्माण के संबंधमें स्थल पर लाई गई है जो पर्याप्त ढंग से भंडार में रखी गई है और / या जो मौसम पर अन्य कारणों के प्रति सुरक्षित की गई है किन्तु जो अग्रिम मंजूरी के समय काम में सम्मिलित नहीं की गई थी, जिसके लिए अग्रिम राशि दी गई थी, दिए जाने की हकदार होगा जबकि इस

उपखंड के अधिन सामग्री के लिए उन्हें कार्य में सम्मिलित किया जाएगा और इस प्रकार दी गई अग्रिम राशि दस ठेके के किसी खंड या खंडों के अधिन दी जाने वाली अगली भुगतान राशि में से काट ली जाएगी।

CLAUSE 10 B. The contractor on signing an indenture in the form to be specified by the engineer-in-charge shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work 75 % of the estimated value of any materials which are in the opinion of the engineer-in-charge non perishable and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection there with and are adequately stored and/ or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the work, when materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work the amount of such advance shall be deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

खण्ड 10 ग : ठेकेदार यदि कार्य के दौरान कार्य में सम्मिलित किसी सामग्री का मूल्य जो इसके खण्ड 10 के अनुसार प्रभारी इंजीनियर के भंडार से आपूर्ति की जाने वाली सामग्री नहीं है और / या मजदूरी में किसी नए कानूनी या सांविधिक नियम या आदेश के लागू होने के सीधे परिणाम स्वरूप वृद्धि हो जाती है किन्तु वह विक्री कर में परिवर्तन के कारण नहीं है और इस प्रकार की मूल्य वृद्धि कार्य के लिए निविदा स्वीकार करने के समय प्रचलित मूल्य और/या मजदूरी से दस प्रतिशत से अधिक हो जाती है और ठेकेदार उसके पश्चात् आवश्यक रूप से एवं उपयुक्त ढंग से उस सामग्री का मूल्य भुगतान करता है जो कार्य में सम्मिलित है तो इस प्रकार बढ़ा हुआ मूल्य और/या काम के लिए लगाए गए मजदूरों के संबंध में वही हुई मजदूरी के अनुसार ठेके की राशि में वृद्धि की जाएगी और इसके साथ सदैव यह शर्त होगी कि इस प्रकार की देय वृद्धि मुख्य इंजीनियर की सम्मति में (जिसका निर्णय अन्तिम और बंधनकारी होगा) ठेकेदार के नियंत्रण के भीतर ठेके के इनपुट में देरी होने के कारण नहीं है।

CLAUSE 10 C. If during the progress of the works, the price of any materials incorporated in the work (not being a material supplied from the engineer-in-charge's stores in accordance with clause 10 hereof) and/ or wages of labour increase as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order (but not due to any changes in sales tax) and such increase exceeds ten percent of the price and/or wages prevailing at the time of acceptance of the tender for the work and the contractor there upon necessarily and properly pays in respect of that material (incorporated in the works) such increase price and/or in respect of labour engaged on the execution of the work such increased wages, then the amount of the contract shall accordingly be varied, provided, always that any increase so payable is not in the opinion of the chief engineer (whose decision shall be final and binding) attributable to delay in the execution of the contract within the control of the contractor.

यदि कार्य की प्रगति के दौरान कार्य में सम्मिलित किसी सामग्री का मूल्य (जो इसके खण्ड 10 के अनुसार प्रभारी इंजीनियर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री नहीं है) और या मजदूरों की मजदूरी में किसी नए कानून या सांविधिक नियम या आदेश के लागू होने के कारण (जो विक्री कर में कोई परिवर्तन होने के कारण नहीं हैं) कमी हो जाती है और इस प्रकार की कमी, काम के लिए निविदा स्वीकार करते समय प्रचलित मूल्य और/या मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक होती है तो बोर्ड कार्य में सम्मिलित की गई सामग्रियों के संबंध में (जो इसके खंड 10 के अनुसार प्रभारी इंजीनियर के भंडार से आपूर्ति की जाने वाली सामग्री नहीं है) और / या इस प्रकार के कानून, सांविधिक नियम या आदेश लागू होने के पश्चात् काम के निष्पादन में लगाए गए मजदूरों के संबंध में काम के लिए निविदा स्वीकार करते समय प्रचलित सामग्रियों के मूल्यों और/या मजदूरी में से उसका दस प्रतिशत घटाने और इस प्रकार के कानून, सांविधिक नियम या आदेश लागू होने पर सामग्रियों के मूल्य और/या मजदूरों की मजदूरी में पड़ने वाली अन्तर के बराबर की राशि घटाने का अधिकार बोर्ड को प्राप्त होगा।

If during the progress of the works, the price of any material incorporated in the works(not being a material supplied from the engineer-in-charge's stores in accordance with clause 10 hereof) and/or wages of labour is decreased as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order(but not due to any charges in sales tax) and such decrease exceeds ten percent of the prices and/or wages prevailing at the time of acceptance of the tender for the work, the board shall in respect of materials incorporated in the works(not being materials supplied from the engineer-in-charge's stores in accordance with clause 10 hereof and/or labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law, statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor such amount as shall be equivalent to difference between the price of materials and/or wages as they prevailed at the time of acceptance of tender for the work minus ten percent thereof and the price of materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule order.

ठेकेदार इस शर्त के अभिप्राय के लिए लेखे की ऐसी पुस्तके तथा अन्य दस्तावेज अखेगा जो दावा की गई वृद्धि की राशि और प्राप्य कमी प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होंगे और उन्हें बोर्ड के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण की अनुमति देगा और इससे आगे यह कि प्रभारी इंजीनियर के अनुरोध पर इस प्रकार रखे गए प्रलेखों को प्रभारी इंजीनियर की आवश्यकता के अनुसार जांच करने की अनुमति देगा और प्रभारी इंजीनियर द्वारा भागी गई अन्य सूचना उपलब्ध करेगा।

The contractor shall, for the purpose of this condition, keep such book of account and other documents as are necessary to show the amount of any increase claimed or reduction available and shall allow inspection of the same by a duly authorised representative of the board and further shall, at the request of the engineer-in-charge furnish, verified in a such manner as the engineer-in-charge may require, any documents so kept and such other information as the engineer-in-charge may require.

ठेकेदार इस प्रकार की किसी सामग्री और/या मजदूरी में परिवर्तन होने की जानकारी प्राप्त होने के उचित समय के भीतर सूचना प्रभारी इंजीनियर को यह सूचना देते हुए देगा कि यह सूचना इस शर्त के अनुसार दी जा रही है और उससे संबंधित सभी सूचना इस शर्त के अनुसार दी जा रही है और सभी सूचना देगा जिसे वह देने की स्थिति में होगा।

The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such material and/or wages of labour, give notice thereof to the engineer-in-charge stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in a position to supply.

खंड 10 घ : संरचनाओं को गिराने, काम के लिए खुदाई करने इत्यादि के दौरान प्राप्त सभी सामग्रियों को ठेकेदार बोर्ड की सम्पति समझेगा और इस प्रकार की सभी सामग्रियों का निपटान प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित अनुदेशों के अनुसार बोर्ड के सर्वोच्च हित में किया जाएगा।

CLAUSE 10 D. The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for work etc. as the board's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of board according to the instructions in writing issued by the engineer-in-charge.

Dismantled
Material
Board's
Property

विनिर्दिष्टताओं, ड्राइंगों,
आदेशों इत्यादि के
अनुसार कार्यनिष्पादित
किया जाना :

खंड - 11 : ठेकेदार संपूर्ण कार्य को तथा कार्य के प्रत्येक भाग को अत्यन्त ठोस रूप से तथा कार्य कुशलता के ढंग से एवं सामग्री तथा अन्यथा अन्य मामलों दोनों के हिसाब से विनिर्दिष्टताओं के कठोर अनुपालन के अनुसार निष्पादित करेगा। ठेकेदार डिजाइनों, ड्राइंगों तथा कार्य के संबंध में प्रभारी इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेशों का भी ठीक ढंग से पालन करेगा और ठेकेदार को विनिर्दिष्टताओं और उस सभी डिजाइनों, ड्राइंगों तथा अनुदेशों की एक प्रति, समय-समय पर लागू कंडला पोर्ट के न्यासी बोर्ड के कार्य के लिए विनिर्दिष्टताएं नाम के बोर्ड के संकलन में सम्मिलित नहीं हैं या ठेके में अन्य स्थान पर उल्लिखित सामान्य विनिर्दिष्टताओं के संबंध में मुद्रित प्रकाश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध की जाएगी।

Works to be executed in accordance with specifications, orders, drawings etc

CLAUSE 11. The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workman like manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the designs, drawings and instruction in writing in respect of the work signed by the engineer-in-charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the specifications, and all such designs, drawings and instructions as are not included in the board's compilation entitled "specifications for works of the board of trustees kandla port in force from time to time of any other printed publication on general specifications referred to elsewhere in the contract.

विनिर्दिष्टताओं तथा डिजाइनों में परिवर्तन :

खंड-12 : प्रभारी इंजीनियर को कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक मालूम होने पर मूल विनिर्दिष्टताओं ड्राइंगों, डिजाइनों तथा अनुदेशों में परिवर्तन करने तथा कुछ छोड़ देने, अतिरिक्त जोड़ने या बदले में करने इत्यादि का पूरा अधिकार होगा और ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दिए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा और इस प्रकार के परिवर्तन, छोड़ देने, अतिरिक्त जोड़ने तथा बदले में किए गए कार्य से ठेका अवैध नहीं होगा और कार्य के एक भाग के रूप में उपर विनिर्दिष्ट की भांति कोई भी परिवर्तन, अतिरिक्त और बदले में किए गए कार्य को करने का निर्देश दिए जाने पर ठेकेदार उसे सभी प्रकार से उन्हीं शर्तों पर करेगा जिनके संबंध में मुख्य काम में वह करने के लिए सहमत हुआ है। कार्य को पुरा करने के लिए समय में परिवर्तित, अतिरिक्त कार्य या बदले में किए जाने वाले कार्य मूल ठेके के कार्य के साथ उचित बैठने वाले अनुपात के अनुसार वृद्धि कर दी जाएगी और प्रभारी इंजीनियर का प्रमाणपत्र इस प्रकार की अधिकता के संबंध में अन्तिम होगा। इस प्रकार समय में वृद्धि की गई अवधि का 25 प्रतिशत और अधिक समय ठेकेदार को दिया जाएगा। इस खण्ड के अधिन इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन या बदले में किए गए कार्य की दर निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उनके संबंधित क्रम में निर्धारित की जाएगी :

Alterations in specifications and designs.

CLAUSE 12. The engineer-in-charge shall have original, specifications, drawings designs and instructions that may power to make any alteration in omissions from, additions to or substitutions for, that may appear to him to be necessary during the progress of the work, and the contractor shall carry out work in accordance with any instructions which may be given to him in writing signed by the engineer-in-charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall not invalidate the contract and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner above specified as part of the work shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects in which he agreed to do the main work. the time for the completion of work shall be extended in the proportion that the altered, additional or substituted work bears to the original contract work and the certificate of the engineer-in-charge shall be conclusive, as to such proportion over and above this, a further period to the extent of 25 per cent of the time so extended shall be allowed to the contractor. the rates for such additional, altered or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order;

- (i) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या बदले में किए गए कार्य के लिए दर कार्य के ठेके में निर्दिष्ट है तो ठेकेदार अतिरिक्त, परिवर्तित या बदले वाले को उसी दर पर करने के लिए बाध्य है जो कार्य के ठेके में निर्दिष्ट है,

If the rates for the additional, altered or substituted work are specified in the contract for the work, the contractor is bound to carry out the additional, altered or substituted work at the same rates as are specified in the contract for the work.

- (ii) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या बदले में किए जाने वाले कार्य की दरों का स्पष्ट रूप से प्राबधान नहीं किया गया है तो कार्य के ठेके में समान प्रकार के कार्य के लिए दी गई के आधार पर दरें निकाली जाएगी,

If the rates for the additional, altered or substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.

- (iii) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या बदले के कार्य में कोई ऐसा कार्य शामिल है, जिसके लिए काम से संबंधित निविदा में कोई दर निर्दिष्ट नहीं की गई है और जिसे निविदा की उसी श्रेणी के काम से प्राप्त जा सकता तो इस प्रकार के कार्य का घटा/जमा प्रतिशत, जिसमें निविदा में अंकित कुल कार्य की अनुमानित लागत से है, _____ दर्ज दरों पर किया जाएगा।

यहां लागू दर अनुसूची के नाम का उल्लेख करें।

If the rates for the additional, altered or substituted work includes any work for which no rate is specified in the contract for the work, cannot be derived from the similar class of work in the contract, then such work shall be carried out at the rates entered in* _____ minus /plus percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender.

* Here mention the name of the schedule of rate applicable.

- (iv) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या बदले के कार्य के लिए दर उपर्युक्त खण्ड (१) से (३) में निर्दिष्ट के अनुसार मालूम नहीं की जा सकती तो इस प्रकार कार्य के लिए दर उपर निर्दिष्ट बोर्ड की दर अनुसूची के आधार पर प्रतिशतता, जो निविदा में अंकित कुल राशि तथा निविदा किए गए कुल कार्य की अनुमानित राशि में होगी, घटा जमा के आधार पर, वशर्ते कि यह हमेशा कि यदि किसी विशेष भाग या भागों की दर, दर की अनुसूची में नहीं हैं तो इस प्रकार के भाग या भागों के लिए दर प्रभारी इंजीनियर द्वारा काम करते समय प्रचलित बाजार दर के आधार पर तय की जाएगी।

If the rates for the additional, altered or substituted work cannot be determined in the manner specified in clause (i) to (iii) above, then the rates for such work shall be worked out on the basis of the schedule of rates of the board specified above minus/ plus the percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the entire work put to tender, provided always that if the rate for a particular part or the parts of the item is not in the schedule of rates, the rate for such part or parts will be determined by the engineer-in-charge on the basis of the prevailing market rates when the work was done.

- (v) यदि परिवर्तित अतिरिक्त या बदले में किए गए कार्य के लिए दर उपरोक्त खण्ड (१) से ४ में निर्दिष्ट ढंग से निश्चित नहीं की जा सकती तो कार्य निष्पादन करने का आदेश प्राप्त करने के ७ दिनों के भीतर ठेकेदार प्रभारी इंजीनियर को इस श्रेणी के कार्य के लिए, लिए जाने वाले प्रभार के संबंध में अपनी इच्छा के संबंध में प्रभारी इंजीनियर को सूचित करेगा, जिसमें दावा की गई दर या दरों का विश्लेषण भी होगा और प्रभारी इंजीनियर बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर दर या दरों का निश्चय करेगा और उसी के हिसाब से ठेकेदार को भुगतान करेगा। तथापि, प्रभारी इंजीनियर को लिखित सूचना के द्वारा इस श्रेणी के कार्य के निष्पादन के अपने आदेश को रद्द करने तथा उसे अपने इच्छा के अनुसार उपयुक्त ढंग से कराने का अधिकार प्राप्त होगा किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस खण्ड में आने वाली मदों की दरों का फेसला न होने के वहाने से कार्य को स्थगित करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा,

If the rates for the aforesaid, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub-clause(i) to (iv) above, then the contractor shall, within 7 days of the date of receipt of order to carry out the work, inform the engineer-in-charge of the rate which it is his intention to

charge for such class of work, supported by the analysis of the rate or rates claimed, and the engineer-in-charge shall determine the rate or rates on the basis of prevailing market rates and pay to the contractor, by notice in writing, will be at liberty to cancel his order to carry out such class of work and arrange to carry it out in such manner as he may consider advisable. but under no circumstances, the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates of items failing under this clause.

- (vi) नीब से संबंधित मदों के मामलों को छोड़कर उपयुक्त (1) से (5) उपखंडों में उल्लिखित प्रावधान ठेके या बदले की मदों पर लागू नहीं होंगे जो निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रतिशतता से पृथक-पृथक मामलों में अधिक होंगे। (इसके पश्चात् आगे उन्हें अन्तर सीमा कहा जाएगा) इनमें निम्नांकित प्रतिबंध होंगे :

Except in case of items relating to foundations, provisions contained in sub-clause (i) to (v) above shall not apply to contractor substituted items as individually exceed the percent - age set out in the tender documents (referred to here in below as "deviation on limit)", subject to the following restriction:

- (क) उपर उल्लिखित अन्तर सीमा किए गए सभी आदेशित अतिरिक्त कार्यों/कटौतियों का शुद्ध प्रभाव बीजगणि योग है,
- (a) The deviation limit referred to above is the net effect(algebraical sum) of all additions and deductions and deductions ordered.
- (ख) किसी भी मामले में अतिरिक्त/कटौतियों (अंक गणित जोड़) के अन्तर सीमा के दुगुने से अधिक नहीं होगी,
- (b) In no case shall the additions (arithmetical sum) exceed twice the deviation limit.
- (ग) ठेके में सम्मिलित किसी विशेष कार्य की दो के संबंध में आदेश दिए गए अन्तर ठेके के संपूर्ण कार्य के मूल्य के जमा/घटा 50 प्रतिशत या अन्तर सीमा के आधे से, दोनों में से जो भी कम होगा, अधिक नहीं होगा,
- (c) The deviations ordered on items of any individuals trade included in the contract shall not exceed plus/minus 50 % of the value of that trade in the contract as a whole or half the deviation limit, whichever is less.
- (घ) ठेके में सम्मिलित विशेष किसी कार्य की मदों में वृद्धि का मूल्य अन्तर सीमा से १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (d) The value of additions of items of any individuals trade included in the contract shall not exceed 10 % or the deviation limit.

टिप्पणी : विशेष कार्य का अर्थ वे कार्य भाग हैं जिसमें अनुबंध से संलग्न मामलों की अनुसूची बाटी गई है या इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया गया है तो उपर निर्दिष्ट बोर्ड की दरों की अनुसूची के विशेष खंड है यथा-खुदाई तथा मिट्टी का काम, कंक्रीट, लकड़ी का काम तथा बढई गिरी इत्यादि।

Note: Individual trade means the trade sections which a schedule of quantities annexed to the agreement has been divided or in the absence of any such division, the individual sections of the board's schedule of rates specified above, such as excavation and earth work, concrete, wood work and joinery etc.

इस प्रकार के किसी कार्य की दरें, जिसमें नीब से संबंधित मदें सम्मिलित नहीं हैं, जो अन्तर सीमा से अधिक हैं, खंड 12 'क' में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

The rates of any such works except the items relating to foundations which is in excess of the deviation limit shall be determined in accordance with the provisions contained in clause 12A.

खण्ड १२ क : ठेके या बदली वाली मदों के मामलों में जिसमें नींव कार्य से संबंधित मदें सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यक्तिगत रूप से ठेके में निर्दिष्ट मात्रा की अन्तर सीमा से अधिक हो जाती है जिसे उपर्युक्त खण्ड १२ के अधीन ठेकेदार को करना पड़ता है तो ठेकेदार को कार्य समय आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर अन्तर सीमा से अधिक मामलों के लिए इस प्रकार की मदों के उपयुक्त विश्लेषण द्वारा समर्थित दरों में परिवर्तन का दावा करेगा, वावजूद इस तथ्य के कि इस प्रकार की मदों के लिए मुख्य कार्य के लिए निविदा में दरें मौजूद हैं या खण्ड १२ के उप खण्ड (२) के प्रावधान के अनुसार उन्हें निकाला जा सकता है और इसी प्रभारी इंजीनियर प्रचलित बाजार दर का ध्यान रखते हुए उनकी दरों में संशोधन कर सकता है और इसी प्रकार निश्चित की गई दर पर ठेकेदार को भुगतान कर दिया जाएगा। तथापि, प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार को लिखित सूचना देकर इस प्रकार बढ़ाए गए कार्य की मात्रा को निष्पादित करने के आदेश को रद्द करने के लिए पूर्ण अधिकार है और उसे अपनी इच्छानुसार उस कार्य को निष्पादित करने का प्रबंध करने की पूर्ण स्वतंत्रता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस खण्ड में आने वाली मदों की दरों का फैसला न होने के बहाने काम को स्थगित करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

CLAUSE 12 A . In the case of contract or substituted items which individually exceed the quantity stipulated in the contract by more than the deviation limit, except the items relating to foundation work, which the contractor is required to do under clause 12 above, the contractor shall within 7 days from the receipt of order, claim revision of the rates supported by proper analysis in respect of such items for quantities in excess of the deviation limit, non-with standing the fact that the rates for such items exist in the tender for the main work or can be derived in accordance with provisions of sub-clause (ii) of clause 12 and the engineer-in-charge may revise their rates, having regard to the prevailing market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so fixed. the engineer-in-charge shall however, be at liberty to cancel his order to carry out such increased quantities of work by giving notice in writing to the contractor and arrange to carry it out in such manner as he consider advisable. but, under no circumstances the contractor shall suspend the work on the plea of non-settlement of rates falling under this clause.

ठीक इससे पहले के अनुच्छेद के सभी प्रबधान उन मात्राओं के लिए मदों की दरों में कभी होने पर समान रूप से लागू होंगे तो अन्तर सीमा से अधिक होंगी, वावजूद इस तथ्य के कि इस प्रकार की दरें मुख्य कार्य की निविदा में वर्तमान हैं या ठीक इसके पूर्व खण्ड १२ के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुसार उन्हें निकाला जा सकता है और प्रभारी इंजीनियर प्रचलित बाजार दर पर ध्यान रखते हुए इस प्रकार की दरों में संशोधन कर सकता है।

All the provisions of the proceedings paragraph shall equally apply to the decrease in the rates of items for quantities in excess of the deviation limit, not with standing the fact that the rates for such items exist in the tender for the main work or can be derived in accordance with the provisions of sub-clause(ii) of the proceedings clause 12 and the engineer-in-charge may revise such rates having regard to the prevailing market rates.

खण्ड 13 : यदि काम के प्रारंभ हो जाने के पश्चात् किसी भी समय किसी भी कारण से निविदा में निर्दिष्ट किसी पूरे कार्य को करने की आवश्यकता बोर्ड नहीं समझता तो प्रभारी इंजीनियर लिखित रूप में ठेकेदार को इस तथ्य की सूचना देगा जो पूरे कार्य को निष्पादित करने में होने वाले लाभ के कारण किसी हर्जाने का भुगतान किए जाने का कोई दावा पेश नहीं करेगा किन्तु जिसे वह पूरा काम निष्पादित न करने के कारण नहीं प्राप्त कर सका, न ही मूल विनिर्दिष्टता, ड्राइंग, डिजाइन तथा अनुदेश में परिवर्तन किए जाने के कारण, जिससे कि मूल रूप में सोचे गए काम में कमी हो जाएगी, वह कोई हर्जाने का दावा कर सकेगा।

CLAUSE 13. If any time after the commencement of the work the board shall for any reason whatsoever not require the whole thereof as specified in the tender to be carried out, the engineer-in-charge shall give notice in writing of fact contractor who shall have no claim to any payment of compensation whatsoever on account of any profit of advantage which he might have derived from the execution of the work in full, but which he did not desire in consequences of the full amount of the works not having been carried out, neither shall he has any claim for compensation by reason of any alteration having been made in the original specifications, drawings, designs and instructions which shall involve any curtailment of the work as originally contemplated.

वसर्ते कि ठेकेदार को केवल स्थल पर वास्तव में और सचमुच में लाई गई सामग्री के जो कार्य को या उसके किसी भाग को छोड़ देने या उसमें कमी करने के कारण फालतू हो गई है, ढोने के प्रभार का भुगतान किया जाएगा किन्तु उसमें शर्त यह होगी कि प्रभारी इंजीनियर को इस प्रकार की सभी या कुछ सामग्री को उनके क्रय मूल्य पर या स्थानिय चालू दर पर, दोनों में से जो भी कम हो उस पर ले लेने का विकल्प होगा। यदि इस प्रकार का भंडार बोर्ड, के भंडार से निर्णयित किया गया है तो पर्यवेक्षकीय प्रभार तथा भंडार प्रभार के जारी किए जाने की दर अतिरिक्त वापस किया जाएगा।

No compensation for alteration in or restriction of work to be carried out.

Provided that the contractor shall be paid the charges on the cartage only of materials actually and bonafide brought to the site on the work by the contractor and rendered surplus as the result of abandonment or curtailment of the work or any portion there of and then taken back by the contractor, provided however, that the engineer- in- charge shall have in all such cases the option of taking over all or any such materials at there purchase price or at local current rates whichever may be less in the case of such stores and storage shall be refunded in addition to the issue rate of materials.

खराब काम के मामले में दी गई क्षति पूर्ति और की गई कार्यवाही

खण्ड 14 : यदि प्रभारी इंजीनियर या कार्य के प्रभारी उसके अधीनस्थ को यह जान पड़ेगा कि कोई कार्य अकुशल, अधूरी या गेर-कौशल वाली शिल्पकारी से या किसी घटिया विवरणवाली सामग्री से निष्पादित किया गया है या कोई सामग्री या वस्तु, जो कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा उपलब्ध की गई है, ठोस प्रकार की नहीं है या ठेका की गई से घटिया गुणता की है या अन्य प्रकार से ठेके के अनुसार नहीं नहीं है, तो लिखित रूप में प्रभारी इंजीनियर द्वारा, जिसने कार्य सामग्री या वस्तु विनिर्दिष्ट की है, कार्य पूरा होने के ६ महीने के भीतर शिकायत करने पर भले ही वह पास व प्रमाणित की गई हो इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए पुरे या उसके भाग, जैसा भी मामले के लिए आवश्यक होगा, या जैसा भी मामला होगा, सामग्री या वस्तु को, जो कि इस प्रकार निर्दिष्ट की गई है, हटा लेगा और दूसरी उचित तथा उपयुक्त सामग्री या वस्तु अपने स्वयं के प्रकार और लागत पर उपलब्ध करेगा और यदि और प्रभारी इंजीनियर द्वारा उसकी उपर बताई गई मां में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसा नहीं कर सकेगा तो ठेकेदार प्रत्येक दिन के लिए, जो दस दिन से अधिक नहीं होगा, निविदा में दर्ज आकलित राशि का एक प्रतिशत हजने का देनदार हो सकता है। यदि उसकी इस प्रकार की असफलता जारी रहती है और इस प्रकार की असफलता होने पर प्रभारी इंजीनियर कार्य को दुरुख कर सकता है, हटा सकता है तथा काम को निष्पादित कर सकता है या हटा सकता है या अन्यो को उसके स्थान पर स्थापित कर सकता है, जिस सामग्री या वस्तु के विषय में शिकायत होगी, जैसा भी मामला हो, वह सब प्रकार से ठेकेदार के जोखिम तथा व्यय पर होगी।

Action and compensation payable in case of bad work.

CLAUSE 14. If it shall appear to the engineer- in- charge or his subordinate in charge of the work, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship or with materials of any inferior description or that any materials or articles provided by him for the execution of the work are unsound or of quality inferior to that contracted for or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall on demand in writing which shall be made within six months of the completion of the work from the

Engineer-in-charge specifying the work, materials or articles complained of not withstanding that the same have been passed, certified forthwith rectify on remove and reconstruct the work so specified in whole or in a part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own proper charge and cost and the event of his failing to do within a period to be specified by the engineer-in-charge in his demand aforesaid, the contractor shall be liable to pay compensation at the rate of one percent on the estimated amount put to tender for every day not exceeding ten days, while his failure to do so shall continue and in the case of any such failure the engineer-in-charge may rectify or remove and re-execute the work or remove and replace with others, the materials or articles complained of as the case may be at the risk and expenses in all respects of the contractors.

निर्माण कार्य निरीक्षण के लिए खुला होगा : खण्ड 15 : सभी कार्य, जो निष्पादन के अधीन या दौरान है या ठेके के तहत निष्पादित किया गया है हमेशा प्रभारी इंजीनियर या उसके अधिकृत अधीनस्थो निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए खुला होगा और ठेकेदार सामान्य कार्य के घंटों के दौरान हर समय और अन्य समय में जबकि प्रभारी इंजीनियर या उसका अधनस्थ कार्य को देखने की इच्छा की उचित सूचना ठेकेदार को दी जाती है तो आदेशों का प्राप्त करने के लिए या तो ठेकेदार स्वयं उपस्थित रहेगा या इस अधिप्राय के लिए विधिवत् लिखित रूप में अधिकृत उसका एजेंट होगा । एजेंट के लिए गए आदेशों को स्वयं ठेकेदार को दिया गया आदेश माना जाएगा ।

Works to be open to inspection CLAUSE-15 All work under or in course of execution or executed in pursurance of the contract shall at all times be open to the inspection anc supervision of the engineer-in-charge and his authorised subordinates and the contractor shall at all times during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the inspection of the engineer-in-charge or his subordinate to visit the work shall have been given to the contractor, either be present to receive order and instructions or have a responsible agent, duly accreditda in writing present for that purpose. Orders given to the contractor's agent shall be considered to have the same in force as if they had been given to the contractor himself.

ठके गए कार्य की सूचना : खण्ड 16 : ठेकेदार कम से कम सात दिन की लिखित सूचना प्रभारी इंजीनियर या उसके अधीनस्थ को काम को ढकने या अन्य प्रकार से आर्डर दिए गए कार्य को माप से बाहर हो जाने वाले कार्य को मापने के लिए देना और उसे ढक जाने या माप के बाहर निकल जाने से पूर्व उसकी सही माप ली जाएगी और उसे वह प्रभारी इंजीनियर या कार्य के लिए उसके अधीनस्थ की स्वीकृति के बिना न तो वह काम को ढकेगा या माप की पहुंच से बहार करेगा । उपर्युक्त सात दिन के भीतर कार्य का निरीक्षण किया जाएगा और यदि कोई काम प्रभारी इंजीनियर की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ढक दिया जाएगा या माप के पहुंच के बाहर कर दिया जाएगा तो वह ठेकेदार के व्यय पर खोला जाएगा या ऐसा न करने पर इस प्रकार के काम या सामग्री के लिए जिससे वह काम निष्पादित किया गया है, कोई भुगतान नहीं किया जाएगा या उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

Notice to be given work is covered up CLAUSE 16. The contractor shall give not less than seven days notice in writing to the engineer-in-charge or his subordinate in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of any work in order that the same may be measured and correct dimension thereof be taken before the same is so covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond the reach of measurement, any work without the consent in writing of the engineer-in-charge or his subordinate in charge of the work shall within the aforesaid period of seven days inspect the work and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or engineer-in-charge's consent being obtained the same shall be uncoverd at the contractor's expense or in default, thereof No payment or allowance shall be made tor such work or the materials with which the same was executed.

खण्ड 17: यदि ठेकेदार या कार्यरत उसके आदमी या नौकर जिस भवन में कार्य कर रहे हैं, उसके किसी भाग को तोड़ते हैं, बिगाड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं या कोई भवन, सड़क, सड़क के घुमाव, बाड़धेरे, पानी के तल, केवुल, खाई, बिजली या टेलीफोन के खम्भे या तार, पेड़, घास के मैदान या परिसर से लगी हुई खेती की गई भूमि, जिस पर काम या उसका कोई भाग किया जा रहा है या काम की प्रगति के दौरान कोई क्षति पहुंचती है जो चाह किसी भी कारण से हो या कवम सड़क के अतिरिक्त कोई अन्य काम जिसकी लागत रु. 20,000 या कम हो में कोई खराबी, कमी या अन्य त्रुटी प्रभारी इंजीनियर द्वारा प्रमाणपत्र या अन्यथा उसकी सम्पूर्णता देने के पश्चात् जैसा की उपर कहा गया है, दिखाई पड़ती है जो त्रुटिपूर्ण या अनुपयुक्त सामग्री या शिल्पकारिता के कारण होती है तो इस संबंध में लिखित सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार अपने व्यय पर उसे ठीक करेगा या उसके न करने पर प्रभारी इंजीनियर उसे अन्य काम करने वाले से ठीक कराएगा और व्यय उस समय देय राशि में से या उसके पश्चात् कभी ठेकेदार को देय होने वाली राशि में से या उसकी जमानत की राशि या उपर्युक्त की विक्री से प्राप्त होने वाली राशि या उसके पर्याप्त भाग में से काट लेगा। ठेकेदार की जमानत सुरक्षा जमा राशि 6 महीने बीतने से पूर्व सड़क के काम के अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिए, जिसकी लागत रु. 20,000 या कम है, 3 महीने जो अन्तिम प्रमाणपत्र या अन्यथा काम की समाप्ति, अन्तिम बिल तैयार किए जाने के पश्चात् दोनों में से जो बाद में घटित होगा, उस तक वापस नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि सड़क के काम के मामले में यदि प्रभारी इंजीनियर की सम्मति ठेकेदार द्वारा ठेके अधीन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए जमानत का आधा भाग पर्याप्त है तो तीन महीने के पश्चात् जमानत जमा की आधा भाग वापस कर दिया जाएगा और शेष आधा भाग उपर्युक्त सम्पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने या अन्तिम बिल तैयार करने तथा उसे पास करने के 6 महीने के पश्चात् दोनों में से जो भी तिथि में पड़ती हो, के पश्चात् वापस किया जाएगा।

Contractor liable for damage done and for imperfection noticed with in the prescribed maintenance period after the certificate.

CLAUSE.17 If the contractor or his working people or servant shall break, aeface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road kerb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone pos or wires, trees, or grass land, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part of it being executed or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatever if any defect, shrinkage or other faults appear in the work other than road work costing Rs. 20,000/- and below after a certificate or otherwise of its completion shall have been given by the engineer-in-charge as aforesaid arising out of defective or improper materials or workmanship, the contractor shall upon receipt of a notice in writing on behalf make the same good at his own expense or in default the engineer-in-charge may cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor or from his security deposit or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. the security deposit of the contractor shall not be refunded before the expiry of six months(three months in the case of any work other than road work costing Rs. 20.000/- and below) after the issue of the certificate final or otherwise of completion of work or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. provided that in the case of road work if in the opinion of the engineer-in-charge, half of the security deposit is sufficient to meet all the liabilities of the contractor under his contract, half of the security deposit will be refundable after three months and the remaining half after six months of the issue of said certificate of completion or till the final bill has been prepared and passes whichever is later.

सभी संयंत्र, सीढ़ियां पाड़ इत्यादि की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा :

खण्ड 18: ठेकेदार अपने व्यय पर सभी सामग्री उन विशेष सामग्रियों को छोड़कर, जो प्रभारी इंजीनियर के भंडार से ठेके के अनुसार दी जाने वाली है, यदि कोई है तो संयंत्र, औजार, उपकरण, आवश्यक साधन, सीढ़ियाँ, रस्सी, कील-कांटे, पाड़ा, तथा काम की अस्थायी अपेक्षाएं या काम के उचित ढंग से निष्पादन के लिए उपयुक्त

Contractor to supply all plant ladders scaf-foldings, etc.

विनिर्दिष्टता में सम्मिलित या अन्य प्रलेखों में सम्मिलित हो, जो ठेके के भाग है या इन शर्तों में जिनका जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है या किसी ऐसे मामले का, जो प्रभारी इंजीनियर को संतुष्ट करने या उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, जिनके लिए इन शर्तों के अधीन यह संतुष्ट किए जाने का पात्र है या जिन्हें प्राप्त करने का वह पात्र है, उसे कार्य तक लाने और वहाँ से ले जाने तक भाड़े सहित ठेकेदार द्वारा आपूर्ति तथा उपलब्ध किया जाएगा। ठेकेदार बिना किसी प्रभार के अपेक्षित संख्या में सहित साधन तथा सामग्री के प्रारंभ करने, हई गिनती, वजन तथा माप और समय-समय पर काम तथा सामग्री की जांच में सहायता करने के लिए किसी भी समय आपूर्ति करेगा यदि ऐसा नहीं कर सकेगा तो वह प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के व्यय पर उपलब्ध कराया जाएगा और व्यय ठेके के अधीन ठेकेदार को देष राशि या उसकी जमानत जमा राशि या विक्री से प्राप्त राशि या उसके पर्याप्त भाग में से काट लिया जाएगा।

CLAUSE 18. The contractor shall supply and provide at his own cost all materials (except such special materials, if any, as may in accordance with the contract be supplied from the engineer-in-charge's stores), plant tools, appliances, implements, ladders, cartage, tackle, scaffolding and temporary work required for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specification or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the engineer-in-charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied or which he is entitled to require together with carriage there to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works and counting, weighing and assisting the measurement or examination at any time and from time to time of the work or materials, failing his so doing the same may be provided by the engineer-in-charge at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor under the contract and / or any from his security deposit or the proceeds of sale thereof sufficient portion thereof.

खण्ड 18 क : प्रत्येक मामले में, जबाके कामदार क्षतिपूर्ति अधिनियम १९२३ की धारा 12, उपधारा, (12) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ठेकेदार द्वारा रखे गए कामगारों को क्षति पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा, बोर्ड इस प्रकार की दी गई क्षति पूर्ति की राशि ठेकेदार से काट लेगा और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12, उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अधिकारों के प्रति बिना कोई पूर्वाग्रह के बोर्ड इस राशि या उसका कोई भाग जमानत की राशि या ठेकेदार को बोर्ड द्वारा देय किसी राशि में से जो इस ठेके के अधीन या अन्यथा हो, बोर्ड को काटने का अधिकार प्राप्त होगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12, उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के विरुद्ध किए गए किसी दावे का विरोध करने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है, किन्तु ठेकेदार के लिखित अनुरोध और इस प्रकार के दावे को प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप बोर्ड पर पडने वाली सभी लागतों को बोर्ड को पूरी सुरक्षा देना उसका अपवाद होगा।

CLAUSE 18.A. In every case in which by virtue of the provisions of section 12 sub-section(1) of the workmen's compensation act. 1923 the board is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the work, the board will recover from the contractor the amount of the compensation so paid; and without prejudice to the rights of the board under section 12, sub-section (2) of the said act. the board shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by the board to the contractor. whether under this contract or otherwise. the board shall not be bound to contest any claim made against it under section 12, sub- section (1) of the said act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the board full security for all costs for which the board become liable in consequence of contesting such claim.

खण्ड 19 : छावनी के अधीन कोई महिला श्रमिक नहीं रखी जाएगी ।

CLAUSE 19. No female labourer shall be employed within the limits of cantonment.

श्रमिक खण्ड 19 क : काम के लिए कोई भी श्रमिक, जिसकी आयु चौदह वर्ष से कम है नहीं रखा जाएगा ।

Labourer **CLAUSE 19 A.** No labourer below the age of fourteen years shall be employed on the work.

उचित मजदूरी खण्ड 19 ख : श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान :
खण्ड

(क) काम के लिए उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों को ठेकेदार उचित मजदूरी से कम से कम नहीं देगा ।

Fair wage clause **CLAUSE 19 B.** Payment of wages to labourers (a) the contractor shall pay not less than fair wage to labourers engaged by him on the work.

स्पष्टीकरण : 'उचित मजदूरी' का अर्थ यह है कि क्या काम के लिए निविदा आमंत्रित करते समय कार्य के या भाग के लिए मजदूरी अधिसूचित की गई है और जहां इस प्रकार मजदूरी अधिसूचित नहीं की गई है, बोर्ड द्वारा जिले के लिए, जिसमें काम किया जाता है, संबंधित क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक संबंध व्यवस्था के अधिकारियों की सलाह से अधिसूचित / निर्धारित की जाएगी और वह उसी क्षेत्र में उसी प्रकार के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों की श्रेणी के लिए बोर्ड द्वारा निश्चित मजदूरी की अधिकतम दर से कम नहीं होगी,

Explanation 'Fair wage' means wage whether for time or piece work notified at the time of inviting tenders for the work and where such wages have not been so notified the wages prescribed by the board for the district in which the work is done, it will be notified prescribed by the board in consultation with the officers of the industrial relations machinery located in the respective areas and will not be less than the maximum rates of wages fixed by the board for that class of employee engaged on the same type of work in the same area.

(ख) ठेकेदार द्वारा किसी ठेके में विपरित प्रावधान होने के बावजूद अपरोक्ष रूप से काम में लगे मजदूरों को यह मानकर उचित मजदूरी दिलाई जाएगी, इसमें काम के संबंध में उसके उप ठेकेदारों द्वारा मजदूरी पर लगाए मजदूर सम्मिलित हैं कि मजदूर सीधे उसी के द्वारा काम पर लगाए गए हैं,

(b) The contractor shall notwithstanding the provisions of any contract to contrary, cause to be paid fair wage to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub contractors in connections with the said work as if the labourers had been immediately employed by him.

(ग) इस समझौते के ठेकेदार के भाग के निष्पादन के लिए काम में परोक्ष या अपरोक्ष रूप में लगाए गए सभी मजदूरों के संबंध में ठेकेदार समय-समय पर बोर्ड द्वारा मजदूरी का भुगतान, मजदूरी की अवधि, मजदूरी से कटौती, भुगतान की गई मजदूरी की काटना तथा अनधिकृत ढंग से की गई कटौती की वसूली, मजदूरी पुस्तक, मजदूरी पर्ची का अनुरक्षण, मजदूरी के पैमाने का प्रमाणन तथा रोजगार देने, निरीक्षण की अन्य शर्तें एवं नियत कालिक विवरण प्रस्तुत करना तथा इसी प्रकार के अन्य सभी मामलों के संबंध में बोर्ड के ठेकेदार के मजदूर विनियमों का पालन करेगा या कराएगा ।

(c) in respect of all labour directly employed in the works for performance of the contractor's part of this agreement the contractor shall comply with or clause to be complied, with the Board's Contractor's Labour Regulations made by Board from time to time in regard to payment of wage period, deductions from wages recovery of wages not paid and deductions

unauthorizedly made maintenance of wage books, wage slips, publication of scale of wages and other terms of employment inspection and submission of periodical returns and all other matters of alike nature.

- (घ) संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को कामदार के लाभ के लिए ठेके की शर्तों के पूरा न होने के कारण मजदूर या मजदूरों को होनेवाली हानि को पूरा करने, मजदूरी का भुगतान न करने या उसकी या उनकी मजदूरी से ऐसा कटौतियों के कारण, जो ठेके की शर्तों के अनुसार तर्क संगत नहीं है, विनियमों को न मानने के कारण हो वाली हानियों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि या आवश्यकता के अनुसार आकलित राशि ठेकेदार को देय राशियों में से काटने का अधिकार होगा,
- (d) The Executive Engineer Concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non fulfilment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, nonpayment of wages or deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non observance of the regulations.
- (ड.) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ तथा न्यूनतम मजदूरी केन्द्रीय नियम १९५० के प्रावधानों के अधीन कामों में परेक्ष या अपरेक्ष रूप से लगाए गए मजदूरों को छः दिन निरंतर काम करने पर एक दिन की छुटी देने के लिए या दिलाने के लिए ठेकेदार बाध्य है और मजदूरी उसी दर पर देगा जो काम पर रहने पर दी जाती है। ऐसा न करने पर प्रभारी इंजीनियर या उसके अधीनस्थ को किसी मजदूर को साप्ताहिक छुटी के लिए न दी गई राशि या राशियों को इंजीनियर या उसके संबंधित अधीनस्थों द्वारा ठेकेदार को देय राशि में से देने का अधिकार प्राप्त होगा,
- (e) Under the provisions of minimum wages Act 1948 and the minimum wages (central) rules, 1950 the contractor is bound to allow or cause to be allowed to the labourers directly or indirectly employed in the works one day's rest for six days continuous work and pay wages at the same rate as for duty In the event of default the engineer-in-charge or his subordinate shall have the right to deduct sum or sums not paid on account of wages for weekly holiday to any labourer and pay the same to the persons entitled thereto from any money due to the contractor by the engineer or his subordinate concerned.
- (च) बोर्ड की तुलना में मुख्य रूप से ठेकेदार, उसके उप-ठेकेदारों से क्षति पुर्ति के दावे पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, उपर्युक्त विनियमों के परिपालन के लिए तथा उनके अधीन किए जाने वाले भुगतानों के प्रति उत्तरदायी होगा,
- (f) Vis-a-vis the board the contractor shall be primarily liable to all payment to be made under and for the observance of the regulations aforesaid without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.
- (छ) उपर्युक्त विनियम इस ठेके के भाग समझे जाएंगे और उसका उलंघन ठेके का उलंघन माना जाएगा।
- (g) The regulations aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be breach of this contract.

खण्ड 19 ग : इस समझौते के ठेकेदार के भाग के निष्पादन के लिए काम में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लगाए गए सभी महदूरों के संबंध में ठेकेदार समय-समय पर निर्मित बोर्ड की सुरक्षा संहिता के अनुसार सुरक्षा प्रावधानों का अपने निजी व्यय पर प्रबंध करेगा और उसके संबंध में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करेगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्त प्रबंध करते और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करने में असफल रहता है तो प्रत्येक कमी के लिए उसे रु.२०० का जुर्माना देना होगा और इसके अतिरिक्त प्रभारी इंजीनियर उपर्युक्त की भांति प्रबंध करने तथा सुविधाओं को उपलब्ध करने और इस संबंध में किए गए व्यय को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

CLAUSE 19 C. In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of the agreement, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provisions as per board's safety code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith in case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty of Rs.200/- for each default and in addition, the engineer-in-charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from the contractor.

खण्ड 19 घ: ठेकेदार प्रत्येक महीने की चौथी तथा १९वीं तिथि को प्रभारी इंजीनियर को एक वास्तविक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें ठीक बीते हुए पिछले महीने के द्वितीय अर्ध और, चालू महीने के प्रथम अर्ध के संबंध में क्रमशः (१) उसके द्वारा का पर लगाए गए महदूरों की संख्या (२) उनके कार्य घटों (३) उन्हें दी गई महदूरी (४) उल्लिखित पखवाड़े में होने वाली दुर्घटाएं, उन परिस्थितियों का वर्णन होगा, जिनमें घटनाएं हुई तथा उनके द्वारा होनेवाली क्षति तथा चोट का परिमाण तथा (५) महिला कामगारों की संख्या, जिन्हें खण्ड १९ च के अनुसार णसूति सुविधाएं दी गई तथा उन्हें दी गई राशि, ऐसा न होने पर या प्रसूति विवरण गलत होने पर ठेकेदार को एक राशि, जो रु. २०० से अधिक नहीं होगी, प्रत्येक कमी के लिए देनी होगी। जुर्माना के रूप में लगाए गए धन के संबंध में ठेकेदार के बिल से काटी जाने वाली राशि के संबंध में कार्यपालक इंजीनियर का निर्णय अन्तिम होगा।

CLAUSE 19 D. The contractor shall submit, by the 4th and 19th of every month, to the engineer-in-charge a true statement , showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month, respectively (1) the number of labourers employed by him on the work, (2) their working hours, (3) wages paid to them, (4) the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them and (5) the number of female workers who have been allowed maternity benefit according to clause 19 f and the amount paid to them failing which the contractor shall be liable to pay to the board, a sum not exceeding Rs.200/- for each default for materially incorrect statement. the decision of the executive engineer shall be final in deducting from any bill due to the contractor the amount levied as fine.

खण्ड 19 ड : इस सनझौते के ठेकेदार के भाग के निष्पादन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से काम पर कगाए गए सभी मजदूरों के संबंध में ठेकेदार समय-समय पर सरकार या बोर्ड द्वारा तथा उसके ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए कामदारों के स्वास्थ्य तथा सफाई व्यवस्था के संरक्षण के लिए निर्मित सभी नियमों का ठेकेदार प्रतिपालन करेगा या करवाएगा।

CLAUSE 19 E. In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by government or the board from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the board and its contractors.

खण्ड 19 च : छुटी के दौरान छुट्टी तथा वेतन निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा।

ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाई गई महिला कामदारों के लिए प्रसूति सुविधा के नियम:

Maternity benefit
rules for female
workers
employed
by contractors

CLAUSE 19 F. Leave and pay-during leave shall be regulated as follows :-

1. छुटी

- (i) बच्चा होने के मामले में छुटी जो 8 सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

बच्चा होने के दिन सहित बच्चा होने के पूर्व तक 4 सप्ताह और उसके पश्चात के दिन से 4 सप्ताह

1. **Leave**

In case of delivery, maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day.

- (ii) गर्भपात होने के मामले में गर्भपात की तिथि से 3 सप्ताह तक।

In the case of miscarriage- upto 3 weeks from the date of miscarriage.

2. वेतन :

- (I) बच्चा होने के मामले में : प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी का वेतन महिला की औसत दैनिक मजदूरी की दर से, जिसका हिसाब महिला द्वारा यह सूचना कि उसे बच्चा होने की आशा है, देने की तिथि से ठीक पहले तीन महीने की अवधि के दौरान के दिनों में पूर्ण कालिक काम किए जाने पर कमाई गई कुल मजदूरी पर या प्रतिदिन ७५ रुपये की दर पर, दोनों में से जो भी अधिक होगा, उसकी मजदूरी में उस हिसाब से लगाया जाएगा,

2. **Pay:**

In case of delivery-leave pay during maternity leave will be at the rate of the woman's average daily earnings, calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of rupees one only a day whichever is greater.

- (ii) गर्भपात के मामले में इस प्रकार के गर्भपात होने की तिथि से ठीक पूर्व 3 महीने की अवधि के दौरान के दिनों में पूर्ण कालिक काम करने पर कमाई गई कुल मजदूरी के हिसाब से औसत दैनिक मजदूरी की दर पर छुट्टी का वेतन।

In case of miscarriage-leave pay at the rate of average daily earnings calculated on the wages earned on the days when full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date of such miscarriage.

3. प्रसूति छुट्टी स्वीकार करने के लिए शर्तें : किसी महिला को प्रसूति छुट्टी की सुविधा तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि छुट्टी पर जाने की तिथि से ठीक पूर्व काम पर लगे रहने को कुल अवधि 6 महीने से कम न हो।

Condition for the grant of maternity leave-no maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than 6 months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

खण्ड 19 छः यदि ठेकेदार समय-समय पर संशोधन बोर्ड के ठेकेदारों के मजदूर विनियमों तथा मजदूरों के लिए स्वास्थ्य एवं सफाई प्रबंध के संरक्षण के लिए नियमों के किसी प्रावधान में चूक बरतता है या उलंघन करता है या कोई सूचना प्रस्तुत करता है या उपर्युक्त विनियमों यथा नियमों के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करता है, जो तथ्यात्मक द्रष्टि से गलत है तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले ही, बोर्ड को प्रत्येक

चूक, उलंघन या तथ्य की द्रष्टि से गलत विवरण प्रस्तुत करने, वयान करने, फाइल करने के लिए प्रत्येक चूक या उलंघन के लिए उस पर बोर्ड को एक राशि देने का दायित्व होगा जो 200/- रु. से अधिक नहीं होगी और यदि इस मामले में ठेकेदार से निरंतर चूक होती रहेगी दो जुर्माने की राशि चूक के लिए बढ़ाकर 200/- रु. प्रतिदिन कर दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि निविदा में काम के लिए आकलित लागत का ५ प्रतिशत होगी। प्रभारी इंजीनियर का निर्णय पार्टियों के लिए अन्तिम और बंधनकारी होगा। यदि प्रभारी इंजीनियर को इस बात का पता चलता है कि ठेकेदार ठेकेदारों उनके द्वारा काम पर लगाए गए कामदारों के स्वास्थ्य तथा सफाई प्रबंध के माडल नियमों को अब इसके बाद उपर 'कथित नियम' कहा जाएगा उपर्युक्त ढंग से नहीं मान रहा है रहे है तथा उनका परिपालन नहीं कर रहा है रहे है तो प्रभारी इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदारों को यह लिखित सूचना दे कि उपर कथित नियमों का परिपालन किया जाना चाहिए और उनमें निर्धारित सुविधा कामगारों को उचित समय के भीतर, जिसका परिपालन करने के लिए सूचना में अवधि उल्लिखित होनी चाहिए, उपलब्ध की जानी चाहिए।

CLAUSE 19 G. In the event of the contractor (s) committing a default or breach of any of the provisions of the board's contractor's labour regulations and model rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above regulations and rules which is materially incorrect, he/they shall without prejudice to any other liability, pay to the board a sum not exceeding Rs 200/- for every default breach or furnishing, making, submitting filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor (s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs 200/- per each day of default subject to a maximum of 5 percent of the estimated cost of the work put to tender. the decision of the engineer-in-charge shall be final and binding on the parties

यदि ठेकेदार ठेकेदार लोग सूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर उनका परिपालन करने तथा उपर कथित नियमों का परिपालन करने में असफल रहता है (रहते है) तो प्रभारी इंजीनियर को उपर अंकित सुविधाओं को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर उपलब्ध कराने का अधिकार होगा। ठेकेदार (ठेकेदार लोग) के निष्पादन के संबंध में खलि पर अपने कामगारों के लिए अपने व्यय पर तथा स्वीकृत मानक की सभी आवश्यक झोंपडियों की सफाई के प्रबंध को उपलब्ध कराएगा, बनाएगा और उनका रख/रखाव करेगा और यदि वह स्वीकृत मानव के अनुसार निष्पादित नहीं किया गया है या बनाया नहीं गया है तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) को इस बात की लिखित सूचना देने का अधिकार होगा कि यह उपर कथित झोंपडियों तथा सफाई के प्रबंधों को माडल के अनुसार ठीक करे और यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) सूचना में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर इस प्रकार की झोंपडियों तथा सफाई प्रबंधों को स्वीकृत मानव के अनुसार फिर से मांडल करने या फिर से बनाने में असफल रहता है (रहते है) तो प्रभारी इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) की लागत पर इस प्रकार की झोंपडियों तथा सफाई प्रबंध को स्वीकृत मानकों के अनुसार फिर से माडल करने का अधिकार होगा।

Should it appear to the engineer-in-charge that the contractor (s) is/are not properly observing and complying with the model rules for the protection of health and sanitary arrangements for work-people employed by the contractor (s) (hereinafter referred as "the said rules") the engineer-in-charge shall have power to give notice in writing to the contractor (s) requiring that said rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work people within a reasonable time to be specified in the notice. if the contractor (s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and observe the said rules and to provide the amenity to the work people as aforesaid. the engineer-in-charge shall have the power to provide the amenities herein before mentioned at the cost of the contracts the contractor's shall erect, make and maintain at his/their own expenses and to the approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required for his/ their work-people on the site in connection with the execution of the works and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards, the engineer-in-charge shall have power to

give notice in writing to the contractor (s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodeled and/ or reconstructed according to approved standards and if the contractor (s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to standards within the period specified in the notice the engineer-in-charge shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

खण्ड 19 ज: ठेकेदार (ठेकेदार लोग) अपनी लागत पर अपने कामगारों के लिए पर्याप्त झोंपडियां (इसके पश्चात उन्हें कैम्प नाम से संबोधित किया जाएगा) निर्मलिखित विनिर्दिष्टताओं की प्रभारी इंजीनियर द्वारा स्वीकृति किए गए स्थल पर उपलब्ध कराएगा (करायेगे)

CLAUSE 19 H. The contractor(s) shall at his\their own cost provide his\their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the camp) of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Engineer-in-charge.

- 1 (क) इस प्रकार की झोंपडी की न्युनतम उंचाई आंख की सीध में ७ फूट होगी और उसके फर्श का क्षेत्र फल, जो उपलब्ध किया जाएगा, ३० वर्ग फुट मजदूर के साथ रहने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए होना चाहिए,
- (a) The minimum height of each hut at the eaves level shall be 7 ft. and the floor area to be provided will be at the rate of 30 sq. ft. for each member of worker's family staying with the labourer
- (ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार (ठेकेदार लोग) खाना बनाने का उपर्युक्त स्थान बनाएगा (बनाएंगे) जिसका क्षेत्रफल प्रत्येक परिवार की झोंपडी से सटा हुआ 6x5 होगा,
- (b) The contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 6'x5' adjacent to the hut for each family
- (ग) ठेकेदार (ठेकेदार लोग) मजदूरों के इसतेमाल के लिए अस्थायी पाखाने तथा पेशाबघर भी बनाएगा जिसका मानदंड कामगारों की कुल संख्या के प्रत्येक एक सौ के लिए चार से कम नहीं होगा। महिलाओं के लिए अलग पाखाना तथा पेशाबघर बनाए जाएंगे,
- (c) The contractor(s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.
- (घ) ठेकेदार (ठेकेदार लोग) स्नान घर तथा कपडा धोने का स्थान पर्याप्त संख्या में बनाएगा, जो कैम्प में रहनेवाले प्रत्येक २५ व्यक्तिक के लिए एक इकाई से कम नहीं होगा। इन स्नानघरों तथा कपडा धोने के स्थानों की उचित ढंग से छान-बीन की जाएगी।
- (d) The contractor(s) shall construct sufficient number of bathing and washing places, one unit for every 25 persons residing in the camp. these bathing and washing places shall be suitably screened.
- 2 (क) सभी झोंपडियों की दीवारें धूप में सूखी या पकी हुई ईंटों की होनी चाहिए जो मिट्टी के गार यज्ञ किसी अन्य उपर्युक्त सामग्री से बनी होनी चाहिए जो प्रभारी इंजीनियर द्वारा स्वीकृत होगी। धूप से सूखी ईंटों के मामले में दीवारें दोनों और मिट्टी गोबर से प्लास्टर होनी चाहिए। फर्श कचा हो सकता है। किन्तु उसे मिट्टी-गोबर से प्लास्टर होना चाहिए और आसपास की जमीन से कम-सेकम

६ इंच उपर होना चाहिए। छत फूस की या प्रभारी इंजीनियर द्वारा स्वीकृत की गई किसी अन्य वस्तु की होनी चाहिए और ठेकेदार हो यह सुनिश्चित करना होगा कि महदूरों के रहने की मारी अवधि में उन में से पानी न टपकता हो,

- (a) All the huts shall have walls of sun-dried or burnt bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the engineer-in-charge. in the case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobri on both sides. The floor may be katcha but plastered with mud gobri shall be at least 6 " above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatched or any other materials as may be approved by the engineer-in-charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their accupation, the roofs remain water tight .
 - (ख) ठेकेदार ठेकेदार लोग प्रत्येक झोंपडी में रोशनदान की उपर्युक्त व्यवस्था कराएंगे।
 - (b) The contractor (s) shall provide each hut with proper ventilation.
 - (ग) सभी दरवाजों, खिडकियों तथा रोशनदानों में सुरक्षा के लिए उपर्युक्त पतियों की व्यवस्था की जाएगी,
 - (c) All doors windows and ventilators shall be provided with suitable leaves for secutiity purposes.
 - (घ) झोंपडियों की कतारों पे कम से-कम ८ गज की खुली जगह रखी जाएगी जिसे प्रभारी इंजीनियर की स्वीकृति से स्थान प्राप्यता के अनुसार कम करके २० फुट तक किया जा सकता है। एक के पिछले हिस्से को जोडकर (वैक टु वैक) निर्माण की अनुमति होगी।
 - (d) There shall be kept an open space at least 8 yards between the row of huts which may be reduced to 20 ft. According to the availability of site with the approval of the engineer-in-charge, back to back construction will be allowed.
3. जल-आपूर्ति : ठेकेदार लोग मजदूरों के इसतेमाल के लिए पर्याप्त जल का आपूर्ति उपलब्ध कराएगा (कराएंगे) यह प्राबधान पीने के लिए शुद्ध जल तथा स्वास्थ्यकर जल प्रति दिन २ गैलन तथा महाने एवं कपडा साफ करने के लिए के लिए साफ पानी ३ गैलन प्रतिदिन से कम नहीं होगा। जहां पर नल के पानी की अपूर्ति खुले नल के सीनों पर की जाएगी और जहां कुओ या नदीयों से पानी की आपूर्ति की जाती है, टंकी का, जो धातु या मेसनरी होगीए प्रावधन किया जाएगा। ठेकेदार लोग जहां कही उपलब्ध होगी, वर्तमान मुख्य पाइप लाइन से अपने मजदूरों के कैम्प को जल-आपूर्ति करने के लिए अपने व्यय पर पाइप लाइन बिछाएगा और उसके लिए सभी शुल्कों तथा प्रभारों को अदा करेगा।
3. **Water Supply :-** The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. the provisions shall not be less than 2 gallons of pure and whole some water per head per day for drinking purposes and 3 gallons of clean water per head day for bathing and washin purpose,where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply is from wells or rivers, tanks which may be of metal or masonary, shall be provided, the contractor (s) shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/their labour camp from the existing main wherever available and shall pay all fees an charges therefor.
4. कैम्प के लिए चुना गया स्थान उची जमीनों पर जंगलो साफ किया होना चाहिए।
4. The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle
5. मल-मूत्र का निपटान : ठेकेदार (ठेकेदार लोग) पाखाने से मल-मूत्र खाई द्वारा आगे निपटान करने या उसे जलाने का आवश्यक प्रबंध करेगा, जो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होगा। यदि खाई में दवाने या जलाने की अनुमति नहीं है तो ठेकेदार (ठेकेदार लोग) नगर पालिका समिति/प्राधिकरण द्वारा मल-मूत्र को हटवाने की व्यवस्था करेगा और नगर पालिका को काम पर रखे गए मजदूरों संख्या सूचित करेगा जिससे कि इस प्रका की नगर पालिक समिति/प्राधकरण द्वारा मल-मूत्र हटाने की व्यवस्था की जाए। इसके कारण होने वाले सभी प्रकार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएगी और उनका भुगतान वह सीधे नगर पालिका प्राधिकरण को करेगा। सूखा पाखाना पद्धति के बारे में प्रत्येक ८ सीट के लिए एक सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।

5. Disposal of Excreta : The contractor (s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according the requirements laid down by the local health authorities. if trenching or incineration is not allowed, the contractor (s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the municipal committee/ authority and inform it about the number of labourers employed that arrangements may be made by such committee/ authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to municipality/ authority. The contractor shall provide one sweeper for every 8 seats in case of dry system.
6. मल-मूत्र निकासी : ठेकेदार (ठेकेदार लोग) मल-मूत्र की निकासी के लिए कार्य-कुशल प्रबंध करेगा जिससे कैम्प साफ सुथरा तथा सुव्यवस्थित पड़े ।
6. Drainage : The contractor(s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.
7. ठेकेदार (ठेकेदार लोग) कैम्प में पर्याप्त रोशनी करने की व्यवस्था करेगा/करेगी, जिससे कामगार दुर्घटनाओं से बच सकें ।
7. The contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently, lighted to avoid accidents to the workers.
8. सफाई व्यवस्था : ठेकेदार (ठेकेदार लोग) मजदूरों के कैम्पों में स्थानीय लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अधिकारियों के नियमानुसार मल सफाई व्यवस्था तथा सफाई का प्रबंध करेगा ।
8. Sanitation : The contractor (s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the local health and medical authorities.

खण्ड (19 झ) प्रभारी इंजीनियर ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उनकी अक्षमता या दुराचरण के कारण ठेकेदार को उसे वर्खास्त करने या काम के स्थल से हटाने के लिए कह सकता है और ठेकेदार इस प्रकार की अपेक्षा का फौरन ही अनुपालन करेगा ।

CLAUSE 19. The Engineer-in-charge may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractor's employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements.

खण्ड 20: ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और उसके निर्मित नियमों तथा अन्य श्रम कानूनों का अनुपालन करेगा ।

CLAUSE 20. The contractor shall comply with all the provisions of the minimum wages Act. 1948 and rules framed there /under and other labour laws. laws.

खण्ड -21 : प्रभारी इंजीनियर की लिखित स्वीकृति के बिना ठेका किसी अन्य कार्य को उप-ठेके पर न दिया जाना, यदि उप ठेके पर दिया जाता है, घुस दी जाती है या ठेकेदार दिवालिया हो जाता है तो ठेका समाप्त किया जा सकता है और प्रतिभूति जमा जब्त की जा सकती हैं ।

को न तो सौंपा जाएगा और न ही उसे ठेके पर दिया जाएगा और यदि ठेकेदार अपने ठेके को किसी अन्य को सौंपता है या उप-ठेके पर देता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या दिवालिया हो जाता है या उसके विरुद्ध दिवालियापन की कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाती है या अपने ऋण दाताओं के साथ साठ-गांठ करता है या करने का प्रयत्न करता है या यदि कोई घुस, उपदान उपहार, ऋण अनुलाभ, इनाम या अधिर्भूत या अन्य प्रकार का लाभ परोक्ष या उपरोक्ष से पहुंचता है या ठेकेदार द्वारा या उसके किसी कर्मचारी या एजेंट द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी या दोड़ की नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को उसके कार्यालय में रोजगार दिए जाने के कारण ऋण, अनुलाभ, इनाम या लाभ का प्रस्ताव करता है इस प्रकार का कोई अधिकारी या व्यक्ति परोक्ष या उपरोक्ष प्रकार से ठेके में दिलचस्पी प्रगट करता है तो अध्यक्ष या प्रभारी इंजीनियर बोर्ड की ओर से खण्ड-३ में निर्दिष्ट कोई भी रास्ता, जो बोर्ड के सर्वोच्च हित में होगा, अपनाने का अधिकारी होगा । इन रास्तों को अपनाने के परिणाम कथित खण्ड-३ में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

| | |
|---|--|
| work not to be sublet contract may be rescined and security deposit for failed for subletting bribing or if contractor become insolvent | <p>CLAUSE 21. The contract shall not assigned or sublet without the written approval of the engineer-in-charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so if any bribe, gratuity, gift, loan perquisite, reward or advantage, pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given promised or offered by the contractor or any of his servants or agents to any public officer or person in the employee of the board in any way relating to his office or employment or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract the chairman or the Engineer-in-charge on behalf of the board shall have power to adopt any of the courses specified in clause 3 there of in the interest of the Board, in the event of any of these course being adopted the consequences specifiad in the said clause 3 shall ensure.</p> |
| वास्तविक हानि पर ध्यान दिए बिना ही क्षति पूर्ति के रुप में देय राशि पर्याप्त समझी जाएगी । | <p>खण्ड-22 : इन में से किन्हीं शर्तों के अधीन क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली सभी राशियां वास्तविक हानि या प्राप्त क्षति पर कोई ध्यान दिए बिना ही और क्षति हुई है या नहीं, पर विचार किए बिना ही बोर्ड के इसतेमाल में अनुप्रयुक्त करने के लिए उपयुक्त जान पड़ने वाला हर्जाना देने पर विचार किया जाएगा ।</p> |
| sum payable by way of compensation to be considered as reasonable compensation with-out reference to actual loss. | <p>CLAUSE 22. All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of the Board without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.</p> |
| संविधान में परिवर्तन | <p>खण्ड-23: जहां ठेकेदार भागेदारी की फर्म है, उसके संविधान में कोई परिवर्तन करने से पूर्व प्रभारी इंजीनियर की लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी । जहां ठेकेदार एक व्यक्ति विशेष या हिन्दू अविभाजित परिवार वाला व्यवसाय प्रतिष्ठान है, हवां ठेकेदार द्वारा किसी भागीदारी के समझौते में दाखिल होने से पूर्व, जिसके अधीन प्रतिष्ठान की भागीदारी में एतद्वारा ठेकेदार द्वारा हाथ में लिए गए कार्य के निष्पादन का अधिकार प्राप्त होगा, उपर्युक्त की भाति स्वीकृत प्राप्त की उल्लंघन करते हुए सैपा माना जाएगा और कथित खण्ड-२१ में उपबधित के समान कार्य किया जाएगा और उसी के समान परिणाम होंगे । निर्माण कार्य प्रभारी इंजीनियर के निदर्शन के अधीन होंगे ।</p> |
| Changes in constitution | <p>CLAUSE 23. Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer- in-charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family buisness concern, such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement where/under the partnership firm would have the right to carry out the work hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of clause 21 hereof and same action may be taken and the same consequences shall ensure as provided in the said clause 21.</p> |
| कार्यों का प्रभारी अधियंता के निर्देश के अधीन होना | <p>खण्ड-२४ : ठेके के अधीन निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य प्रभारी इंजीनियर के निर्देश और सब प्रकार से उसकी स्वीकृति के अनुसार निष्पादित किए जाएंगे इत्यादी सम्मिलित है ।</p> |
| Work to be under direction of Engineer in-charge | <p>CLAUSE 24. All works to be executed under the contract shall be executed under the direction and subject to the approval in all respect of the Engineer-in-charge who shall be entitled to direct at what point or points and in what manner they are to be commenced and from time to time carried on.</p> |

खंड २५

कार्यों से संबंधित संविदा की सामान्य शर्तों के वर्तमान माध्यस्थम खंड (मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटान से संबंधित खंड संख्या २५) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

- (I) जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित न हो, इसमें पहले उल्लिखित इकए गए विनिर्देशों डिजाइन, ड्राइंग्स तथा अनुदेशों और शिल्प की गुणवत्ता अथवा कार्य हेतु उपयोग में लाई गई सामग्रियों के अर्थ से संबंधित प्रश्नों तथा विवादों अथवा कार्य की समाप्ति पर संविदा, डिजाइन, ड्राइंग्स, विनिर्देशों, प्राक्कलनों, अनुदेशों, आदेशों से संबंधित सभी प्रश्नों एवं विवादों अथवा कार्य से संबंधित शर्तों अथवा तत्संबंधी निष्पादन अथवा उसके निष्पादन में हुई चूक को अध्यक्ष द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- (II) ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ व्यक्ति बोर्ड का अथवा सरकारी कर्मचारी है, कि उसे संविदा संबंधी मामले पर कार्यवाई करनी है और कि बोर्ड के अथवा सरकारी कर्मचारी की हैसियत से उसने अपनी ड्यूटी के दौरान विवाद अथवा मतभेद वाले समस्त अथवा किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

मध्यस्थता संबंधी मामले पर कार्यवाही करनेवाला मध्यस्थ व्यक्ति के स्थानान्तरित होने अथवा पदभार छोड़ने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने अथवा अन्य किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में कार्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष स्वयं अथवा मध्यस्थ के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- (III) संविदा की यह भी एक शर्त है कि स्वयं अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (IV) संविदा की यह शर्त है कि ऐसे प्रश्न और विवाद जो कार्य प्रगति के दौरान उसकी समाप्ति होने तक, उठाए गए हों, उसके पश्चात नहीं, केवल उन्हें ही मध्यस्थ को भेजा जाएगा। किंतु, यह कार्य की समाप्ति के पश्चातवर्ती गारंटी अवधि के दौरान पक्षकारों की देयताओं से संबंधित प्रश्नों और विवादों पर लागू नहीं होगा।
- (V) संविदा की यह शर्त है कि मध्यस्थता चाहनेवाले पक्षकारों को मध्यस्थता की नियुक्ति संबंधित सूचना उक्त प्रत्येक विवादों से संबंधित दावों की राशि के साथ साथ विवादों की एक सूची देनी पड़ेगी।
- (VI) संविदा की यह भी शर्त है कि प्रभारी अभियंता से अदायगी हेतु अंतिम बिल तैयार होने से संबंधित सूचना प्राप्ति के १२० दिनों के अंदर यदि ठेकेदार किसी दावे/विवाद के संबंध में मध्यस्थता की नियुक्ति हेतु लिखित रूप में कोई मांग प्रस्तुत नहीं करता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो ठेकेदार के दावों का अधित्यजन और पूर्णतया वर्जित मान लिया जाएगा और पोर्ट ट्रस्ट इन दावों के संबंध में संविदा के अधिन सभी दायित्वों से उन्मोचित तथा निर्मुक्त होगा।
- (VII) यह भी संविदा की एक शर्त है कि मध्यस्थ व्यक्ति सिर्फ उन्हीं विवादों/दावों का विनिर्णय देगा जो उसे नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी द्वारा भेजे गए हों तथा वह उसे भेजे गए के अनुसार ब्यौरे देने के लिए आबद्ध होगा और उनका तर्कसंगत होना भी अपेक्षित है।
- (VIII) मध्यस्थ का अधिनिर्णय संविदा के सभी पक्षकारों के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा
- (IX) मध्यस्थ अधिनिर्णय तैयार करने तथा प्रकाशित करने हेतु दोनों पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर समयावधि बढ़ा सकता है।
- (X) भारतीय माध्यस्थम अधिनियम, १९९६ के प्रावधानों अथवा किसी सांविधिक आशोधनों अथवा तत्संबंधी अधिनियमिति तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार माध्यस्थम का संचालन किया जाएगा और इस खंड के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त माध्यस्थम कार्यवाहियों के लिए लागू होगा।
- (XI) यह भी संविदा की एक शर्त है कि मध्यस्थ को कोई शुल्क देय है तो वह दोनों ही पक्षकारों द्वारा समान रूप से अदा किया जाएगा।

(XII) संविदा की यह भी एक शर्त है कि यदि मध्यस्थ को कोई शुल्क देय है तो वह दोनों ही पक्षकारों द्वारा समान रूप से अदा किया जाएगा जिस तारीख को उसने दोनों पक्षकारों को उनके दावों से संबंधित कथन तथा प्रतिकथन प्रस्तुत करने हेतु पहली नोटिस जारी की हो।

(XIII) माध्यस्थ के स्वविवेकानुसार माध्यस्थम-स्थल निर्धारित किया जाएगा।

CLAUSE 25

The existing arbitration clause (clause No.25 of settlement of disputes by arbitration) of the General conditions of contract for works may be replaced by the following :-

- (i) Except where otherwise provided in the contract all question and disputes relating to the meaning of the specifications, designs , drawings and instructions here in before mentioned and as to the quality of workmanship of materials used on the work or as to any other question, claim right, matter or any other thing what so ever, in any way arising out of or relating to the contract, design, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or to the conditions or otherwise concerning the works or regarding the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of work or after the completion thereof as described here in after shall be referred to the Chairman for sole arbitration by himself or by any officer appointed by him.
- (ii) It will be no objection to any such appointments that the arbitrator is an employee of the Board or the Government, that he had to deal with the matter to which the contract relates and that in course of his duties as an employee of the Board or the Government, he had expressed views on all or any of the matters in dispute or of different.

The arbitrator, who has been dealing with the arbitration case, being transferred or vacating his office or in the event of his death or being unable to act for any reason, the Chairman then holding the office shall arbitrate himself or appoint any officer to act as arbitrator.

- (iii) It is also a term of the contract that no person other than the Chairman himself or any officer appointed by him shall act as arbitrator.
- (iv) It is a term of the contract that only such question and disputes as were raised during progress of work till its completion and not thereafter shall be referred to arbitration. However, this would not apply to the questions and disputes relating to liabilities of parties during the guarantee period after completion of the work.
- (v) It is term of the contract that the party invoking arbitration shall give a list of disputes with amounts of claim in respect of each said disputes along with the notice seeking appointment of arbitrator.
- (vi) It is also a term of the contract that if the contractor does not make any demand for appointment of arbitrator in respect of any claims /disputes in writing, as aforesaid, within 120 days of receiving the intimation from the Engineer-in-Charge that the final bill is ready for payment, the claim of the contractor shall be deemed to have been waived and absolutely barred and the Port Trust shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims
- (vii) It is also a term of the contract that the arbitrator shall adjudicate only such disputes/claims as referred to him by the appointing authority and give separate award against each dispute/claim referred to him. The arbitrator will be bound to give claim wise detail and speaking award and it should be supported by reasoning.
- (viii) The award of the arbitrator shall be final, conclusive and binding on all the parties to the contract.
- (ix) The arbitrator from time to time, with the consent of both the parties, enlarge the time for making and publishing the award.
- (x) Arbitration shall be conducted in accordance with the provision of Indian Arbitration Act, 1996 or any statutory modifications or re-enactment thereof and rules made there under and for the time being in force shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

- (xi) It is also a term of the contract that if any fees are payable to the arbitrator, this shall be paid equally by both the parties.
- (xii) It is also a term of the contract that the arbitration shall be deemed to have been entered on the reference on the date he issued the first notice to both the parties calling them to submit their statement of claims and counter statement of claims.
- (xiii) Venue of the arbitration shall be such place as may be fixed by the arbitrator at his sole discretion.

खण्ड - 26 : ठेकेदार न्यासी बोर्ड को किसी कार्य, दावा या उलंघन से संबंधित कार्यवाही या किसी पेटेंट या डिजाइन के इसतेमाल या तथाकथित पेटेंट या डिजाइन अधिकार के विरुद्ध पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा और ठेके में सम्मिलित किसी वस्तु, उसके भा के संबंध में देय रायल्टियों का भूगतान करेगा । उपर उल्लिखित किन्हीं मामलों के अधीन बोर्ड के विरुद्ध लाए गए किसी दावे या कार्यवाही के संपन्न होने पर इसके संबंध में ठेकेदार को फौरन अधिसूचित किया जाएगा और ठेकेदार अपने स्वये के व्यय पर किसी विवाद का निपटारा करने या उससे उत्पन्न होने वाले किसी मुकदमे को चलाने के लिए स्वतंत्र होगा । वसर्ते कि ठेकेदार पर न्यासी बोर्ड को क्षतिपूर्ति करने का दावित्व नहीं होगा । यदि पेटेंट या डिजाइन या किसी तथाकथित या डिजाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में प्रभारी इंजीनियर द्वारा पास किए गए आदेश का सीधा परिणाम है ।

CLAUSE 26. The contractor shall fully indemnify the board trustees against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design alleged design rights and pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. in the event of any claim made under or action brought against the board in respect of any such matters as aforesaid He contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there from provided that the contractor shall not be liable to indemnify the Board of Trustees if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-charge in this behalf.

खण्ड 27: जब आकलन में जिसके आधार पर निविदा दी जाती है, काम के भागों का एक मुश्त राशि सम्मिलित होती है, ठेकेदार इस प्रकार की मदों सम्मिलित कार्य या संबंधित कार्य के किसी भाग के संबंधों में उसी दर से भुगतान का हकदार है, जैसाकि इस ठेके के अधीन इस प्रकार के कार्य के लिए देय है और यदि प्रभारी इंजीनियर की सम्मति में संबंधित कार्य के भाग की माप नहीं जा सकती तो प्रभारी इंजीनियर अपने विवेकानुसार आकलन में दर्ज एक मुश्त राशि का भुगतान कर सकता है और इस खण्ड के प्रावधान के अधीन ठेकेदार को देय किसी राशि के संबंध में ठेकेदार के संबंध में प्रभारी इंजीनियर का लिखित प्रमाणपत्र अन्तिम और निर्णयक होगा ।

CLAUSE 27. When the estimate on which a tender is made includes lump sums in respect of parts of the work, the contractor shall be entitled to payments in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates, as are payable under this contract for such items or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Engineer-in-charge payable of measurement, the Engineer-in-charge may at his discretion pay the lump sum amount entered in the estimate and the certificate in writing of the Engineer-in-charge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.

किसी प्रकार की
विनिर्दिष्टता न होने
पर कार्यवाही :

खण्ड 28 : किसी ऐसे कार्य की श्रेणी के संबंध में, जिसके लिए नियम १ में उल्लिखित इस प्रकार की कोई विनिर्दिष्टता नहीं है। इस प्रकार का कार्य स्पष्ट विनिर्दिष्टता के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और यदि स्पष्ट विनिर्दिष्टता नहीं होगी तो ऐसे मामले में सभी प्रकार के काम प्रभारी इंजीनियर के अनुदेशों तथा अपेक्षाओं के अनुसार निष्पादित किए जायेंगे।

Action where no
specification

CLAUSE 28. In the case of any class of work for which there is no such specification as is mention in rule such work shall be carried out in accordance with the strict specification and in the event of there being no strict specification, then in such case the work shall be carried out in respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-charge.

खण्ड-29(1) : जब कभी ठेके से या उसके किसी राशि या धन के भुगतान का कोई दावा ठेकेदार के विरुद्ध उठाता है तो यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रकार का राशि को एक अंश या सम्पूर्ण रूप में ठेकेदार की जमानत जमा को अपना बनाकर उसमें से काट ले और इस प्रकार की जमानत राशि का सम्पूर्ण या भाग बनने वाले सरकारी ऋण-पत्र इत्यादि को बेच दें। यदि जमानत पर्याप्त नहीं होती या ठेकेदार से कोई जमानत राशि नहीं ली गयी है तो, वसूली करने वाले धन का शेष भाग या सम्पूर्ण, जैसा भी लागू हो, उस समय देय होने वाली राशि में से या उसके पश्चात् किसी भी समय ठेकेदार को इस ठेके के अधीन देय होने में बोर्ड के साथ हुए किसी अन्य दावे से काट सकता है। यदि यह राशि वसूल की जाने वाली राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो शेष देय राशि को ठेकेदार बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर देगा।

CLAUSE 29.(1) Whenever any claim, against the contractor for the payment of a sum or money arises out of or under the contract, the board shall be entitled to recover such sum by appropriating in part or whole, the security deposit of the contractor, and to sell any government promissory notes etc. forming the whole part of such security. In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor, then the balance or the total sum recoverable, as the case may be, shall be deducted from any sum then due or which at any time thereafter may become due from the contractor under this or any other contract with the board should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable, the contractor shall pay to the board on demand the balance remainig due.

बोर्ड को लेखा-परीक्षा तथा कार्यों एवं ठेकेदार के अंतिम बिलों की, जिसमें समर्थन वाउचर सारांश इत्यादि सम्मिलित है, तकनीकी परीक्षा का मामला अन्तिम बिल के भुगतान करने के पश्चात् उठाने का अधिकार है और यदि इस प्रकार की लेखा-परीक्षा तथा तकनीकी परीक्षा से ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य के संबंध में कोई राशि अधिक दे दी गई है या ठेके के अधीन उसके द्वारा किए जाने का दावा किया गया है और यह पाया जाता है कि कार्य निष्पादित नहीं किया गया है तो ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया धन वापस करना होगा और बोर्ड को इस खण्ड के उप-खण्ड (१) में निर्धारित ढंग से उस राशि को उससे वसूल करने या कानूनी ढंग से, अन्य प्रकार से वसूल करने का कानूनी अधिकार होगा और यदि यह पता चलता है कि ठेकेदार को ठेके के अधीन निष्पादित किसी कार्य में भुगतान की गई राशि देय से कम है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि बोर्ड द्वारा ठेकेदार को दी जाएगी।

The Board shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all

supporting vouchers abstract etc. to be made after payment of the final bill and it as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed by him to have been done by him, under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of overpayment and it shall be lawful for the board to recover the same from him in the manner prescribed in a sub-clause(i) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by the board to the contractor.

बोर्ड अधिक भुगतान किए गए किसी धन को वसूल करने का हकदार नहीं है और न ही ठेकेदार किसी कम मिले धन के भुगतान का हकदार वशर्ते कि जहां इस तरह का भुगतान आवश्यक हो एक और मुख्य या कार्यपालक, इंजीनियर तथा दूसरी और ठेकेदार की सहमति से ठेके की शर्त के अधीन काम के लिए भुगतान की अनुमति मुख्य या कार्यपालक इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन के पश्चात किया गया हो।

Provided that the board shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the chief or Executive Engineer on the hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the chief or the executive Engineer.

बिना छने हुए पानी की आपूर्ति से संबंधित शर्त : खण्ड -30: काम के निष्पादन के लिए आवश्यक बिना छने हुए पानी की आपूर्ति ठेकेदार (ठेकेदारों को) कार्यपालक इंजीनियर के विवेकानुसार निम्नांकित शर्तों पर की जा सकती है :

Condition relating to supply of unfiltered water. **CLAUSE 30.** Unfiltered water required for the execution of work may be supplied to the contractor(s) at the direction of the Executive Engineer on the following conditions;

(1) काम की वास्तविक लागत का 1 ½ प्रतिशत का भुगतान ठेकेदार ठेकेदारों द्वारा किए गए जाने पर

(1) Payment by the contractor(s) of 1.5 percent of the actual cost of work.

टिप्पणी: यह प्रतिशता निम्नलिखित को छोड़कर काम की सभी मदों के लिए लागू होगा :

Note: The percentage will apply to all items of work except the following

(i) दरवाजा, खिडकीयां, सा.एस. खिडकिया या अन्य हार्ड और सॉफ्ट बोर्ड पेनिलिंग टेक

Doors, C.S. Windows wooden or other hard and soft board paneling.

(ii) टिम्बर की धरन वता, तरख्ता, टेक लकड़ी के तरख्ते तथा फर्श की कडियां

Timber beams, battens planks, trusses, wooden flooring and floor-joists.

(iii) टेक धरन वता, फ्रेम वर्क में इरपात का काम

Steel work in trusses beams purlins, frame work.

(iv) इरपात का टैंक, फ्लश की टंकी, पानी का क्लोजेट पैन, हाथ धोने का बेसिन तथा सिंक केबल आन्तरिक सफाई व्यवस्था संस्थापन में :

steel tank, flushing cistern, water closet, pans, was hand basins and sinks only in internal sanitary installation.

- (v) टारवीअयूमिनस या समतुल्य सामग्री से सड़क की सतह की ब्लैक टॉपिंग :

Black topping of road surfaces with tar bituminous or similar material.

- (vi) सभी सी.आई, जी.आई: डब्ल्यू.आई, आर.सी.सी, या एम.एस. पाईप का काम इसमें खुदाई जल आपूर्ति के लिए ज्वाइंटिंग तथा पेटिंग या बाहरी कार्य सम्मिलित किन्तु इसमें मेसनरी खंभे, चैम्बर्स इत्यादि, जिनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, सम्मिलित नहीं है:

ALL C.I., W.I.G.I., R.C.C. or M.S. pipe work including excavation jointing painting or external work for water supply but not including masonry pillar, chambers, etc. which require use of water.

- (vii) वैधुत कार्य की सभी मदें ।

All items of electrical work.

ठेकेदार (ठेकेदार लोग) को वर्तमान मुख्य पाइप लाइन या आपूर्त के स्रोत से जल कनेक्शन तथा पाइप लाइन बिछान का अपना प्रबंध करना होगा । इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बोर्ड अवधि जल-आपूर्ति को कायम रखने की गारंटी नहीं देता और ठेकेदार (ठेकेदार लोग) के लिए बोर्ड के मुख्य नलों में कोई अस्थायी रुकावट उत्पन्न होने की स्थिति में जल के लिए उन्हें स्वयं अपने व्यय पर वैकल्पिक प्रबंध करना होगा जिससे कि उसके काग की प्रगति जल के अभाव में रुक न जाए इस प्रकार रुकावट के कारण क्षतिपूर्ति के मुख्य दावे या जल प्रभार को वापस करने के किसी दावे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । इस प्रकार रुकावट के कारण क्षतिपूर्ति के मुख्य दावे या प्रभार को वापस करने के लिए किसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

- (2) The contractor (s) shall make his/their own arrangements for water connection and laying of pipe lines from existing mains or source of supply. it should be clearly understood that the board does not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the contractor (s) to make alternative arrangement for water at his/their own cost in the event of any temporary breakdown in the Board's water mains so that progress of his/their work is not held up for want of water. No main claim of damages or refund of water charge will be entertained on account of such break downs.

खण्ड-31 कः ठेकेदार काम के लिए आवश्यक जल का अपना स्वयं का प्रबंध करेगा और उसके के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी ।

CLAUSE 31 A. The contractor shall make his own arrangement for water required the work and nothing extra will be paid for the same.

खण्ड-32(i) जहां कहीं पाइप से जल मिलने की व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार द्वारा पानी कुंओ से या हैंड पम्प से लिया जाता है जिन्हें बोर्ड ने सनवाया है तो उसके के लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा । तथापि, ठेकेदार दिन में ऐसे समय में इनसे जल लेगा जिससे कि हैंड पम्प तथा कुओ के सामान्य इसतेमाल में कोई खाधा उत्पन्न न हो । उसके द्वारा इसतेमाल होने के कारण उत्पन्न होने वाली सभी क्षतियों तथा असाधारण मरम्मत के लिए भी वह उत्तरदायी होगा जिसकी लागत उससे वसूल की जाएगी । इस के लिए ठेकेदार से वसूल की जाने वाली लागत को निश्चित करने के लिए प्रभारी इंजीनियर अन्तिम अधिकारी होगा ।

CLAUSE 32(i). Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the contractor from the wells or hand pumps constructed by the Board no charge shall be recovered from the contractor on that account. The contractor shall, however, draw water at such hours of the day that is does not interfere with the normal use for which the hand pumps and wells are intended. He will also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Engineer-in-charge shall be the final authority to determine the cost recoverable from the contractor on this account.

- (i) (प्रभारी इंजीनियर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार को निर्माण के अभिप्राय से जल लेने के लिए बोर्ड की जमीन में अस्थायी कुएं बनाने की अनुमति होगा । इसके कारण ठेकेदार से

किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी किन्तु ठेकेदार को किसी दुर्घटना सा आसपास के भवनों, सड़कों तथा सेवा लाइनों पर होने वाली क्षति को बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों को उपलब्ध कराना होगा । वह कुंओ के निर्माण तथा उसके पश्चात् के अनुरक्षण के कारण होने वाली दुर्घटना या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा और काम के समाप्त हो जाने पर कुओं को मिट्टी भर कर ढक देगा तथा जमीन को उसकी पहले की स्थिति में लाएगा ।

(ii) The contractor shall be allowed to construct temporary wells in the Board's land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Engineer-in-charge in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account, but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accidents or damage cause due to construction and subsequent maintenae of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

खण्ड-33 : इस ठेके के किसी या सभी खण्डों में किसी प्रतिकूल प्रभाव वाले प्रावधान के बावजूद जहां कोई सामग्री ठेके के निष्पादन के लिए थी, बोर्ड की सहायता से जिये या बोर्ड के भंडार से या बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश या अनुमति पत्र या लाइसेंस के अधीन खरीदा गया है, ठेकेदार उस कथित सामग्री को क़िफायत से तथा फालतू सामग्री की वापसी : पूर्णतः ठेके के लिए इसतेमाल करेगा और उसे बोर्ड की अनुमति के बिना नहीं बेचेगा तथा प्रभारी इंजीनियर द्वारा आवश्यक होने पर सभी फालतू या अनुपयोज्य सामग्रियों को, जो ठेके की संपूर्णता के पश्चात या किसी भी कारण ठेके के समाप्त होने पर भुगतान किए जाने पर या ऐसे मूल्य के जमा करने पर, जिसे प्रभारी इंजीनियर सामग्री की स्थिति पर उचित ध्यान रखते हुए निश्चित करेगा, उसे लौटा देगा । तथापि, जो मूल्य ठेकेदार को दिया जाएगा, वह उससे लिए जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं होगा और उसमें भंडारण का प्रभार सम्मिलित नहीं होगा । यदि कोई है तो प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अन्तिम तथा निर्णायक होगा । उपर्युक्त शर्त का उलंघन करने से जहां एक और ठेकेदार अपने को लाइसेंस या अनुमति और/या विश्वास के अतिक्रमण के कारण भी धनों, सुविधाओं या लाभों की, जो इस प्रकार प्राप्त होंगे या सामान्य रूप से इस प्रकार के उलंघन से उसे प्राप्त होंगे, बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा ।

CLAUSE 33. Notwithstanding any thing contained to the contrary in any or all of the clauses of this contract, where any materials for the execution of the contract are procured with the assistance of the Board either by issue from the Board's stocks or purchase made under orders or permits or licences issued by the Board the contractor shall hold the said material economically and solely for the purpose of the contract and not dispose of them without the permission of the Board and return, if required by the Engineer-in-charge all surplus or unserviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or at its termination for any reason whatsoever on being paid or credited such price as the Engineer-in-charge shall determine having due regard to the condition of the materials. The price allowed to the contractor however shall not exceed the amount charged to him excluding the storage charge, if any, The decision of the Engineer-in-charge shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition the contractor shall in addition to throwing himself open to action for contravention of the terms of the licenses or permit and/or for criminal breach of trust, be liable to the Board for all moneys, advantages profits resulting or which in usual course would have resulted to him by reason of such breach.

खण्ड - 35 : (i) तार तथा बिटूमेन की करने वाली फर्म के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए ठेकेदार प्रबंध करने का दायित्व लेगा ।

CLAUSE 35. (i) The contractor undertake to make arrange-ments for the supervision of the work by the firm supplying the tar or bitumen used.

- (ii) ठेकेदार पेंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक तारकोल या बिटुमेन की कुल मात्रा मानक सूत्रों के अनुसार काम के लिए एकत्रित करेगा और उसे प्रभारी इंजीनियर के पास बन्धक में रहेगा। यदि काम की समाप्ति पर कोई बिटुमेन या तारकोल वास्तविक निष्पादन में, जो अधिकृत विनिर्दिष्टा के प्रभार तथा काम के कुछ भाग को छोड़ने के अलावा, सामग्रीयों के कम इसतेमाल के कारण बच जाता है तो इसतेमाल न की गई सामग्रियों की की लागत के अनुरूप कटौति, जैसा की प्रभारी इंजीनियर द्वारा निश्चित होगी, की जाएगी और सामग्री ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। यद्यपि सामग्री बोर्ड के बंधक में रहती है, ठेकेदार उसकी उपर्युक्त रखवाली, सुरक्षापूर्वक भंडारण तथा सभी जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। सामग्री कार्य स्थल से प्रभारी इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना नहीं हटाई जाएगी :
- (ii) The contractor shall collect the total quantity of tar or bitumen required for the work as per standard formulas, before the process of painting is started and shall hypothecate it to the Engineer-in-charge. If any bitumen or tar remains unused on completion of the work on account of lesser use of materials in actual execution for reasons other than authorised changes of specification and abandonment of portion of work; a corresponding deduction equivalent to the cost of unused materials as determined by the Engineer-in-charge shall be made. The material returned to the contractor, although the materials are hypothecated to the Board, the contractor, undertakes the responsibility for their proper watch, safe custody and protection against all risks. The materials shall not be removed from site of work without the consent of the Engineer-in-charge in writing.
- (iii) काम समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ध्यान में आई त्रुटियों को ठीक करने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा और एस्फाल्टिक, (डामर) कार्य से संबंधित जमानत जमा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- (iii) The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within a year from the date of completion of the work and the portion of the security deposit relating to asphaltic work shall be refunded after the expiry of the period.

खण्ड-३६: इस काम के निष्पादन के दौरान ठेकेदार निम्नलिखित तकनीकी कार्मिकों को अपनी नौकरी में रखेगा। एक योग्यता प्राप्त इंजीनियर/ओवर सियर/पर्यवेक्षक, जिन्हें _____ वर्ष का अनुभव हो।

CLAUSE 36. : The contractor shall employ the following technical staff during the execution of this work: One qualified Engineer/Overseer/Supervisor having experience of.....years.

खण्ड-37: पूरा का दो या अधिक ठेकेदारों में विभाजित किया जा सकता है या यदि उचित जान पड़े तो एक भाग पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है।

CLAUSE 37. The whole work may be split up between two or more contractors or accepted in part and not in entirety if considered expedient.

खण्ड-38: इस ठेके के संबंध में विक्री कर या कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार दावा स्वीकार नहीं करेगा।

CLAUSE 38: Sales tax vat or any other tax on materials in respect of this contract shall be payable by contractor and the Board shall not entertain whatsoever in this respect.

खण्ड-39: इस ठेके के अधीन अधिकारों या उपायों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, यदि ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है तो अध्यक्ष बोर्ड की ओर से ठेकेदार को बिना कोई विना कोई क्षतिपूर्ति किए बिना ही ठेका समाप्त कर सकता है।

CLAUSE 39: Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies the chairman on behalf of the Board shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

खण्ड- 40: यदि बोर्ड के इंजीनियर विभाग में लेखाकार या इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के बीच किसी पद पर अधिकारी के रूप में ठेकेदार का कोई निकट संबंधी पदाधिकारी है तो बोर्ड में निविदा देने के लिए ठेकेदार को अनुमति नहीं होगी। वह उन व्यक्तियों का नाम भी सूचित करेगा जो उसके साथ किसी

भी पद पर कार्यरत है या उसके द्वारा उन्हें काम पर लगाया है या बोर्ड में कार्यरत किसी अधिकारी के निकट संबंधी है। ठेकेदार द्वारा इस शर्त में कोई उलंघन करने पर इस विभाग के ठेकेदारों की सूची से उसका नाम हटाया जा सकता है।

CLAUSE 40. The contractor shall not be permitted to tender for works in the Board if his near relative is posted as accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Chief engineer. and Assistant Engineer in the Engineering Department of the Board he shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer in the Board Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this department.

टिप्पणि : निकट संबंधी शब्दावली का अर्थ पत्नी/पति, माता-पिता या दादा-दादी, बचे तथा नाती-पोते, भाई एवं बहने, चाचा तथा चचेरे भाई और उनके साले-बहनोई से है।

NOTE : By the term near relative is meant wife, husband, parents and grand parents children and grand children brother and sisters uncles and cousins and their corresponding in laws.

खण्ड- 41 : बोर्ड के इंजीनियर विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत किसी इंजीनियर या अन्य अधिकारी को बोर्ड की सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् दो वर्ष के भीतर बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना ठेकेदार के रूप में करने की अनुमति नहीं है। यह ठेका रद्द किया जा सकता है। यदि किसी समय यह पता चलता है कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी इस प्रकार का व्यक्ति है जिसने निविदा प्रस्तुत करने से उपर्युक्त की भांति या ठेकेदार की सेवा में आने से पूर्व जैसा भी मामला हो बोर्ड की अनुमति प्राप्त नहीं की है।

CLAUSE 41: No engineer or the officer employed in engineering or administrative duties in the engineering department of the Board is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from Board's service without the previous permission of Board. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employee is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of board as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractors service as the case may be.

खण्ड-41 (i) ठेकेदार को यह देखना चाहिए कि सामग्रियों की मात्रा केवल आवश्यकता के अनुसार की जाए। इस प्रकार की किसी सामग्री का यदि इसतेमाल नहीं किया जातव और यदि काम की समाप्ति या ठेके की समाप्ति के समय यह सर्वथा अच्छी हालत में है तो प्रभारी इंजीनियर के पास उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर वापस कर दी जाएगी। यदि इस प्रकार की सामग्रियों की उसे आवश्यकता है तो उसके पास अपने हस्ताक्षरों की लिखित सूचना द्वारा उस प्रकार की सामग्री के लिए प्रचलित बाजार भाव पर, जो उसके द्वारा दिए गए धन से अधिक नहीं होगा उसे उसका लाभ दिया जाएगा, इसमें सामग्रियों के निगमन के समय उससे लिया गया भंडारण प्रभार सम्मिलित नहीं होगा। ठेकेदार फालतू सामग्रियों को भंडार से ले जाने तथा वापस ले आने के लिए जहां से उन्हें निर्गमित किया गया था, किसी ढूलाई का प्रासंगिक, प्रभार का हकदार नहीं होगा।

CLAUSE 41(i) : The Contractor shall see that only the required quantities of materials are got issued. Any such material remaining unused and in perfectly good condition at the time of completion or determination of the contractor shall be returned to the Engineer-in-charge at a place where directed by him, if by a notice in writing under his hand, he shall so require, credit for such material will be given at the prevailing market rate not exceeding the amount charges from him, excluding the storage charges levied at the time of issued of materials to him. The contractor shall also not be entitled to cartage and incidental charges for returning the surplus materials from and to the stores where from they were issued.

खंड - 42 : सीमेंट तथा इसपता के उपयोग से संबंधित संविदा की सामान्य शर्तों के खंड-४२ को निम्नुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- (i) किसी कार्य की समाप्ति के बाद साथ ही किसी भी ऐसे मध्यवर्ती स्तर जब खपत की की गई तथा शेषबची सामग्रियों का मिलान न किए जाने की स्थिति में (खंड १० देखें) कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने के लिए जारी की गई सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्रा को निम्नलिखित आधार तथा पद्धति के अनुसार परिकलित किया जाएगा :-

- (क) अनुसूची च में उल्लिखित रदों की अनुसूची में यथावर्णित कार्यों की विखिन्न मदों के लिए अपेक्षित सीमेन्ट की मात्रा के आधार पर सीमेन्ट तथा डामर की मात्रा परिकलित होगी। ऐसे किसी मद से निष्पादन के मामले में जिसके लिए उपरिलिखित अनुसूची/विवरण में सीमेन्ट अथवा डामर की खपत से संबंधित मानक नियतांक उपलब्ध नहीं है या उसमें से प्राप्त नहीं किए जा सकते तो प्रभारी अभियंता द्वारा तैयार किए गए मानक फार्मूले के आधार पर उसे परिकलित किया जाएगा।
- (ख) इसपाती-प्रबलन अथवा संरचनात्मक इसपाती काट की सैद्धान्तिक मात्रा को डिजाइन अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा यथाप्राधिकृत अपेक्षित मात्रा के रूप में माना जाएगा जिसमें टुकड़ों में काटे जाने के कारण ३% की अवशेष मात्रा सहित लेपेजेस कुर्सियाँ आदि शामिल हों, ऐसी सैद्धान्तिक मात्रा को वास्तविक मात्रा के साथ तुलना करते हुए प्रत्येक व्यास तथा प्रवर्ग के अनुसार पृथक् निर्धारित किया जाएगा।
- (ग) जी. आई. तथा सीआई अथवा पाइप, कन्ड्यूट्स, वेयर्स तथा केबिल पिग लीड और जी.आई.एम.एस.चादर की सैद्धान्तिक मात्रा को वस्तुतः अपेक्षित तथा मापी गई मात्रा के साथ-साथ टुकड़ों में काटने के कारण ५% अवशेष (जी आई एम एस चादरों के सिवाय, उनके लिए वह १०% होगा) के रूप में लिया जाए और ऐसा निर्माण तथा तुलना व्यास तथा वर्ग के अनुसार किया गया हो।
- (घ) अन्य किसी सामग्री के लिए वास्तविक आवश्यकतानुसार हो।
- (ग) जी. आई. तथा सीआई अथवा पाइप, कन्ड्यूट्स, वेयर्स तथा केबिल पिग लीड और जी.आई.एम.एस.चादर की सैद्धान्तिक मात्रा को वस्तुतः अपेक्षित तथा मापी गई मात्रा के साथ-साथ टुकड़ों में काटने के कारण 5% अवशेष (जी आई एम एस चादरों के सिवाय, उनके लिए वह १०% होगा) के रूप में लिया जाए और ऐसा निर्माण तथा तुलना व्यास तथा वर्ग के अनुसार किया गया हो।
- (घ) अन्य किसी सामग्री के लिए वास्तविक आवश्यकतानुसार हो।
- (ii) इस प्रकार परिकलित सैद्धान्तिक मात्राओं के संबंध में अनुसूची च में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार ही विभिन्नता की अनुमति होगी। ठेकेदार को वस्तुतः दी गई सामग्री की शुद्ध मात्राओं और सैद्धान्तिक मात्राओं में अन्तर और साथ ही ऐसे अधिकृत अन्तर सहित यदि वे ठेकेदार द्वारा वापस नहीं की जाती अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा इस आशय का लिखित नोटिस जारी किए जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रभारी अभियंता का समाधान हो जाने तक उन्हें पूर्णरूप से समाशोधित नहीं कर दिया जाता तो निविदा को विनियमित करने वाली सुसंगत शर्तों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूची च में विनिर्दिष्ट दरों पर वसूली जाएगी। सामग्री की ऐसी सैद्धान्तिकमात्राएं जो कंडला पोर्ट ट्रस्ट के दरों की मानक अनुसूची के अनुसार वस्तुतः उपयोग में गई हो, उनके संबंध में तथा अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट दरों पर सवूली के संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय ही ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। अननुसूचित मदों से संबंधित ऐसी सामग्रियों की सैद्धान्तिकमात्राएं, जिन्हें वस्तुतः उपयोग में लाया जा सकता था उनके लिए लिए मुख्य अभियंता का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (iii) इस खंड के अधीन उक्त कार्यवाई से निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य न करने के लिए निविदा की अन्य किन्हीं शर्तों के अधीन ठेकेदार के प्रति कार्यवाई करने से संबंधित मुख्य अभियंता, कंडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

CLAUSE :- 42.

- 1) After completion of work and also at any intermediate stage in the event of non-reconciliation of materials issued, consumed and in balance - (see clause 10), theoretical quantity of materials issued by the Kandla Port for use in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder :
 - a) Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule / statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-charge.
 - b) Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorised by Engineer-In-charge, including authorised lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual issued each diameter-wise, section-wise and category-wise separately.

- c) Theoretical quantity of G.I. & C. I. or other pipes, conduits, wires and cables, pig lead and G.I. M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except to the case of G.I. / M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter-wise and category-wise.
- d) For any other material as actual requirements.
- (ii) Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule "F". The difference in the net quantities of material actually issued to the contractor and the theoretical quantities including such authorised variation if not returned by the contractor or if not fully reconciled to the satisfaction of the Engineer-in-charge within fifteen days of the issue of written notice by the Engineer-in-charge to this effect shall be recovered at rates specified in schedule 'F' without prejudice to the provision of relevant conditions regarding return of materials Governing the contract Decision of Engineer-in-charge in regard to theoretical quantities of materials, which should have been actually used as per Kandla Port Trust the standard schedule of rates and recovery at rates specified in Schedule "F", shall be final and binding on the contractor. For non-scheduled items, the decision of the Chief Engineer regarding theoretical quantities of materials which should have been actually used, shall be final and binding on the contractor.
- (iii) The said action, under this clause is without prejudice to the right of the Chief Engineer, Kandla Port Trust to take action the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

अनुसूची 'च'

- i) कंडला पोर्ट में प्रचलित दरों की अनुसूची के आधार पर सीमेंट और बिटुमेन की सैद्धान्तिक मात्रा निर्धारित करने से संबंधित अनुसूची/विवरण
- ii) सैद्धान्तिक मात्राओं के लिए अनुज्ञेय विभिन्नता
- | | |
|--|---|
| क) निविदा में दिए गए ऐसे कार्य के लिए सीमेंट, जिसका - पाक्कलित मूल्य रु.५.०० लाख से अधिक न हो | ३ % अधिक/कम |
| ऐसे कार्य के लिए जिसका निविदा में दिया गया - पाक्कलित मूल्य रु.५.०० लाख से अधिक हो | २ % अधिक/कम |
| ख) सभी कार्यों के लिए बिटुमेन | केवल अधिक के लिए २.५% और कम के लिए शून्य |
| ग) पत्येक ब्यास, काट और वर्ग के लिए इसपाती प्रबलन और संरचना इसपाती काट | २% अधिक/कम |
| घ) अन्य सभी सामग्री | शून्य |

SCHEDULE - F

- I) a) Schedule / Statement for determining theoretical quantity of cement and bitumen on the basis of Kandla Port Schedule of Rates in vogue.
- II) Variations permissible on theoretical quantities.
- | | |
|--|--|
| a) Cement for works with estimated Cost put to tender not more than Rs. 5.00 lakhs | 3% plus/minus. |
| For works with estimated cost put to tender more than Rs.5.00 Lakhs | 2% plus/minus. |
| b) Bitumen all works | 2.5 % plus only and nill on minus side. |
| c) Steel reinforcement and Structural steel sections for Each diameter, section and Category. | 2 % plus / minus. |
| d) All other materials | Nil |

अनुज्ञेय विभिन्नता से बाहर की सामग्रियों की वसूली दर

| क्रमांक | विवरण | आंकड़ों दरोँ तथा वे कार्य ठेकेदारों से वसूली की जाती हैं | |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| | | अनुज्ञेय विभिन्नता से बाहर अधिक | अनुज्ञेय विभिन्नता से बाहर कम उपयोग |
| 1 | सीमेन्ट | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर से दो गुना | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर एकल |
| 2 | इसपाती प्रबलन | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर से दो गुना | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर एकल |
| 3 | संरचना काट | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर से दो गुना | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर एकल |
| 4 | अनुबद्ध स्थित खंड परदिया गया बिटुमेन | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर से दो गुना | अनुसूची 'क' में उल्लिलिखित निर्णय दर एकल |

RECOVERY RATES FOR QUANTITIES BEYOND PERMISSIBLE VARIATION.

| Sr. No. | Description | Rate in figures and works of which recovery shall be made from the contractors. | |
|---------|---|---|---|
| | | Excess beyond permissible variation | Less used beyond the permissible variation. |
| 1. | Cement | Double the issue rate mentioned in Schedule 'A' | Single the issue rate mentioned in Schedule 'A' |
| 2. | Steel reinforcement | -do- | -do- |
| 3. | Structural section. | -do- | -do- |
| 4. | Bitumen Issued at stipulated fixed piece. | -do- | -do- |

ठेकेदारों की पतिशतता बिलों की शुद्ध या सफल राशि को लागु होती है या नही

खंड 43 : निविदा के पंष्ठ (२) निर्दिष्ट प्रतिशतता किए गए कार्य के बिलों की सकल राशि से काटि / में जोडी जाएगी ।

Contractor's
percentage
Whether
applied to net
or gross amount
of bill

Clause 43: The percentage referred to at page (2) of the tender will be deducted from/added to the gross amount of the bills for work done.

अनुसूची, जिसमें ठेके पर लिए गए काम के निष्पादन के लिए ठेके की शर्तों के खंड १० के अधीन बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियां (लगभग) और प्रभारित की जानेवाली दरें प्रदर्शित की गई हैं।

Schedule showing (approximately) materials to be supplied by the Board under Clause 10 of the conditions of contract for work contracted to be executed and the rates at which they are to be charged for.

| विवरण का स्थान | दर जिस पर सामग्री ठेकेदार को | रु. | सूपुर्दगी |
|-------------------|------------------------------|-----|-----------|
| | प्रभारित की जाएगी ईकाई | | |
| | | | |

| Particulars | Rates at which the material will be charged to the contractor | | Place of delivery |
|-------------|---|-----|----------------------|
| | Units | Rs. | |
| | | | |

टिप्पणी : निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति तथा फर्म को यज्ञ देखना चाहिए कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रपत्र को करते समय प्रभारी इंजीनियर द्वारा उपर्युक्त अनुसूची में भरी गई है।

NOTE : The Person or firm submitting the tender should see that the rates in the above schedule are filled up by the Engineer in charge on the issue of the form prior to the submission of the tender.

ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of Contractor

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
Signature of Chairman

कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड के लिए तथा
उसकी ओर से
For and on behalf of the Board of
Trustees of Kandla Port.

कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड
सुरक्षा संहिता
BOARD OF TRUSTEES OF KANDLA PORT
SAFETY CODE

सुरक्षा संहिता :

- (i) जमीन या सुव्ध निर्माण सुरक्षापूर्वक न किए जाने वाले सभी कार्य के लिए मजदूरी जो उपर्युक्त पाडे उपलब्ध किए जाने चाहिए। सिवाय ऐसे अल्प समय के काम के लिए, जबकि काम सीढियों द्वारा सुरक्षापूर्वक किया जा सकता है। जब सीढी का इस्तेमाल किया जाएगा तो सीढ पकडने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर काम कर लगाया जाएगा और यदि सामग्री ले जाने के लिए भी सीढी का इस्तेमाल किया जाता है तो सीढी पर पांव रखने के लिए उपर्युक्त आधार उपलब्ध किए जाएंगे और सीढी का झुकाव १/४ से १-१/४ पडी दिशा तथा खडी दिशा से अधिक नहीं होगा :

SAFETY CODE :

- i) Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used an, extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well, suitable footgolds shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than 1/4 to 1 (1/4 horizontal and 1 vertical).
- (ii) जमीन या फर्श से १२१ से अधिक उपर बना (पाडा या तरुतों का स्टेज): झुला हुआ या उपर के आधार से लटकाया हुआ या स्थिर आधार पर बनाए गए में एक गार्ड रोल होगी जो उपर्युक्त ढंग से संलग्न कुडो में जुडी-बंधी हुई तथा अन्य प्रकार से सुरक्षित की गई इस प्रकार के पाडे या स्टेज के फर्श या प्लेटफोर्म से कम-से-कम ३ फुट उंची होगी और वह बाहर की सारी लम्बाई और उसके सिरो तक फैली होगी और उसमें केवल सामग्री ले जाने के लिए आवश्यक खुली जगहें होगी। इस प्रपकार के पाडे या स्टेज को मजबूती से बांधा जाएगा जिससे कि वह भवन या संरचना इधर-उधर झुल न जाए :
- (ii) Scaffolding or staging more than 12 ft. above the ground or floor swung or suspended from an overhead support or erected with stationery support shall have guard rail properly attached bolted, braced and otherwise secured least 3 feet high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends thereof with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.
- (iii) काम करने के प्लेटफोर्म, मार्गिका या सीढियां इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे कि अनावश्यक ढंग से झुल न पाए या असमतल न हो जाएं और यदि प्लेटफोर्म या मार्गिका या सीढी की उंचाई जमीन की सतह या फर्श की सतह से १२ फुट से अधिक है तो उन्हें नजदीक से बंधा होना चाहिए। उनकी चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए और उन्हें उपर्युक्त प्रकार से बंधे होने चाहिए जैसाकि उपर्युक्त (ii) में बतलाया गया है:
- (iii) Working platform, gangways, and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 12 feet above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (ii) above.
- (iv) भवन के फर्श की प्रत्येक खुली जगह या काम करने के प्लेट फार्म में खुली जगह से व्यक्तियों या सामग्री का गिरना रोकने के लिए उपर्युक्त उपाय का प्रावधान उचित बाडा या लोहे की छडो की आड बनाकर किया जाना चाहिए जिसकी न्युनतम उंचाई ३ फुट होनी चाहिए :
- (iv) Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be provided with suitable means to prevent the fall of persons or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 3'-0.

- (v) सभी काम करने वाले प्लेटफॉर्मों तथा काम करने के अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रत्येक सीढ़ी को सुरक्षित ढंग से लगाया जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को उठाकर ले जाने वाली एक सीढ़ी उंचाई में ३० फुट से अधिक नहीं होगी जबकी भुजाओं के बीच सीढ़ियों की चौड़ाई किसी भी स्थिति में 11 ½ से कम नहीं जिसकी लम्बाई १० फुट होगी। बड़ी सीढ़ियों के लिए प्रत्येक फुट की अतिरिक्त लम्बाई के लिए चौड़ाई में कम-से-कम ½ वृद्धि होनी चाहिए। एक जैसी निरंतर रोक १२ से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैद्युत उपकरणों के खतरों के लिए उपयुक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य के किसी भी स्थल पर कोई सामग्री इस प्रकार जमा या रखी नहीं जाएगी जिससे किसी व्यक्ति या जनसाधारण के लिए खतरा या सुविधा उत्पन्न हो। ठेकेदार दुर्घटना से जन साधारण को बचाने के लिए सभी आवश्यकता बाड़ तथा प्रकाश उपलब्ध करेगा और प्रत्येक मुकदमे, कार्य या कानून की अन्य कार्यवाही, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त सावधानियों में करने के कारण लहने वाले मुकदमे, कार्य या कार्यवाही में जो हर्जाना या लागत किसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी या जो ठेकेदार की सहमति से इस प्रकार के व्यक्ति के किसी दावे में समझौता करने के लिए जाएगी, उन सब का वह देनदार होगा :
- (v) Safe means of access shall be provided to all working platform and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 30 feet in length while the width between side rails rung ladder shall in no case be less than 11.5" for ladder upto and including 10 feet in length. For longer ladders this width should be increased at least 1/4" for each additional foot of length. Uniform step spacing shall not exceed 12". Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites or work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit action or other proceedings at law that may be brought by any persons for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such person or which may, with the consent of the contractor, be paid to compensate any claim by any such person.
- (vi) मिट्टी खोदना तथा खाई खोदना : सभी खाइयों के लिए चार फुट या उससे अधिक गहरी होगी, कम-से-कम एक सीढ़ी प्रत्येक १०० फुट की लम्बाई या उसके भाग के लिए आपूर्ति की जाएगी। सीढ़ी खाई के पेदे से जमीन की सतह से कम-से-कम ३ फुट उपर होगी। उन खाइयों के स्थल को, जो ५ फुट या उससे अधिक गहरे हैं, उपयुक्त ढलान देने के लिए तथा सुरक्षा पूर्वक रुकावट के लिए टिम्बर की बंधनी उपलब्ध की जाएगी, जिससे उनके किनारों को ढहने से बचाया जा सके। खुदी हुई मिट्टी या सामग्री खाई के किनारे से ५ फुट की दूरी या खाई की गहराई की आधी दूरी, दोनों में से जो अधिक हो, उस तक नहीं रखना चाहिए। लाट उपर से लेकर पेदे तक होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पेदे को छेदना या कम काटने का काम नहीं किया जाएगा :
- (vi) Excavation and Trenching: All trenches, four feet or more in depth side shall at all times be supplied with at least one ladder for each 100 feet in length or fraction thereof. Ladder shall be extended from bottom of the trench to at least 3' above the surface of the ground. The site of the trenches which are 5' or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides to collapse The excavated material shall not be placed within 5' of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances under mining or under cutting shall be done.
- (vii) गिरने का काम: गिरने का कोई आरंभ करने से पूर्व तथा कार्य की प्रक्रिया के दौरान :
- (vii) Demolition: Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work.
- (क) कार्य स्थल के निकट की सभी सड़के तथा खुला क्षेत्र या तो बन्द कर दिया जाएगा या उपर्युक्त रूप में उसकी सुरक्षा की जाएगी
- (a) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.

- (ख) कोई विद्युत केवल या उपकरण, जिसके कारण खतरा उत्पन्न हो सकता है, बिजली से प्रभारित नहीं होगा:
- (b) No electric cable or apparatus which is liable to be source of danger or a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.
- (ग) काम में लगाए गए सभी व्यक्तियों को आग या विस्फोटन या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। किसी फर्श, छत या भवन के अन्य भाग में मलवे का ढेर या सामग्री इस प्रकार नहीं जमा करनी चाहिए जिससे कि असुरक्षा उत्पन्न हो।
- (c) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.
- (viii) सभी आवश्यक सुरक्षा उपस्कार, जिन्हें प्रभारी इंजीनियर पर्याप्त समझता है, स्थल पर काम में लगाए गए व्यक्ति के इसतेमाल के लिए उपलब्ध रखना चाहिए और उन्हें तुरंत इसतेमाल करने की स्थिति में अनुरक्षित रखना चाहिए और ठेकेदार को संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपस्कारों के उपयुक्त इसतेमाल को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए
- (viii) All necessary personal safety equipment as considered adequate by the engineer-in-charge should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned.
- (क) एस्फाल्टिक सामग्री, सीमेंट तथा चूना गारा को मिलाने का काम में लगे कामगारों को पैर-बचाव के जूते तथा संरक्षक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे :
- (a) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.
- (ख) जो सफेदी करने तथा मिलाने का काम या सीमेंट की बोरियों को, या किसी अन्य सामग्री को एकत्रित करने के काम में, जो आखों के लिए हानिकारक है, लगाए जाएंगे, उन्हें उसके लिए चश्मे उपलब्ध कराए जाए
- (b) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes shall be provided with protective goggles.
- (ग) जो व्यक्ति वेल्डिंग के काम में लगाए जाएंगे, उन्हें वेल्डरों का संरक्षक दृष्टि ढक्कन उपलब्ध कराया जाएगा।
- (c) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eye-shields.
- (घ) पत्थर तोड़ने वालों को संरक्षक चश्मे तथा संरक्षक पोशाक उपलब्ध की जाएगी और उन्हें एक-दूसरे से काफी दूर बैठाया जाएगा :
- (d) Stone breakers shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.
- (ड़) सभी जब कामगारों को सीवर या मैनहोल में, जो इसतेमाल में है, काम पर लगाया जाएगा तो ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैनहोल, उनके ढक्कन खुले हैं और वे कामगारों के उनके अन्दर घुसने से कम-से-कम एक घंटे पहले खुले रहे हैं और इस प्रकार खुले हुए मैनहोलों को उपयुक्त आड से घेर दिया जाएगा और उनके आस-पास जन साधारण को दुर्घटना से बचाने के लिए सावधानी संकेत या बोर्ड लगा दिया जाएगा :
- (e) When workers are employed in sewers and manholes, which are in use, the contractor shall ensure that the manhole covers are opened and are ventilated at least for an hour before the workers shall be allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public.

- (च) किसी भी प्रकार सीसा रखने वाले उत्पादों की पेटींग करने के लिए ठेकेदार १८ वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों तथा महिलाओं को काम पर नहीं लगाएगा। जब १८ वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों को सीसे की पेटींग के काम पर लगाया जाएगा तो निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए।
- (f) The contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work of painting with products containing lead in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following precautions should be taken:
- (i) सीसा या सीसे की उत्पाद रखने वाला कोई भी पेंट, पेस्ट या रेडीमेड पेंट के अलावा अन्य रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- (i) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or ready made paint.
- (ii) जब पेंट स्प्रे या सीसा पेंट रखने वाली सतह को रगड़कर या छील कर पेंड लगाया जाए तो कामगारों के उपयोग के लिए उपयुक्त चेहरा नकाव उपलब्ध कराया जाना चाहिए:
- (ii) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or surface having lead paint is dry rubbed and scrapped.
- (ix) जब काम किसी ऐसी स्थान पर किया जाता है जहां पानी में डूबने का खतरा है तो सभी आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराना चाहिए और उन्हें इस्तेमाल के लिए तैयार रखना चाहिए और खतरे में फंस किसी व्यक्ति को फौरन निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और काम के दौरान संभव सभी चोटों के प्राथमिक उपचार फौरन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने चाहिए :
- (ix) When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be obtained during the course of the work.
- (x) उतोलन तथा टेकल मशीनों का इस्तेमाल, जिसमें उनसे संबंध लंजर तथा आधार सम्मिलित है, निम्नलिखित मानकों तथा शर्तों के अनुसार होंगे।
- (x) Use of hoisting machine and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions :-
- (क) वे अच्छे यांत्रिक निर्माण, टोस सामग्री तथा पर्याप्त ताकत और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी तथा उन्हें अच्छी मरामत की गई स्थिति एवं उत्तम कार्यकारी स्थिति में रखा जाएगा :
- (a) These shall be of good mechanical construction, good material and adequate strength and free from patent defects and shall be kept repaired and in good working order
- (ख) उतोलकों में इस्तेमाल की जाने वाली प्रत्येक रस्सी या नीचे ले जाने वाली सामग्री या लटकाने का काम करने वाला साधन टिकाऊ, गुणता तथा पर्याप्त शक्तिवला होगा तथा वह प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगा।
- (b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from patent defects.
2. प्रत्येक क्रेन ड्राइवर या उतोलक उपकरण का प्रचालक उपर्युक्त रूप से योग्यता प्राप्त होगा और २१ वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति किसी उतोलन मशीन का प्रभारी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा पाडा जो आपरेटर को संकेत देता है, सम्मिलित कोई व्यक्ति किसी उतोलक मशीन का प्रभारी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा पाडा जो आपरेटर को संकेत देता है, सम्मिलित है।
2. Every crane driver of hoisting appliance operator, shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be incharge of any hoisting machine including any scaffolding which or give signals to operator.

3. प्रत्येक उतोलक मशीन तथा प्रत्येक चेन रिंग हुक, शैकल सूरीवेल तथा पुली ब्लॉक के मामले में जो, उतोलन या वर्किंग लोड को सुरक्षापूर्वक झुल देने के साधन रूप में इसतेमाल किए जाते हैं, संबंध में पर्याप्त साधनों द्वारा पता लगाया जाएगा। उपर संदर्भित प्रत्येक उतोलक मशीन और सभी गिवरों पर सुरक्षा कार्यकारी भार स्पष्ट रूप से लिख जाएगा। परिवर्तनीय सुरक्षा कार्यकारी भार रखने वाली उतोलक मशीनों के बारे में प्रत्येक सुरक्षा कार्यकारी भार जिन शर्तों के साथ लागू होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। किसी मशीन का कोई भाग वा उपर जिक्र किया गया गियर, जिसका इस अनुच्छेद में जिक्र है, सुरक्षा कार्यकारी भार से अधिक नहीं लादा जाएगा किन्तु इसमें परीक्षण सम्मिलित नहीं हैं।
 3. In case of every hoisting machine and of every chain, ring, hook, shackle swivel and pulley block used in hosting or as means of suspension the safe working load shall be ascerlined by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load in case of a hoisting machine having a variable safe working load, each safe working load and the conditions under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.
 4. विभागीय मशीनों के बारे में सुरक्षा कार्यकारी भार प्रभारी इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों की मशीनों का मामला है, ठेकेदार मशीन का सूरक्षा कार्यकारी भर उन मामलों में प्रभारी इंजीनियर को अधिसूचित करेगा जो वह कार्य स्थल पर लाता है और उसे संबंधित प्रभारी इंजीनियर द्वारा सत्पापित कराएगा।
 4. In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the electrical Engineer-in-charge. As regards contractor's machines, the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Engineer-in-charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer-concerned.
- (xi) उतोलक उपकरणों की मोटरों, गियरों, संचार विद्युत तारों तथा अन्य खतरे वाले भागों में कुशल सुरक्षात्मक व्यवस्था उपनब्ध करनी चाहिए। उतोलक उपकरणों में ऐसे साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे नीचे ले जाने पर दुर्घटनात्मक जोखिम को न्युनतम तक घटाया जा सके। झुलतर हुए भार को दुर्घटना में स्थान से हट जाने के कारण दुर्घटनात्मक जोखिम में कमी करके न्युनतम करने के लिए पर्याप्त सावधानी वरतनी चाहिए। वैद्युत संस्थापनों में जबकि उनमें विद्युत विद्यमान है, काम पर लगे कामगारों को इन्सुलेटिंग मैट, उपरि वस्त्र पहनना तथा बांह तक हाथ दस्ताने तथा दोनों हाथ में, जैसा भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कामगारों को अंगूठ, घडियाडू नहीं पहननी चाहिए और उन्हें चावियां या अन्य वस्तुएं अपने साथ नहीं रखनी चाहिए जो बिजली के सुचालक हैं।
- (xi) Motors, gearing, transmission, electrical wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards Hoisting appliances shoul be provided with such means as will reduce to the minimum risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce the minimum risk of any part of suspended load; becoming accidentally displaced. When workers and employed on electrical installation which are already energised ,insulating mats, wearing apparel, such as gloves sleeves and boots as may be necessary should be provided. The workers should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are good conductors of electricity.
- (xii) सभी पाडे, सीढीयां या अन्य सुरक्षा के साधन, जिनका विवरण यहां दिया गया है, सुरक्षा की स्थिति में अनुरक्षित किए जाएंगे और पाडे या उपस्कर जब इसतेमाल में हो तो उसे अदल-बदल देना चाहिए या हटा देना चाहिए। कार्य के स्थल के निकट धोने की पर्याप्त सुविधाएँ होनी चाहिए।
- (xii) All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.

(xiii) सुरक्षा के इन प्रावधानों को कार्य स्थल के महत्वपूर्ण स्थान पर, सूचना पट्ट पर प्रदर्शन द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाना चाहिए। सुरक्षा सीहता के अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम ठेकेदार द्वारा उपर्युक्त प्रदर्शन सूचना पट्ट में अंकित करना चाहिए :

(xiii) These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.

(xiv) सुरक्षा सावधानियों के नियमों तथा विनियमों को प्रभावकारी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा लिए गए प्रबंध श्रम अधिकारी बोर्ड के प्रभारी इंजीनियर या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरक्षण के लिए खुले होने चाहिए।

(xiv) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions, the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the labour officer or Engineer-in-charge of the board or their representatives.

(xv) उपर्युक्त खण्ड के (i) से लेकर (xiv) के बावजूद इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी अन्य अधिनियम या लागू नियम से, जो भारतीय गणतंत्र में लागू है, ठेकेदार को छूट देता है।

(xv) Notwithstanding the above clause from (i) to (xiv) there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any Act or rules in force in the Republic of India.

कंडला पोर्ट के न्यासी बोर्ड या उसके ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए कामदारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा तथा सफाई व्यवस्था संबंधी माडल नियम

Model Rules For the Protection of Health and Sanitary arrangements for workers employed by the Board of Trustees of Kandla Port or its contractors.

1. अनुप्रयोग :

ये नियम बोर्ड के प्रभार के सभी भवनों तथा निर्माण कार्य पर लागू होंगे।

1. Application.

1. These rules shall apply to all building and construction works in charge of the Board.

2. परिभाषा :

2. Definotions:

(1) कार्य स्थान का अर्थ वह स्थान है, जहां निर्माण कार्य के संबंध में औसत के तौर पर 50 या अधिक कामगार काम पर लगाए गए हैं।

(1) "Work place" means a place at which, at an average 50 or more workers are employed in connection with construction work.

(2) बड़ा कार्य स्थान का अर्थ ऐसा स्थान है, जहां औसत के तौर पर 500 या अधिक कामगार काम पर लगाए गए हैं।

(2) "Large work place" means a place at which, at an average 500 or more workers are employed in connection with construction work.

3. प्राथमिक सहायता:

3. First Aid:

(क) प्रत्येक कार्य स्थान पर किसी सरलता से पहुंचने वाले स्थान पर प्राथमिक सहायता उपकरण उपलब्ध होंगे जिनमें निष्कीटित डेसींग तथा निष्कीटित रुई सम्मिलित है। उपकरणों को अच्छी हालत में रखना चाहिए और बड़े कार्य स्थानों में से किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखे जाएंगे जो कार्य घंटों में सरलतापूर्वक मिल सकेगा।

(a) At every work place, there shall be maintained in a readily accessible place, first aid appliances including an adequate supply of sterilized dressings and sterilized cotton

wool. The appliances shall be kept in good order and in large work place they shall be placed under the charge of a responsible person who shall be easily available during working hours.

- (ख) बड़े कार्य स्थानों में जहाँ अस्पताल की सुविधाएं कार्य स्थल से निकट दूरी के भीतर उपलब्ध नहीं हैं, प्राथमिक सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और वे प्रशिक्षित कम्पाउंडरों द्वारा चलाए जाएंगे:
- (b) At large work places, where hospital facilities are not available within easy distance of the works, First aid posts shall be established and be run by trained compounder.
- (ग) जहाँ बड़े कार्य स्थान निर्मित अस्पताल स्थानों से दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं, वहाँ प्रत्येक २५० कर्मचारियों के लिए एक विस्तर, एक अंतरंग वार्ड के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा :
- (c) Where large work places are remote from regular hospitals, an indoor ward shall be provided with one bed for every 250 employees.
- (घ) जहाँ बड़े कार्य स्थान, नगरों के किनारे या उनके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं और नगर या नस्वा अस्पताल निकट होने के कारण विस्तरों की आवश्यकता नहीं समझी जाती, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी। अन्य कार्य स्थानों में वाहन की कुछ सुविधाएं तथा मोटर कार किसी चोट लगे व्यक्ति या अचानक गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों का निकट अस्पताल तक सुविधाएं तक पहुंचाने के लिए तुरंत उपलब्ध रखी जाएगी।
- (d) Where large work places are situated in cities, town or in their suburbs and so beds are considered necessary owing to the proximity of city or town hospitals, suitable transport shall be provided to facilitate removal of urgent cases to the hospitals. At other work places, some conveyance facilities, such as a car, shall be kept readily available to take injured person or persons suddenly taken seriously ill to the nearest hospital.

4. पीने का पानी:

4. Drinking Water:

- (क) प्रत्येक कार्य स्थान पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध तथा अनुरक्षित किए जाएंगे जहाँ मजदूरों को पीने के लिए उपयुक्त ठण्डे पानी की पर्याप्त आपूर्ति सरलता से उपलब्ध होगी;
- (a) In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.
- (ख) जहाँ पीने का पानी की व्यवस्था निरंतर चलने वाली सार्वजनिक जल आपूर्ति से की जाती है, प्रत्येक कार्य स्थल पर भंडारण उपलब्ध किया जाएगा जहाँ इस प्रकार का पीने का पानी इकट्ठा किया जाएगा ;
- (b) Where drinking water is obtained from an intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.
- (ग) प्रत्येक जल आपूर्ति का भंडारण पाखाने, नाली या प्रदूषण के अन्य स्रोतों से कम-से-कम ५० फुट की दूरी पर होना चाहिए जहाँ पानी किसी वर्तमान कुएं से लिया जाता है। कुएं में से पीने का पानी लेने से पूर्व उसमें भली-भांति क्लोरीन डालनी चाहिए। इस प्रकार के सभी कुओं को बिल्कुल बन्द रखना चाहिए और उन पर जाल लगा दरवाजा लगवाना चाहिए जो धूल तथा पानी जाने के लिए सर्वथा अन्ध हो;
- (c) Every water supply or storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine, drain or other source of pollution, where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap door which shall be dust and water proof.

(घ) प्रत्येक ढक कुएं में एक विश्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। प्रत्येक ढके हुए कुएं से जाल का दरवाजा फिट किया जाएगा। जाल वाले दरवाजे पर ताला लगाया जाएगा और वह केवल सफाई तथा निरीक्षण के लिए खोला जाएगा जो महिने में कम-से-कम एक बार किया जाएगा।

(d) A reliable pump shall be fitted to each covered well the trap door shall be fitted to each covered well, the trap door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

5. धोने तथा स्नान करने के स्थान :

5. Washing and Bathing places :

(i) पुरुषों तथा महिलाओं के लिए पृथक पर्याप्त धोने और नहाने के स्थान उपलब्ध किए जाएंगे;

(i) Adequate washing and bathing places shall be provided separately for men and women.

(ii) इस प्रकार के स्थानों को स्वच्छ तथा पानी निकालने की व्यवस्था सहित रखा जाएगा।

(ii) Such places shall be kept in clean and drained condition.

6. पाखाना तथा पेशाब घट के लिए स्थान की माप:

प्रत्येक कार्य स्थान के अहाते भीतर पाखाना तथा पेशाब घर आसानी से जाने योग्य स्थानों पर उपलब्ध किए जाएंगे और उनमें से प्रत्येक के लिए पृथक स्थान की माप निम्न प्रकार से होनी चाहिए-

6. Scale of Accommodation in Latrines and Urinals :

There shall be provided within the premises of every work latrines and urinals in all accessible place, and the accommodation, separately for each of them, shall not be less than the following scale :

(क) जहां व्यक्तियों की संख्या ५० से अधिक नहीं है, सीट की संख्या २

(a) Where the number of persons does not exceed 50 No. of seats 2

(ख) जहां व्यक्तियों की संख्या ५० से अधिक किन्तु १०० से कम है, सीट की संख्या ३;

(b) Where the number of persons does exceed 50, but does not exceed 100, No. of seats 3

(ग) प्रत्येक अतिरिक्त १०० के लिए, ३ के लिए एक विशेष मामलों में कार्य पालक इंजीनियर को आवश्यकता के अनुसार मापदंड में परिवर्तन करने का अधिकार है।

(c) for every additional 100, 3 per 100

In particular cases the Executive Engineer shall have powers to vary the scale, where necessary.

7. महिलाओं के लिए पाखाना तथा पेशाब घर:

यदि महिलाएं काम पर रखी गई है तो पुरुषों से पर्दे द्वारा अलग किया गया तथा देसी भाषा में मोटे अक्षरों में केवल महिलाओं के लिए लिखा पाखाना तथा पेशाबघर उनके लिए उपलब्ध किया जाएगा जिसका मानदंड नियम ६ में दिए गए अनुसार होगा।

7. Latrine and Urinal for women :

If women are employed, separate latrines and urinals screened from those for men and marked in the vernacular in conspicuous letters " For women only" shall be provided on the scale laid in Rule 6.

7.क. इसी प्रकार पुरुषों के पाखानों पर केवल पुरुषों के लिए लिखा होगा। पाखाना के प्रवेश द्वार पर यश संबंधित अनुसार पुरुष या महिला का चित्र प्रदर्शित किया जाएगा। पेशाबघर तथा पाखाने के निकट पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जाएगी।

7A. Those for men shall be similarly marked "for men only". A poster showing figure of a man and woman shall also be exhibited at the entrance of latines for each sex. There shall be adequate supply of water close to the urinals and latrines.

8. पाखाना तथा पेशाब घर:

वाटर प्लशड पाखाना, जो वाटर बोर्न मल निकासी पद्धति से जाड़ा गया होगा, के अलावा सभी पाखानों में मल-मूत्र के लिए सूखी जमीन पद्धति उपलब्ध की जाएगी जो कम-से-कम चार बार प्रति

दिन साफ की जाएगी और कम-से-कम दो बार कार्य के घंटों में और सम्पूर्ण सफाई की स्थिति में रखा जाएगा। मल-मूत्र ग्राही पात्रों में वर्ष में कम-से-कम एक बार ताकोल डाला जाएगा।

8. Latrines and Urinals :

Except in work places provided with water-flushed, latrines, connected with a water borne sewage system, all latrines shall be provided with receptacles on dry-earth system which shall be cleaned at least four-times daily and at least twice during working hours and kept in a strictly sanitary condition. The receptacles shall be tarred inside and outside at least once a year.

9. परखाने का निर्माण :

भीतर की दिवारों मेसनरी की उपयुक्त ताप अवरोधक गैर-अवशेषक सामग्री से बनाई जाएगी और उनके बाहर और भीतर वर्ष में कम-से-कम एक बार सिमेंट का प्लास्टर लगाया जाएगा। सीमेंट प्लास्टर की तारीख इस अभिप्राय के लिए रखे गए रजिस्टर में लिखी जाएगी और केवल निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। परखाने बोर्न होल पद्धति से कम मानक से नहीं होंगे और उनकी छतें फूस की ही होनी चाहिए।

9. Construction of latrines :

The inside walls shall be constructed of masonry of some suitable heat resisting non absorbent material and shall be cement washed inside at least once a year. The dates of cement washing shall be noted in a register maintained for this purpose and kept available for inspection. Latrines will not be of a standard lower than bore hole system and should have thatched roofs.

10. मल-मूत्र का निपटान:

स्थानिय सफाई अधिकारियों के साथ अन्य प्रकार का प्रबंध न होने पर मल-मूत्र के उपयुक्त निपटान का प्रबंध कार्य स्थान पर उपयुक्त ढंग से जलाकर किया जाएगा जो सहायक निदेशक, लोक स्वास्थ्य या नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, और जिसके कार्य क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में कार्य स्थान स्थित हो उसी के अनुसार स्वीकृत किया हुआ होगा। विकल्प के रूप में मल-मूत्र को इस अभिप्राय के लिए निर्मित एक पक्की टका के पेदे में नाइट सोइल की एक परत रखी जा सकती है और इसमें मलमूत्र के अवशेष की ६ परत होने पर फिर उसे मिट्टी की एक परत के साथ १५ दिन के लिए ढका जा सकता है जबकि वह खाद बन जाएगा।

10. Disposal of Excreta :

Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator approved by the Assistant Director of Public Health or the Municipal Officer of Health, as the case may be, in whose jurisdiction the work place is situated. Alternatively, excreta may be disposed off by putting a layer of night soil at the bottom of pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 6" layer of waste or refuse and then covering it up with a layer of earth for a fortnight (When it will turn into manure.)

11. आराम के लिए शरण-स्थल का प्रावधान

प्रत्येक कार्य स्थल पर दो उपर्युक्त शेड, एक भोजन के लिए तथा दूसरे आराम करने के लिए पुरुषों तथा महिलाओं के लिए पृथक श्रमिकों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध किया जाएगा। शरण स्थल की उंचाई फर्श के धरातल से छत के सबसे निचले भाग तक ११ फुट से कम नहीं होनी चाहिए। शेडों की छत कम-से-कम फूस की होनी चाहिए और मिट्टी के फर्श के साथ छोटी दीवार चारों ओर उपलब्ध की जाएगी जो 2½ फुट से कम नहीं होगी। शेडों को साफ रखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम-से-कम स्थान ५ वर्ग फुट के हिसाब से होना चाहिए।

11. Provision of Shelters during rest :

At every work place there shall be provided free of cost, two suitable sheds one for meals and the other for rest separately for men and women for the use of labor. The height of the shelter shall not be less than 11 feet from the floor-level to the lowest part of the roof. The sheds should be roofed with at least thatch and mud flooring will be provided with a dwarf wall around not less than 2.5 feet. Sheds should be kept clean and the space should be on the basis of at least 5 square feet per head.

12. क्रेच (बालग्रह)

12. Creches :

- (क) प्रत्येक कार्य स्थान पर जहां ५० या अधिक महिलाएं आमतौर पर काम में लगाई गई हैं, इस प्रकार की महिलाओं के ६ वर्ष की आयु से कम के बच्चों के इस्तेमाल के लिए दो झोंपड़ियां उपलब्ध की जाएंगी। एक झोंपड़ी शिशुओं के खेल और क्रीडा के लिए तथा दूसरी उनके सोने के कमरे के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। झोंपड़ियां निम्नलिखित से कम मानदंड पर नहीं बनाई जाएंगी।
- (a) At every work place' at which 50 or more women workers are ordinarily employed, there shall be provided two huts for the use of children, under the age of 6 years, belonging to such women. One hut shall be used for infants games and play and the other as their bed room. The huts shall not be constructed on a lower standard than the following :
- (i) फूस की छत;
 - (i) thatched roofs :
 - (ii) मिट्टी की फर्श तथा दीवारें;
 - (ii) mud floors and walls
 - (iii) मिट्टी की फर्श पर तख्ते डाल दिए जाएंगे और उन पर चटाईयां बिछी होंगी। झोंपड़ियों के प्रकाश तथा रोशनी के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध स्थान होना चाहिए। स्थान के साफ रखने के लिए सफाई कर्मचारी का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। दो दाइयां रख-रखाव के लिए होंगी। बोर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार सफाई वर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। झोंपड़ी का इस्तेमाल बच्चों, उनके परिवारों तथा बच्चों की माताओं तक सीमित होगा।
 - (iii) Planks spread over the mud floor and covered with matting. The huts shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean There shall be two dais in attendance Sanitary utensils shall be provided to the satisfaction of the Health Officer of the Board. The use of the hut shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.
- (ख) जहां महिला कामगारों की संख्या २५ से अधिक किन्तु ५० से कम है, ठेकेदार कम-से-कम एक झोंपड़ी का निर्माण करेगा और एक दाई महिला कामगारों के बच्चों की देख-रेख के लिए उपलब्ध कराएगा।
- (b) Where the number of women workers is more than 25, but less than 50, the contractor shall provide at least one hut and one Dai to look after the children of women workers.
- (ग) क्रेच या क्रेचों का आकार महिला कामगारों की संख्या के अनुसार परिवर्तनशील होगा;
- (c) The size of creche or creches shall vary according to the number of women workers.
- (घ) क्रेच या क्रेचों का उपयुक्त अनुरक्षण किया जाएगा और खिलौने इत्यादि जैसे आवश्यक उपस्करों का प्रावधान लिया जाएगा।
- (d) The creche or creches shall be properly maintained and necessary equipment like toys etc. shall be provided.

13. कैन्टीन

जहां कहीं आवश्यक समझा जाएगा, पके हुए तैयार खाद्य पदार्थों की कैन्टीन साधारण पैमाने पर कामगारों की सुविधा के लिए उपलब्ध की जाएगी।

13.Canteen

A cooked food canteen on a moderate scale shall be provided for the benefit of worker, wherever it is considered expedient.

14. उपयुक्त नियम ठेकों और निविदा आमंत्रण करने वाली सूचनाओं में सम्मिलित किए जाएंगे और वे ठेके के एक अभिन्न अंग होंगे।

14. The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form integral part of the contracts.

कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड
पोर्ट ठेकेदारों का श्रम विनियम
**THE BOARD OF TRUSTEES OF KANDLA
PORT CONTRACTOR'S Labour Regulation**

संक्षिप्त नाम

1. इन विनियमों को न्यासी बोर्ड पे ठेकेदारों का श्रम विनियम कहा जाएगा ।

Short Title

1. "These regulations may be called the Board of Trustees of Contractors Labour Regulations".

2. परिभाषा : इन विनियमों में अन्य प्रकार से अभिव्यक्त या उल्लिखित किए जाने पर निम्नलिखित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ उन्हें क्रमशः दिए गए स्पष्टीकरण के समान होगा; अर्थात्

2. Definitions :- In these regulations, unless otherwise expressed or indicated, the following words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them respectively, that* is to say :

- i) बोर्ड का अर्थ कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड है;

The 'Board' means the Board of Trustees of Kandla Port.

- ii) 'श्रमिक' का अर्थ कामगार है जो कंडला पोर्ट न्यासी बोर्ड के ठेकेदारों द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी उप ठेकेदार के माध्यम से या अन्य व्यक्ति या उसकी ओर से किसी एजेंट के माध्यम से अधिक से अधिक रु. ४०० पर रखे जाते हैं और ओवरसियर जैसे पर्य वेक्षकीय कार्मिक उनमें सम्मिलित नहीं हैं;

"Labour" means workers employed by a Contractor of the Board of Trustees of kandla Port directly, or indirectly through a sub-contractor or other persons or by an agent on his behalf on a payment not exceeding Rs. 400/- per month and will not include supervisory staff like Overseers etc.

- iii) उचित मजदूरी का अर्थ निविदा आमंत्रित करते समय उजरती कार्य के लिए अधिसूचित मजदूरी से है और जहां इस प्रकार मजदूरी अधिसूचित नहीं की गई है, वहां कंडला पोर्ट का न्यासी बोर्ड जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड के रूप में संवोधित किया जाएगा द्वारा निर्धारित मजदूरी है। वह बोर्ड द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्थिति औद्योगिक संबंधी मशीनरी के अधिकारी की सलाह से अधिसूचित निर्धारित की जाएगी और वह उसी प्रकार के कार्य में उसी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी के लिए बोर्ड द्वारा निश्चित मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी। ६

Fair wages "means, wages whether for time or piece work notified at the time of inviting tenders for the work and where such wages have not been so notified, the wages prescribed by the Board of trustees of Kandla Port (herein after referred to as the Board) It Will be notified prescribed by the Board in consultation with the officer of the Industrial Relations Machinery located in the respective areas and will not be less than minimum rates of wages fixed by the Board for that class of employee engaged on the same type of work in the same area.

- (iv) ठेकेदार में प्रत्येक वह व्यक्ति सम्मिलित है चाहे वह उप-ठेकेदार या मुकादूम या एजेंट हो जो ठेके पर लिए गए काम के लिए मजदूरों को काम पर लगाता है;

"Contractors" shall include every person whether a sub-contractor or headman or agent, employing labour on the work taken on contract.

- (v) मजदूरी का वही अर्थ होगा जैसाकि मजदूरी भुगतान अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा उसमें समय और उजरती दर मजदूरी सम्मिलित है।

"Wages" shall have the same meaning as defined in the payment of Wages Act and includes time and piece rate wages.

2. क) आमतौर पर एक वयस्क कर्मचारी के कार्य के घंटे 9 घंटे प्रतिदिन से अधिक और बच्चों के लिए 4 ½ घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य दिवस को इस प्रकार प्रबंधित करना चाहिए कि आराम के लिए अंतराल मिलाकर किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. a) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day and in case of child 4 ½ hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day.
2. ख) जब किसी वयस्क कामगार से 9 घंटे प्रतिदिन या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम लिया जाता है तो उसके द्वारा किए गए फलतू घंटों के लिए मजदूरी को सामान्य दर से दुगुनी दर पर उसे ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। बच्चों से फलतू घंटों का काम करना चाहिए।
2. b) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week he shall be paid overtime for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages. Children shall not be made to work extra hours.
2. ग) प्रत्येक कामगार को साप्ताहिक छुट्टी आमतौर पर रविवार को दी जाएगी।
2. c) Every worker shall be given a paid weekly holiday normally on Sunday.

3. मजदूरी इत्यादि विषय में सूचना का प्रदर्शन : ठेकेदार-

3. Display of notice regarding Wages etc.:- The Contractor shall

- (क) ठेकेदार अपना काम प्रारंभ करने से पूर्व कार्य स्थान पर अंग्रेजी और कामगारों की अधिक संख्या द्वारा बोली जानेवाली भारतीय भाषा में स्वच्छ तथा पढ़ने योग्य स्थिति में सूचना प्रदर्शित करेगा, सही ढंग से अनुरक्षण करेगा एवं उसे निरंतर प्रदर्शित तथा सही अनुरक्षित करेगा जिसमें मजदूरी की दरें अंकित की जाएगी, जिसे कार्यपालक इंजीनियर मुख्य अभियंता या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त उचित मजदूरी के रूप में प्रमाणित करेगा; और
- (a) Before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain a clear and legible condition in conspicuous places on the work. notices in English and in the local Indian Language spoken by the majority of the workers, giving the rates of wages which have been certified by the Executive Engineer, Chief Engineer or Regional Labour Commissioner, as fair wages and the hours of work for which such wages are earned, and
- (ख) इस प्रकार की सूचनाओं की एक प्रति प्रमाणित करने वाले अधिकारी के पास भेजेगा।
- (b) Send a copy of such notices to the certifying officer.

4. मजदूरी का भुगतान :

4. Payment of Wages :

- (i) प्रत्येक कामगार को देय मजदूरी सीधे उसे दी जाएगी;
Wages due to every worker shall be paid to him direct.
- (ii) सभी मजदूरी चालू सिक्कों या नोटों या दोनों में दी जाएगी;
All wages shall be paid in current coin or currency or in both.
- (iii) काम की समाप्ति के 2 महीने बाद दावा की गई बकाया राशि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
Arrears claimed after 2 months after the completion of the work shall not be entertained.

5. मजदूरी की अवधि का निश्चय,

5. Fixation of wage Periods :-

The contractor shall fix the wage periods in respect of which the wages shall be payable.

- (ii) किसी भी मजदूरी की अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी;

No wage period shall exceed one month.

- (iii) ठेकेदार काम पर लगाए गए प्रत्येक कामगार की मजदूरी का भुगतान (क) उन स्थापनाओं के मामले में, जहां मजदूरी की अवधि एक सप्ताह है, मजदूरी अवधि के बीत जाने के 3 दिन के भीतर, और (ख) अन्य स्थापना के मामले में मजदूरी अवधि के पश्चात् 7 वां या 10 वां दिन बीतने से पूर्व कार्य स्थापना में काम पर लगाए गए कामगारों की संख्या 1000 से कम या 1000 से अधिक है तो उसके अनुसार किया जाएगा;

Wages of every worker employed is on the contract shall be paid (a) in case of establishments in which wage period is one week within 3 days from the end of the wage period and (b) in the case of other establishments before the expiry of the 7th day or 10th day from the end of the wage period according to the number of workers employed in such establishments does not exceed 1000 or establishment 1000.

- (iv) यदि किसी कामगार का रोजगार ठेकेदार या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है तो उसके द्वारा कमाई गई मजदूरी का भुगतान उसका रोजगार समाप्त किए जाने वाले महीने के पश्चात् आनेवाले महीने के समाप्त होने से पूर्व कर दिया जाएगा।

When the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the day succeeding the one on which his employment is terminated.

- (v) मजदूरी का पूरा भुगतान किसी कार्य-दिवस को किया जाएगा। सिवाय, इसके कि यदि काम मजदूरी अवधि के समाप्त होने से पूर्व समाप्त हो जाता है तो उस मामले में अन्तिम भुगतान कार्य स्थल पर अन्तिम कार्य दिवस के 48 घंटे के भीतर और कार्य के समय के दौरान किया जाएगा।

All payment of wages shall be made on a working day except when the work is completed before the expiry of the wage period, in which case final payment shall be made within 48 hours of the last working day at work site and the during the working time.

टिप्पणी : 'कार्य दिवस' का अर्थ उस दिन से है जिस काम के लिए मजदूरी को रखा गया है और वह काम हो रहा हो।

Note : The term "working day" means a day on which the work on which the labour is employed, as in progress.

6. मजदूरी पुस्तक तथा मजदूरी इत्यादि:

Wage book and wages slips etc.

- 1). ठेकेदार प्रत्येक कामगार के लिए मजदूरी पुस्तक का अनुरक्षण ऐसे प्रपत्र में करेगा जो कार्य स्थान के लिए सुविधाजनक हो किन्तु उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :

The contractor shall maintain a wage Book of each worker in such form as may be convenient at the place of work but the same shall include the following particulars :

(क) कामगार का नाम;

(a) Name of the worker

(ख) दैनिक या मासिक मजदूरी की दर;

(b) Rate of daily or monthly wages

- (ग) काम की प्रकृति, जिस पर लगाया गया है;
- (c) Nature of work on which employed
- (घ) प्रत्येक मजदूरी अवधि में किए गए कार्य दिनों की कुल संख्या;
- (d) Total number of days worked during each wage period.
- (ङ) तिथि तथा समय, जिसके लिए ओवरटाइम काम किया गया;
- (e) Dates and periods for which worked overtime.
- (च) प्रत्येक मजदूरी अवधि के दौरान कार्य के लिए कुल देय मजदूरी;
- (f) Gross wages payable for the work during each wage period.
- (छ) मजदूरी से की गई सभी कटौतियां तथा इस बात का उल्लेख कि प्रत्येक मामले में किस कारण से कटौति की गई;
- (g) All deductions made from the wage with an indication in each case of the ground for which the deduction is made.
- (ज) प्रत्येक मजदूरी अवधि के लिए वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी ।
- (h) Wages actually paid for each wage period.
- i) कामगार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान;

Signature or thumb impression of the worker.

ठेकेदार, उसके द्वारा लगाए गए प्रत्येक कामगार को मजदूरी; वितरण के दिन से कम-से-कम एक दिन पूर्व मजदूरी पर्ची भी जारी करेगा जिसमें उपर्युक्त विवरण अंकित होंगे;

The contractor shall also issue a wage slip containing the aforesaid particulars to each worker employed by him on the work at least a day prior to the day of disbursement of wages.

- iii) ठेकेदार, प्रत्येक कामगार के कार्य-दिवस को या उसके द्वारा काम में दाखिल होने की तिथि को निर्धारित प्रत्येक फार्म III में एक रोजगार कार्ड जारी करेगा । यदि कामगार के पास पहले ही इस प्रकार का कार्ड पिछले नियोक्ता से है तो ठेकेदार उस रोजगार कार्ड को केवल संगत प्रविष्टियों के साथ पृष्ठांकित करेगा । रोजगार समाप्त हो जाने के पश्चात् द्वारा रोजगार कार्ड में पुनःपृष्ठांकन किया जाएगा और वह कामगार को वापस कर दिया जाएगा ।

The contractor shall issue an Employment Card in the prescribed form to each worker on the day of work or entry into his employment. If the worker has already any such card with from the previous employer the contractor shall merely endorse that employment card with relevant entries on termination of employment the Employment Card shall again be endorsed by the contractor and returned to the worker.

- iv) भुगतान की गई मजदूरी का रजिस्टर: ठेकेदार भुगतान न की गई मजदूरी का रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा जो कार्य स्थल पर सुविधाजनक हो किन्तु उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे;

7. Register of Unpaid wages : The contractor shall maintain a register of unpaid wages in such form as may be convenient at the place of work but same shall include the following particulars.

- (क) उन मजदूरों के पूर्ण विवरण, जिनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया;
- (a) Full particulars of the labourers whose wages have not been paid.
- (ख) नामवाली (मस्टररोल) तथा मजदूरी रजिस्टर की संदर्भ संख्या;
- (b) Reference number of the muster roll and wage register.

- (ग) मजदूरी का दर;
 - (c) Rate of wages
 - (घ) मजदूरी की अवधि;
 - (d) Wage period
 - (ङ) कुल राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया;
 - (e) Total amount not paid.
 - (च) भुगतान न करने का कारण;
 - (f) Reasons for not making payment.
 - (छ) भुगतान न की गई मजदूरी की राशि का क्या इस्तेमाल किया गया;
 - (g) How the amount of unpaid wages was utilised.
 - (ज) तिथि सहित भुगतान (भरपाई) ।
 - (h) Acquittance with dates.
8. दुर्घटनाओं का रजिस्टर: ठेकेदार दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा जो कार्य स्थल पर सुविधाजनक होगा किन्तु उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:
- 8. Register of Accidents :**
- The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars :
- (क) दुर्घटना के शिकार हुए मजदूरों का पूरा विवरण;
 - (a) Full particulars of the labourers who met with accident,
 - (ख) मजदूरी की दर;
 - (b) Rate of wages
 - (ग) लिंग
 - (c) Sex
 - (घ) आयु
 - (d) Age
 - (ङ) दुर्घटना की प्रकृति तथा दुर्घटना का कारण;
 - (e) Nature of accident and cause of accident.
 - (च) दुर्घटना का समय तिथि
 - (f) Time and date of accident.
 - (छ) अस्पताल में दाखिल होने की तिथि तथा समय
 - (g) Date and time when admitted in hospital.
 - (ज) उपचार की अवधि तथा उपचार का परिणाम;
 - (h) Date of discharge from the hospital.
 - (झ) अस्पताल से छुट्टी मिलने की तारीख;
 - (i) Period of treatment and result of treatment.

- (झ) कमाने की सक्षमता में हुई हानि की प्रतिशतता तथा विकलांगता की प्रतिशतता जैसा चिकित्सा अधिकारी ने मूल्यांकन किया हो;
- (j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.
- (ट) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन किया गया दावा जिसका भुगतान किया जाएगा;
- (k) Claim required to be paid under workmen's Compensation Act.
- (ठ) क्षतिपूर्ति के भुगतान की तिथि;
- (l) Date of payment of compensation.
- (ड) भुगतान की गई राशि तथा उस व्यक्ति का विवरण, जिसे भुगतान किया गया;
- (m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid.
- (ढ) प्राधिकरण, जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन किया गया;
- (n) Authority by whom the compensation was assessed.
- (ण) अभ्युक्तियाँ
- (o) Remarks

9. मजदूरी पर किया जानेवाला जुर्माना तथा कटौति

9. Fines and Deduction which may be made from wages.

- (i) कामगारों की मजदूरी निम्नांकित के अलावा बिना किसी प्रकार की कटौति किए ही भुगतान की जाएगी;
- (i) The wages of worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the following:
- (क) जुर्माना;
- (a) Fines.
- (ख) काम से अनुपस्थित रहने की कटौति अर्थात् उसके रोजगार की शर्तों के अनुसार स्थान तथा विविध स्थान, जहां उसे काम करना है कटौती की राशि, उसकी अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी;
- (b) Deduction for absence from duty i.e. , from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.
- (ग) रोजगार व्यक्ति को रखवाली के लिए स्पष्ट रूप से सौंपी गई वस्तुओं की क्षति तथा हानि या धन की हानि या कोई अन्य कटौति जिसका उसे हिसाब देना था, क्या इस प्रकार की क्षति या हानि उसकी लापरवाही या चूक से सीधे तौर से संबंधित है ?
- (c) Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody or for loss of money or any other deduction which he is required to account where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.
- (घ) अग्रिम राशि की वसूली के लिए कटौती या की गई अधिक मजदूरी भुगतान का समायोजन स्वीकृत अग्रिम राशि रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा;
- (d) Deduction for recovery of advances or for adjustment of over-payment of wages, advance granted shall be entered in a register.
- (ड) कोई अन्य कटौति के लिए समय-समय पर बोर्ड टनुमति देगा ।
- (e) Any other deduction which the board may from time to time allow.

- (ii) किसी कामगार पर कोई जुर्माना नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि उसकी ओर से किए गए ऐसे कार्य या भुल जिनके लिए मुख्य श्रम आयुक्त ने जुर्माना की मंजूरी दी है;

No fine should be imposed on any worker shall in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by chief labour commissioner.

- (iii) किसी कामगार पर कोई जुर्माना नहीं करना चाहिए और उसकी मजदूरी से क्षति या हानि के लिए जब तक कोई कटौति नहीं की जाएगी जब तक कि कामगार को इस प्रकार के जुर्माना या कटौति के विरुद्ध कामगार को कारण बताओ का अवसर न दिया गया हो;

No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such fines or deduction.

- (iv) किसी कामगार पर एक मजदूरी अवधि के दौरान किए जाने वाले कुल जुर्माना की राशि उसे उस मजदूरी अवधि के संबंध में देय मजदूरी के एक रुपये के एक रुपये में तीन नए पैसे से अधिक नहीं होनी चाहिए;

The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three naya paisa in a rupee of the wages payable to him in respect of that wage period.

- (v) किसी कामगार पर किया गया जुर्माना उससे किस्तों में या जुर्माना किए जाने की तिथि से साठ दिन बीत जाने के पश्चात नहीं वसूल किया जा सकता;

No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalment or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.

- (vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन लिया माना जाएगा सि दिन कोई काम या चूक हुई है जिसके लिए जुर्माना किया गया है।

Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

10. जुर्माने इत्यादि का रजिस्टर

10. Register of fines, etc.

- (i) ठेकेदार की क्षति या हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर प्रपत्र संख्या १ तथा २ में अनुरक्षित करना चाहिए जो कार्य स्थान पर रखा जाएगा;

- (i) The contractor shall maintain a register of deductions for damage or loss in form No. 1 and 2 respectively which should be kept at the place of work.

- (ii) ठेकेदार अंग्रेजी तथा स्थानीय भारतीय भाषा दोनों में एक सूची करें जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत होगी, अनुरक्षण करेगा जिसमें उन कर्तव्यों या चूकों को दर्ज किया जाएगा जिनके लिए किसी कामगार पर सजा या जुर्माना किया जाता है और वह सूची काम के महत्वपूर्ण स्थान पर अच्छी हालत में तथा प्रसिद्ध स्थान पर रखी जाएगी।

- (ii) The contractor shall maintain in both english and the local Indian language a list approved by the chief labor commissioner clearly stating the acts and omissions for which penalty or fine may be imposed on a workman and display it in a good condition in a conspicuous place on the work.

- 11 रजिस्ट्रो को सुरक्षित रखा जाना: मजदूरी पर्ची, भुगतान न की कोई गई मजदूरी का अजिस्टर, दुर्घटनाओं का रजिस्टर, जुर्माना, कटौती रजिस्टर का संरक्षण: इन निनियमों के अधीन रजिस्ट्रों को उन्में दर्ज किए जाने की तिथि से १२ महीने के लिए अनुरक्षित किया जाएगा और प्रभारी इंजीनियर, श्रम कल्याण अधिकारी या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

11 Preservation of registers: The wage book the wage slips the register of unpaid wages the register of accidents the register of fines deductions required to be maintained under these regulations shall be preserved for 12 months after the day of last entry made in them and shall be made available for inspection by the engineer-in-charge labor welfare officer or any other officer authorised by the board in this behalf.

12. जांच या पूछताछ करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारियों की शक्तियां :

श्रम कल्याण अधिकारी या बोर्ड की ओर से प्रतिकृत किसी भी व्यक्ति को उचित महदूरी खंड और इन विनियमों के उपबंधों के समुचित पालन और लागू होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूछताछ करने की शक्ति प्राप्त है। वह उन उपबंधों के अधीन ठेकेदार द्वारा की गई चूक के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल करेगा।

12. Powers of labour welfare officers to make investigations or enquiry: the labour welfare officer or any other person authorised by the board on their behalf shall have power to make enquiries with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of the fair wage clauses and provisions of these regulation he shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or sub contractor in regard to such provision.

13. श्रम कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट

श्रम अधिकारी या उपर उल्लिखित अन्य अधिकारी अपनी जांच या पूछताछ के परिणाम की रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को ठेकेदार द्वारा की गई चूक की सीमा, यदि कोई हो तो, का उल्लेख करते हुए इस टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करेगा कि आवश्यक कटौती उसके बिल से कर ली जाए और मजदूरी तथा अन्य देय राशि संबंधित मजदूरों को दे दी जाए। यदि ठेकेदार इन विनियमों के खण्ड १४ के अधीन कोई अपील करता है तो कार्यपालक इंजीनियर द्वारा इस प्रकार की अपील पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त पर निर्णय प्राप्त होने पर मजदूरों को वास्मविक भुगतान किया जाएगा।

13. Report of labour welfare officer: the labour welfare officer or other persons authorised as afore said shall submit a report of result of his investigation or enquiry to the executive engineer concerned indicating the extent, if any to which default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. in case an appeal is made by the contractor under clause 14 of these regulations actual payment to labourers will be made by the executive engineer after the regional labour commissioner has given his decision on such appeal.

(क) कार्यपालक इंजीनियर संबंधित मजदूरों को भुगतान करने का प्रबंध, श्रम कल्याण अधिकारी या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, जैसा भी उपयुक्त हो, की रिपोर्ट प्राप्त करने के ४५ दिन के भीतर करेगा।

(a) The executive engineer shall arrange payments to the labourers concerned within 45 days from the receipt of the report from the labour welfare officer or the regional labour commissioner as the case may be.

14. श्रम कल्याण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

श्रम कल्याण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति श्रम अधिकारी या इस प्रकार अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निर्णय या संस्तुति से अपमानित होकर अपील करता है तो वह इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास निर्णय होने की तिथि से ३० दिन के भीतर अपील कर सकता है और उसके साथ ही साथ अपनी अपील की एक प्रति संबंधित कार्यपालक इंजीनियर के पास अग्रेषित कर सकता है किन्तु इस प्रकार की अपील पर अधिकारी का निर्णय अन्तिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

14. Appeal against the decision of labour welfare officer: Any person aggrieved by the decision and recommendation of the labour welfare officer or other person so authorised may appeal against such decision to the regional labour commissioner concerned within 30 days from the date of decision forwarding simultaneously a copy of his appeal to the executive engineer concerned but subject to such appeal the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

15. वकील के माध्यम से पक्ष को प्रस्तुत करने का निवेध :

- (i) कोई कामगर इन विनियमों के अधीन किसी जांच या पुछताछ में अपना पक्ष निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत करने का हकदार है;

15. Prohibition regarding representation through lawyer:

- (i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :-

(क) किसी संजीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकारी, जिसका वह सदस्य है;

(a) An officer of a registered trade union of which he is member.

(ख) ट्रेड यूनियनों के संघ का अधिकारी, जिसके साथ खण्ड क में उल्लिखित ट्रेड यूनियन संबद्ध है;

(b) An officer of federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated.

(ग) जहां कर्मचारी किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, पंजीकृत ट्रेड यूनियन के किसी अधिकारी द्वारा, जो उससे संबंधित है या उद्योग में कार्यरत अन्य कामगरों द्वारा जो उसी उद्योग में कार्यरत है, जिसमें वह स्वयं कार्यरत है;

(c) Where the employer is not a member of any registered trade union by an officer of a registered trade union, connected with or by any other work means employed in the industry in which the worker is employed.

(ii) इन विनियमों के अधीन बोर्ड नियोक्ता किसी जांच या पुछताछ में निम्नलिखित में से किसी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by.

(क) नियोक्ताओं की किसी संस्था का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य है;

(a) An officer of an association of employers of which he is a member

(ख) नियोक्ताओं की संस्था संघ का कोई अधिकारी, जिससे खण्ड क में उल्लिखित संस्था संबद्ध है;

(b) An Officer of a federation of association of employers to which the association referred to in clause (a) is affiliated.

(ग) जहां नियोक्त, नियोक्तों की किसी संस्था का सदस्य नहीं है, नियोक्तों की संस्था के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे नियोक्त द्वारा जो उसी उद्योग में संलग्न है जिसमें संबंधित नियोक्त संलग्न है।

(c) Where the employer is not a member of any association of employers, by an officer of association of employer, connected with, or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.

(iii) इन विनियमों के अधीन किसी जांच या पुछताछ में कोई भी पार्टी कानूनी प्रैक्टिशनर द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने की हकदार नहीं होगी।

(iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any investigation or enquiry under these regulations.

16. पुस्तकों तथा पर्चियों का निरीक्षण : ठेकेदार मजदूरी पुस्तको तथा मजदूरी पर्चियों, भुगतान न की गई मजदूरी का रजिस्टर, दुर्घटनाओं का रजिस्टर तथा अपने कामगरों से जुर्माना तथा कटौती का रजिस्टर किसी कामगार या उसके एजेंट द्वारा सुविधाजनक समय तथा स्थान पर उचित सूचना पाने के पश्चात् निरीक्षण की अनुमति दे सकता है या श्रम कल्याण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

16. Inspection of Books and slips: The contractor shall allow inspection of the wage books and the wage slips, the register of unpaid wages, the register of accident and the register of fines and deductions to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Welfare Officer or any other person, authorised by the Board of his behalf.

17. विवरणों की प्रस्तुत करना : ठेकेदार समय-समय पर निर्दिष्ट नियतकालिक विवरणों को प्रस्तुत करेगा ।

17. Submission of Returns :- The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

18. संशोधन: बोर्ड समय-समय पर विनियमों में कुछ जोड़ सकता है या उनमें से शोधन कर सकता है और इसके अनुप्रयोग, व्याख्या या इन विनियमों के प्रभाव से संबंधित किसी प्रश्न पर मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार या बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

18. Amendments : The Board may, from time to time, add to or amend the regulations and on any question as to the application, interpretation or effect of those regulations the decision of the Chief Labour Commissioner or Deputy Chief Labour Commissioner to the Government of India or any other person authorised by the Board in that behalf shall be final.

टिप्पणी : विवाद की स्थिति होने पर अंग्रेजी पाठ लागू होगा,

Note :- In case of any disputes the English version will prevail.